jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

# मोदी के खिलाफ न बोलें, बातचीत के दरवाजे खोलें

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 16 सितंबर।

कई मुसलिम देशों ने पाकिस्तान से कहा है कि वह भारत के साथ अनौपचारिक बातचीत के प्रयास करे। इन देशों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को यह नसीहत दी है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी में संयम

बरतें, जुबानी हमले कम करें। पाकिस्तान मीडिया की

खबरें हैं कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब ताकतवर देशों की ओर से संदेश लेकर गए थे। अमीरात ने कई अन्य मुसलिम देशों की ओर से

मुसलिम देशों ने इमरान खान को दी सलाह

संदेश लेकर अपने वरिष्ठ मंत्रियों को बतौर विशेष प्रतिनिधि पाकिस्तान भेजा। 19 सितंबर को इमरान खान सऊदी अरब के दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इसके मद्देनजर मुसलिम देशों के संदेश को अहम राजनियक गतिविधि माना जा रहा है। सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री

आदिल अल जुबैर और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन अल नाहयान तीन सितंबर को इस्लामाबाद दौरे पर अपने नेतृत्व और कुछ अन्य


एक्सप्रेस ट्रिब्यून बाकी पेज 8 पर

# सामय हालात बहाल कर नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व जम्मू कश्मीर प्रशासन से कहा, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कदम उठाएं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन से कहा कि कश्मीर घाटी में यथाशीघ्र हालात सामान्य हालात करने के लिए सभी प्रयास करे। साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सामान्य हालात बहाल करना 'चयनित आधार' पर होगा।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर के पीठ को अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने राज्य में हालात सामान्य करने के लिए प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। इस पर पीठ ने अटानी जनरल को इस मामले में उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कश्मीर घाटी में बाकी पेज 8 पर मोबाइल



पीट ने कहा, 'हम कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं। हमने यही कहा है कि राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए चयनित आधार पर स्थिति बहाल की जाएगी।'

# पीएसए के तहत गिरफ्तार हुए फारूक अब्दुल्ला

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 16 सितंबर।

जम्म्-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के 📗 समक्ष फारूक को पेश किए जाने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जवाब मांगा। जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत गिरफ्तार किए गए फारूक



बाकी पेज 8 पर

आजाद को कश्मीर जाने की इजाजत

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को जम्मू-कश्मीर जाने की अनुमित देते हुए कहा कि वे वहां कोई राजनीतिक रैली

ना करें। साथ ही उसने माकपा नेता और

बाकी पेज 8 पर

# जाएगा : पााकस्तान

लाहौर, 16 सितंबर (भाषा)।

पाकिस्तान ने सोमवार को घोषणा की कि बहप्रतीक्षित करतारपुर गलियारा नौ नवंबर को भारतीय सिख श्रद्धालुओं के लिए खोल

पाकिस्तान ने यह एलान जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेने के भारत सरकार के फैसले के बाद नई दिल्ली के साथ बीच उपजे विवाद के बीच किया है। स्थानीय और विदेशी पत्रकार पहली बार लाहौर से लगभग 125 किलोमीटर दुर नरोवाल में प्रस्तावित करतारपुर गलियारे की यात्रा पर गए, इस दौरान यह घोषणा की गई।

परियोजना के निदेशक आतिफ माजिद ने दौरे पर आए पत्रकारों को बताया कि अब तक गलियारे का 86 फीसद काम पूरा हो चुका है और इसे नौ नवंबर को खोल दिया जाएगा। माजिद ने कहा कि विकास कार्य अगले महीने तक पुरा कर लिया जाएगा।

यह गलियारा पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब और भारत के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक साहिब को जोड़ेगा। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की स्थापना सिखों के संस्थापक गुरु गुरुनानक देव जी ने 1522 में की थी। इससे भारतीय श्रद्धालुओं को बिना वीजा के सिर्फ परिमट हासिल कर आवाजाही की सुविधा मिलेगी।

पाकिस्तान करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब के लिए भारतीय सीमा तक गलियारे का

कराची, १६ सितंबर (भाषा)।

तीन मामले दर्ज किए। इससे

पहले अल्पसंख्यक हिंदू

समुदाय के एक स्कूल प्राचार्य

के खिलाफ ईश-निंदा के

आरोप में मामला दर्ज किया

गया था, जिसके बाद ये दंगा

मीडिया रिपोर्ट के मृताबिक

घोटकी जिले में सिंध पब्लिक

स्कूल के एक छात्र के पिता

टिप्पणी करके ईश-निंदा का

भड़का।

पाकिस्तान के हिंदू मंदिर में

तोड़फोड़, 218 पर मामला

अब्दुल अजीज राजपूत ने प्राचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

कराई, जिसमें दावा किया गया कि अध्यापक ने इस्लाम विरोधी

हिंदू सम्दाय के स्कूल प्राचार्य

पर ईश-निँदा का मामला दर्ज होने

के बाद भड़का दंगा।

घोटकी पलिस ने दंगाइयों के


खिलाफ तीन मामले दर्ज किए हैं,

जिन्होंने ईश-निंदा की कथित घटना

के बाद सड़कों पर प्रदर्शन किए।

बाकी पेज 8 पर

वाशिंगटन, 16 सितंबर (भाषा)



रथानीय और विदेशी पत्रकारों की प्रस्तावित गलियारे की यात्रा के दौरान पाकिस्तान ने किया एलान ।

परियोजना के निदेशक आतिफ माजिद ने बताया अब तक गिलयारे का ८६ फीसद काम पूरा हो चुका है।

*हर दिन* भारत से 5,000 सिख तीर्थयात्रियों के आगमन के लिए लगभग 76 आव्रजन केंद्र स्थापित किए गए हैं। शुरू में भारत से रोजाना 5,000 सिख श्रद्धालु आएंगे और बाद में यह संख्या बढ़कर 10,000 हो जाएगी।

निर्माण कर रहा है, जबकि पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से दूसरे हिस्से तक का निर्माण बाकी पेज 8 पर

# उत्तराखंड में लागू करेंगे एनआरसी: रावत

जनसत्ता संवाददाता देहरादून, 16 सितंबर।

उत्तराखंड सरकार राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनआरसी) लागू करने को लेकर गंभीर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड में एनआरसी लाग करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

रावत ने बताया कि मंत्रिमंडल की अगली बैठक में राज्य में एनआरसी लागू करने के बारे

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, राज्य सरकार एनआरसी को लेकर गंभीर है, मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इसे लागू करने पर करेंगे विचार।



क्षेत्र उधम सिंह नगर जिला, काशीपुर, जसपुर, गदरपुर, देहरादून जिले के प्रेम नगर, सुद्दोवाला और हरिद्वार के कई क्षेत्रों में काफी संख्या में बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। इसको लेकर ही राज्य में एनआरसी की संभावना पर विचार शुरू हुआ है।

रावत के इस बयान से सुबे की सियासत गरमा गई है। रावत ने मुख्यमंत्री सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में दो टुक कहा कि राज्य सरकार एनआरसी को लेकर गंभीर है और कुछ लोग निहित बाकी पेज 8 पर

### पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यों का बंटवारा

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 16 सितंबर।

पीके मिश्र और पीके सिन्हा को क्रमशः प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव और प्रधान सलाहकार नियुक्त किए जाने के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने दोनों अधिकारियों और राष्ट्रीय सरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल के कार्य क्षेत्रों बाकी पेज 8 पर

# बिहार सरकार और डीजीपी को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

नई दिल्ली/बेतिया, 16 सितंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह में रह चुकी एक लड़की से चलती कार में हुए कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में सोमवार को बिहार सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किए। साथ ही, राष्ट्रीय महिला

एक समिति गठित की है।

लडकी से पिछले सप्ताह पश्चिम चंपारण के मुजएफरपुर सामूहिक बलात्कार मामला *महिला आयोग* ने भी जांच के लिए समिति बनाई

है, जो दो

उत्पीड़न किया गया था।

एनएचआरसी ने कहा कि यदि आयोग (एनसीडब्लू) ने मामले की जांच के लिए सही हैं तो यह पीड़िता के मानवाधिकारों का हनन बाकी पेज 8 पर

# मुजफ्फरपुर बालिका गृह में रह चुकी इस

बेतिया शहर में एक चलती कार में कथित रूप से चार व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार किया था। उल्लेखनीय है कि इस बालिका गृह में रहने वाली कई लडिकयों का बरसों तक कथित तौर पर यौन

इस घटना के बारे में आई खबरें

# महाराष्ट्र में कांग्रेस व राकांपा मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 16 सितंबर।


कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अगले महीने होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को दोनों दलों के बीच चुनावी गठबंधन की औपचारिक घोषणा की। पवार हाल में दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले थे। दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की इस मुलाकात के बाद ही चुनावी गठबंधन पर मोहर लगाई गई।

राकांपा प्रमुख पवार ने कहा कि उनकी पार्टी और कांग्रेस अगले महीने होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चनाव में 125-125 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन के तहत सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा चका है। राकांपा अध्यक्ष ने अपने एक ट्वीट में इस चुनावी गठबंधन का एलान करते हुए जानकारी दी कि बाकी बची 38 सीटें गठबंधन सहयोगियों के लिए छोड़ी जाएंगी। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं। पवार ने कहा कि राकांपा इस चुनाव में नए चेहरों को मौका देगी। कुछ सीटें कांग्रेस के साथ बदली भी जाएंगी।

दोनों दलों ने 2014 में राज्य विधानसभा चुनाव अलग-अलग लड़े थे। उस चुनाव में कांग्रेस ने 42 तो राकांपा ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इन चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भाजपा को 122 सीटें मिली थीं।

सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे और राकांपा नेताओं

*राकापा* प्रमुख शरद पवार ने किया औपचारिक एलान। *दोनों* दल 125-125 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव।



के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर पहले ही कई दौर की बातचीत हो चुकी थी। कांग्रेस व राकांपा के प्रदेश स्तर के नेता भी इस मुद्दे पर कई बैठकें कर चुके थे। लेकिन सीटों की संख्या को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच कुछ मतभेद थे। पिछले दिनों दिल्ली में जब शरद पवार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर उनसे मिले तो समझा जाता है कि दोनों नेताओं की बातचीत में कुछ सीटों को लेकर आ रही अडचनों को दुर कर लिया गया। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस-राकांपा ने

हाथ मिलाया था लेकिन भाजपा-शिवसेना बाकी पेज 8 पर गठबंधन के

# स्वामी चिन्मयानंद की तबीयत खराब

# शाहजहांपुर मामला : छात्रा का बयान दर्ज

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुलिस ने सोमवार को 218 दंगाइयों शाहजहापुर, 16 सितंबर (भाषा)। के खिलाफ मंदिर सहित संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर

> पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली विधि छात्रा का सोमवार को न्यायालय में बयान लिया गया। बयान के बाद स्वामी चिन्मयानंद की तबीयत खराब हो गई। कथित पीड़िता को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) गीतिका सिंह की अदालत में ले जाकर उसका बयान दर्ज कराया गया।

> छात्रा ने बताया कि मजिस्ट्रेट ने करीब 12 पेज में उसका बयान दर्ज किया है। उसने दिल्ली में जीरो क्रमांक पर दर्ज



*छात्रा* ने कहा, स्वामी चिन्मयानंद के कमरे से गायब किए गए कई सबूत। सरकारी और निजी चिकित्सकों की टीम कर रही चिन्मयानंद का इलाज।

रिपोर्ट, उसके हॉस्पिटल के कमरे से चिप बयान में किया है। छात्रा ने बताया कि और चिन्मयानंद के मालिश वाले वीडियो शूट करने में इस्तेमाल चश्मे के चोरी होने तथा अन्य साक्ष्यों का जिक्र भी अपने

स्वामी चिन्मयानंद के शयनकक्ष से चादर. गद्दे. शराब की बोतलें जैसे सबत गायब कर दिए बाकी पेज 8 पर

पहली बार दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे

रचेंगे इतिहास

भारत व अमेरिका के बीच दोस्ती के मजबूत रिश्ते को दर्शाता है यह कदम

### भ्रष्टाचार के मामले में सेवानिवृत्त मेजर जनरल को जेल

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

रिश्वतखोरी के एक मामले में 80 वर्षीय सेवानिवृत्त मेजर जनरल को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए यहां एक अदालत ने कहा कि भारतीय सेना में भ्रष्टाचार पूरे समाज के विश्वास को झकझोर देता है और दोषी को

उचित दंड मिलना चाहिए। मामला तहलका समाचार पोर्टल द्वारा 2001 में किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए भ्रष्टाचार के मामले से जुड़ा है। विशेष सीबीआइ न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने 22 अगस्त के अपने आदेश में मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एसपी बाकी पेज 8 पर मुरगई को

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी 22 सितंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम 'हाउडी मोदी' में शिरकत करेंगे.

जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वह भी भारतीय-अमेरिकी समुदाय को संबोधित करेंगे। 'एनआरजी स्टेडियम' में होने वाले कार्यक्रम 'हाउडी मोदी! शेयर्ड ड्रीम्स, ब्राइट फ्यूचर' के लिए रेकार्ड 50,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। 'हाउडी' शब्द का प्रयोग दक्षिण पश्चिम अमेरिका में अभिवादन के लिए किया जाता है जिसका अर्थ होता है 'आप कैसे हैं?' वाइट हाउस की प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रिशम ने रविवार को बयान में कहा, 'यह (मोदी-ट्रंप की साझा रैली होगी) अमेरिका और भारत के बाकी पेज 8 पर लोगों के बीच संबंधों को

#### Howdy, Modi! SHARED DREAMS, BRIGHT FUTURES.

*'एनआरजी* स्टेडियम' में 22 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम 'हाउडी मोदी! शेयर्ड ड्रीम्स, ब्राइट फ्यूचर' के लिए रेकार्ड 50,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है।




# प्रधानमंत्री ने की ट्रंप की तारीफ

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 16 सितंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि ह्यूस्टन में सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक विशेष भाव दर्शाया है और यह फैसला दोनों देशों के बीच विशेष मित्रता को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री ने कई ट्वीट किए और

कहा कि भारतीय मूल के समुदाय के साथ मिलकर कार्यक्रम में ट्रंप का स्वागत करने का वह इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, 'राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से दिखाया गया विशेष भाव भारत और अमेरिका के बीच विशेष मित्रता को रेखांकित करता है। दिखाता है कि यह संबंध कितना मजबूत है और अर्थव्यवस्था व अमेरिकी समाज में भारतीय समुदाय के योगदान को बताता है।'



## जनसत्ता

#### क्लासाफाइड

#### व्यक्तिगत

**I,Shreyas** Kaushal,S/o Vasudeo Kaushal R/o-H.No.301,Plot-No.154,Opp.Tehsil,New Gandhi-Nagar, Ghaziabad, U.P.-201001 that my father's name has been wrongly-written as Vasudev Kaushal in my educational-documents. The actual name of my father is Vasudeo Kaushal.

0040512638-7 I**,Sagari** Gupta W/o-Jaideep Dasgupta R/o:B-14/220, Himgiri-Apartment ,Sector-34, Noida, Uttar-Pradesh-201301. Have Changed My Name to Sagari Dasgupta, for all Purposes. 0040512609-3

, Vikas Sarkar,S/o-Shri.Hazari Lal Sarkar, R/o-House. No. RZ-A-37, Nand-Ram Park, Uttam Nagar, N. Delhi-110059, inform that Vikas Sarkar and Bikash Chand Sarkar both are one and same person.

0040512654-1 I, Vijay Kumar Matreja S/o Late Ghanshyam Dass R/o H-2/2,Vikaspur, New Delhi-110018.have changed my name to Vijay Kamar.

0040512638-3 I, Vaibhav Kumar Age 39 Years S/o Sri Rajkumar Sharma R/o Flat No. 204 Chandra Tower Jopling Road Lucknow have changed my name to Vaibhav Kumar Sharmaa for all purposes. 0060069463-2

, Umesh Kumar S/o-Gopal Dass Kwatra R/o-738-B Jwala Nagar, Church Road, Shahdara Delhi-110032, have changed my name to Umesh Kumar Kwatra, for all purposes.

0040512623-3 , Topala Chapakai,W/O-Madan Sharma R/o-W-87, Anupam-Garden Post-Office Mehrauli Delhi-110030, That I Have Two Lic-Policy. no.123387634 and 2nd Lic-Policy no.123395078 have Changed my Name TO Pushpa Sharma. 0040512584-7

, Syed Shabaul Hassan S/o Late Syed Haseeb Hassan R/o I-145, Street No.11, Garhwali Mohalla, Laxmi Nagar, East Delhi-110092, hereby informs that in my documents the spelling of my father's name is incorrect, but correct spelling is Syed Haseeb Hassan.

, Surinder Kumar S/o Jagmohan Singal, R/o H.No 86, Pocket 4 and 5, Sector-23, Rohini, Near Max Fort School, have changed my name to Surinder Singal for all purposes.

I**,** Sunil Kumar,S/O-Ramkumar Gupta,R/O-E-191,Third-Floor, Ashok-Vihar Phase-1, Delhi-110052. Have Changed My Minor Daughter's Name, From Kanak Goel To Kanak, For All Purposes. 0040512610-8

, Sundeep Singh / Sandeep Dhillon s/o Rupinder Singh r/o 83-B, Madhuban Enclave, near Madipur Metro Station, New Delhi-110063 have changed my name to ARJUN SINGH.

0040512535-I, Snajay Kumar Agarwal S/o-Late Moti Ram Agarwal R/o-B-251, Prashant Vihar Sector-14, Rohini Delhi-85, changed my name to Sanjay Kumar 0040512609-6 Agarwal.

**I,** Shivesh S/o Dinesh Kumar Choudhary R/o H/no. 183, Block-B, Sector-52, Noida, have changed my name to Shivesh Choudhary for all 0040512580-1

I, Shera Bano W/o Mohd Wakil R/o C-786, J.J.Colony, Shiv-Vihar, Uttam Nagar, N. Delhi-110059 have changed my name to Saira Bano.

, Shalini W/o Amit Kumar R/o P1211 Supertech ICON Nyaya Khand-I Indirapuram Ghaziabad U.P.-201014 changed my name to Shalini 0040512644-1 Kumar.

I, Sanjeev Kumar Jain S/o-Pawan Kumar Jain R/o-F-8/12 Krishna-Nagar Delhi-110051, have changed my name to Sanjeev Jain., for all 0040512577-3 purposes.

R/O-E-191, Third-Floor, Ashok-Vihar Phase-1, Delhi-110052, Declare That Name Of Mine has been Wrongly-Written As Sandhya Goel in School-Records of My Minor Daughter Kanak, The Actual-Name Of mine is Sandhya.

**I,** Sandhya W/O-Sunil Kumar

0040512610-9 I, Sancha Maya W/o-Sachin Nanda R/o 14/16, Ashok-Nagar, New-Delhi-18, Have Changed My Name to Sneha Nanda, for all Purposes.

0040512577-9 Sageeta Chaudhahari W/o Jashvir Chaudhary R/o B-102, Academic World School, Bemetara-491335, Chhattisgarh, have Changed my name to Sangeeta **Chaudhary Permanently** 

0040512532-1 Army No JC-698728Y Rank-Sub (HA), Makireddy Eswara Reddy R/O Vill&Post-Munnangi, Dist-Guntur, State- Andhra Pradesh PIN-522294, Inform that Army records my wife's name is wrongly mentioned as Padma Vathi but correct name is Makireddy Padmavathi.

epaper.jansatta.com

0060069459-6

#### ट्यक्तिगत

I, Sadaquat Khan S/O-Sharafat Ullah Khan, H.No.89, A-Block, Satya-Enclave, Prem-Nagar-3, Kirari Suleman-Nagar, Delhi-110086., changed My Name To Sadaquat Ullah 0040512610-5

I, SUNIL KUMAR S/o Shri. Satish Chander, R/o-119J, Pushp-Vihar, sector-4, New-Delhi-110017, have changed my name to SUNIL BELWAL. for all purposes. 0040512577-8

I, SUMAN JUNEJA, D/O KISHAN LAL GULATI R/O 2/130, G/F, GEETA COLONY, DELHI-110031, in my Son's School record my name has wrongly mentioned as Anju Juneja. Actual and Correct name is SUMAN JUNE-JA for all Future Purposes.

0040512533-1 I, Rumana & Rumana Khatoon,W/o Shri.Mohd. Aslam Qadri R/o-House.No.

40/224. Double-Storey, New-Seelampur, Delhi-53., informs that above both names are of the same person. 0040512577-7 I, Roop Kishore, S/o Tarachand,

R/o A5A/5B, DDA Flats, Janak Puri, Delhi-110058, have changed my name to Roop Kishore Beniwal. 0040512569-1 I, Rishabh S/O Narayan Singh

Thakur R/O-K-72, 3rd-Floor, Old-Govindpura, Street.No-5, Delhi-110051. Have Changed My Name To Rishabh Singh Thakur. 0040512584-1 I, Reeya Singh D/o Brijendra

Singh R/o 4/292 Vivek Khand GomtiNagar Lucknow Inform that in my Passport, my name is wrongly mentioned as Ria Singh, but my correct name is Reeya Singh, which may be amended accordingly. In future I will known by Reeya 0060069467-2 Singh.

I, Rashiraj S/o-Ratan Kumar R/o-H.No.-930, K/26, Sonipat, Haryana-131001, have changed my name to Rishiraj for all purposes. 0040512609-2

I, Ram Pukar Mahto s/o Shri Munna Mahto r/o F-85, Radhey Mohan Drive, Fateh pur Beri, New Delhi -110074, has changed my name from Ramu Roy to Ram Pukar Mahto new name shall appear in all documents/further communication in future as per affidavit sworn, before notary public delhi on 13-09-0040512538-1

R/o H.No.-9, Kh.No.8/4, Kamruddin-Nagar Near-Public School, New Delhi-110041, Have changed my name to Ram Naresh Yadav. permanently. 0040512644-3

I, Ram Naresh S/o Ram Kishan,

I, Rajiv Goel S/o Jagdish Goel R/o-148, Shakti-Vihar, Pitam pura, Delhi-110034, have changed minor son's name Armaan to Armaan Goel.

0040512577-5 I, Rajinder Gupta @Rajinder Kumar S/o,Lal Chand Gupta R/o-2086, Gali-No.19, Prem nagar, Patelnagar, N.Delhi-110008, have changed my name to Rajinder Kumar

0040512638-5 Gupta. I, Rajesh KumarJain@Rakesh Jain, S/o Sh. Suresh Chand Jain R/o-86-A, Gali.No.5, Gulab Vatika, Loni-Ghaziabad. UP, states that, I also known by the name as Rajesh Kumar Jain and Rakesh Jain.All these names are of mine and is of

same person. 0040512623-7 I, Rajender Parsad S/o Krishna Ram, R/o H.No. 109/B, SHIV-PURI PART -2, Dindarpur Najafgarh. Dwarka, Delhi-110043 have changed my name from Rajender Parsad to Rajender Parsad Arya for

all future purposes. I. Rafsan S/o-Mazrul R/o-1871, Suiwalan Chowk, Gali Patte Wali, Chandni-Mahal, Daryaganj, Delhi-110002, have changed my name to Mohd

0040512644-8

I, Priyanshu S/o Ashwani Khatri R/o-239, Jaton Wali Gali Tikri Khurd Narela Delhi-110040 changed my name to Priyanshu Khatri. 0040512609-5

**I,** Prity Kumari Pandey W/o Monu Kumar Pandey R/o B-288, Gali no-28, mahavir Enclave Part-2, Uttam Nagar, New Delhi-110059 have changed my name to Prity Pandey for all future 0040512544-1 purposes. I, Preeti Kalra W/o Deepanshu

Bagga R/o-B-74, Rampuri, Near-SBI, Ghaziabad, U.P.-201011-have changed my name to Preeti Bagga. 0040512638-4

I, Pradeep Kumar Gahlot R/o Flat No 11, Sector 18A, Prem Millan Apartment, Plot No 19, Dwarka-110075, have changed my minor son's name from Tanish to Tarush Gahlot for all 0040512578-1 purposes.

I Islamuddin S/O Abdul Haqeem R/O-C-87, Raju-Park, Near Saifiyan Masjid, Khan pur Delhi-110062. Changed My Name To Islam. 0040512584-8

I Govind Singh MES Colony Gundli Dhasuk Ajmer Rajasthan, In my service record my wife's Santosh Kanwar D.O.B is wrongly entered 30/6/1979.In future wife's D.O.B is known as 0060069460-2 05/04/1981.

I Army No JC-698728Y Rank-Sub(HA), Makireddy Eswara Reddy R/O Vill&Post-Munnangi, Dist-Guntur, State-Andhra Pradesh PIN-522294, Inform that Army records my wife's D.O.B is wrongly mentioned as 27-01-1972 but correct D.O.B is 11-05-1970. 0060069459-5 **I,** Pankhuri Sharma W/O Chetanaya Dhawan R/O-J-189, Jeevan-Niketan, Lic Colony, Nr.St.Marks School, Paschim Vihar, Delhi-110087. Changedmy Nameto Pankhuri Chetanaya Dhawan.

0040512623-1 I, Niranjan Kumar Singh R/o 71/7 Kabul Lines Delhi Cantt New Delhi-110010 have changed my minor son's name from Mayank to Mayank Singh for all purposes. 0040512581-1

I, Munni Kumari W/o Deepak Kumar R/o House No-A-1672, Ward No-16, SGM Nagar, Faridabad, Haryana-121001 have changed my name from Km. Munni to Munni Kumari for all purposes. 0040512542-1

I, Munna Lal S/o Vasdev Ram, R/o E-61,Gali no.6, Block-E South-Anarkali, Krishna-Nagar Delhi-51, Have changed my name to Raj Kumar permanently. 0040512644-2

I, Mohd Jamil S/O Ajmain Ansari R/O-U-33, Sharma-Colony, Budh-Vihar, Phase-2, Delhi-110086, have changed my name to Muhammad Jamil Ansari. 0040512644-7

I, Mohd Danish S/o Rifagat Khan R/o 2082, Katra Chhote Lal Turkman Gate Delhi-110006 have changed my name to Danish Khan.

I, Meenakshi W/o Kuldeep

Khanna R/o-207 Ekta-Apartment Sector-13 Rohini Delhi-85 changed my name to Meenakshi Khanna. 0040512609-9

0040512541-1

I, Mukesh Mishra s/o Putto Lal r/o 36, Village Peera Garhi, Delhi-110087, have changed my name to RAMU. 0040512527-1

I, Manta Jaiswal W/O Murari Jaiswal R/O-D-88, Hastal-Vihar, Dwarka, Delhi-110059. Have Changed My Name To Mamta Jaiswal. 0040512584-3

I, Mansha Chadha D/o Pritpal Singh Chadha R/o C9/1003, Pranayam Appt ,Sector 82-85 ,Bhatola, Faridabad, Haryana have changed my name from Mansha Chadha to Mansha Kaur Chadha for all future Purposes. 0040512638-10

I, Mahesh Chandra S/o Rajbeer Singh R/o-2, Block-D, Raieev-Nagar, Begumpur, Delhi-110086, have changed my name to Mahesh Baghel.

I, Lalita Rani W/o Hari Kishore Verma R/o A-53/B, Anand Vihar, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have changed my name as Lalita Verma for all future purposes.

0040512529-1 **I,** Laldev Gupta S/o Laxmi Chand Gupta R/o B-33/A, Gali No-5, Ganesh Nagar, Pandav Nagar Complex East Delhi-110092 have changed my name from Laldev Gupta to Utkarsh Gupta for all future 0040512539-1 purposes.

**I,** Km. Shahenaz Parween W/O Mustafa R/O-H-102/15, Sangam Vihar, New Delhi-110080., changed My Name To Shahenaz Praveen.

0040512584-2 I, Kavita Verma D/o Parkash Chand Verma, R/o-J-160, Gali.No-9A, Puran-Nagar, Palam-Village, Delhi-110045, inform that in all my educational-certificates my father's name is wrongly-written as Prakash Verma. The correct-

name of my father is Parkash Chand Verma. 0040512610-7 I, Kapil Dev Sharma S/o Sh. Chaturbhuj Sharma R/o-H.No122,Block-H,Prem-Nagar-1 Kirari, Suleman Nagar, Delhi-110086, have Changed my Name Kapil Dev Sharma to Kapil Dev for all purpos-

es,#9650757644 0040512537-1 I, Kamla Sharma W/o.Ravinder Kumar Sharma R/o-RZ-437-C/2 Raj Nagar-I, Palam Colony, N.D-45, have Changed my Name to Kamla Devi for all purposes 0040512530-1

I, KM Shiwani, D/o-Ravindra Kumar R/o:E-420A, Ground-Floor, Gali No-77, Mahavir-Enclave Part-3, Uttam-Nagar New-Delhi-59. Have Changed My Name to Shiwani Sharma.for all Purposes.

0040512577-6 I, Jugal Dhawan S/o Late-

Vasdev Dhawan, R/o H.NO-38, Sec-14, Sonepat, Haryana-131001-have changed my name to Jugal Kishore Dhawan. 0040512638-2 I, Jaginder Paul S/O-Raj Mal

Address-G-52a G-Block Kiran Garden Uttamnagar Delhi-110059., Changed My Name To Joginder Pal Sharma. 0040512584-5

I, Hitakashi D/o Kuldeep Khanna R/o-207 Ekta-Apartment Sector-13 Rohini Delhi-85 changed my name to Hitakshi Khanna. 0040512609-8

I, Geeta Rani@Geeta D/o,Hari Chand Chugh W/o, Ankur Saigal R/o-E-65, Double-Storey, Ramesh Nagar, N.Delhi-110015, have changed my name to Abha Saigal. 0040512638-8

I Kuldeep Kour W/o Varinder Singh R/o-O-32 TF O-Block New Mahavir-Nagar Tilak-Nagar Delhi-110018.have changed my name to Kuldeep 0040512644-6

I, Surinder Lal Batra S/o Pishori Lal Batra R/o 139 Pocket-D-16, Sector-7 Rohini Delhi, have changed my name to Savinder Lal Batra permanently. 0040512566-1

#### ट्यक्तिगत

I, Gagan Mohan, resident of **B807 Gaur Grandeur Sector** 119, Noida – 201307 have changed my minor child name from Aadya Rajvanshi to Aadya Garg. 0070674482-1

I, Farhat Parveen W/o Mohammed Aqil R/o B-110, Sector-41, Noida, have changed my name to Farhat Agil for all purposes.

0040512588-1 I, Ashwani S/o Krishan R/o-239, Jaton Wali Gali Tikri Khurd Narela Delhi-110040 changed my name to Ashwani Khatri. 0040512609-4

**I,** Dheeraj Kumar S/o Ram

Kripal R/o M-4, Chankya Place, Part-II, Uttam Nagar, New Delhi- 110059, have changed my name from Dheeraj Kumar Chaurasia to Dheeraj Kumar for all future purposes. 0040512603-1

**I,** Devender Kumar S/o Sh. Rajpal Singh R/o Village+Post -Jawli, Loni Distt-Ghaziabad, U.P. -201102, have change my name from Devender Kumar Kasana to Devender Kumar for all future purposes.

0040512540-1

I, Deepmala D/o Vijay Kumar R/o-B-385 Bhargo-Nagar Jalandhar-I Punjab-144001, have changed my name to Muskan Arora for all purposes. 0040512609-7 I, Baby Afreen W/o Mohammad

Farooque Raini R/0-A-34/1 Block-A, Abul-Fazal-Enclave Part-2 Shaheen-Bagh New Delhi-110025.have changed my name to Afreen Salah.

0040512610-6 I, Babita W/o-Neeraj Kumar R/o-Flat.No.1110, 11th-Floor, Vrindavan Green-Apartment, Rajender-Nagar, Sahibabad, Ghaziabad. Have changed my name to Babita Sharma.

0040512609-1 I, Anuradha Singhal W/o Surinder Singal R/o House No 86 Pocket 4 And 5, Sector-23, Rohini, ND-85, have changed my name to Anuradha Singal for all purposes. 0040512585-1

I, Anoop Kumar, S/o Sh. Bishun Prasad R/o:Paterhi-House. RZD-2/12, Street. No. 5, Mahavir -Enclave, New-Delhi-110045, Intimate That My Name Wrongly-Mention In My-Childre's School-Documents Name As Nandini, Suhani & Lokesh Patel, Anoop Kumar Instead of Anup Kumar Singh & And my Correct-Name Is Anup Kumar Singh.

0040512577-10 I, Ankit Garg, S/o-Hari Prakash Garg,R/o-C-73/B, Gali.No-6, Majlis-Park Adrash-Nagar, Delhi-110033.have change my minor son name, from Pushkar Garg to Atishay Garg, for all purposes.

0040512577-1 I, Amit Subash Marwah S/O-Subash Marwah, R/O-E-150, Greater Kailash-1, New-Delhi-110048. Changed My Name To Amit Marwah. 0040512584-4

I, Amarlatha W/o Pokalababu Poornachandra Rao R/o C-4 Staff Quarters A.P Bhawan, 1 Ashoka Road New Delhi-110001 have changed my to Pokala Hemalatha

0040512534-1 I, Abdul Majid Ganai S/o Ghulam Ahmed Ganai R/o-DII/42 Kaka-Nagar New Delhi-110003 changed my name to

Abdul Maajid Ganai. 0040512644-9 I, Aarti Sharma R/o-770-B, 2ndFloor, Near-Liberty Cinema, Circle, New Market, Devnagar, Karol-Bagh, N. Delhi-110005, have changed my minor son's

name Shaurya Solanki to Shaurya. 0040512638-6 I mahindra kaur W/o-pritpal Singh sukhija, R/O-E-42 Upper-Ground-Floor kh.No-

353/149 paryavaran-complex N.D.110030. Changed My Name To Mahinder Kaur Sukhija. 0040512584-6 I hitherto known as Gulistan. D/o Ali Hasan R/o-786-A,Gali.

No-7, Vijay-Park, Maujpur, Delhi-110053.,have changed my name and shall hereafter be known as Gulistan Al.

I Swarina d/o Samir Aggarwal R/o-D-68 Ramprastha Ghaziabad-201011 U.P.have changed my name to Swareena Aggarwal., for all future purpose. 0040512610-2

I Sunita Devi,D/o Laxmi Narayan Gupta,W/o Mahan Lal Gupta R/o-H.No.420, Pocket-9, Rohini Sec-21, Delhi-86, have changed my name to 0040512577-2

I Satish Kumar S/O Sheetal Dass R/O-Rz-1/47, Gali.No-2, Tughlakabad-Extn. Kalkaji Delhi-110019.Changed My Name To Satish Kumar Taneja. 0040512584-9

I Sanjay Kumar Singh R /o K-318, Gali No. 6A, Mahipalpur Extension, New Delhi 110037 changed my minor Son name from Vaibhav Kumar to

I Juiptkar Mandal S/O-Abed Mondal R/O H.No-783, C,2nd-Floor, Gali.NO-21, Zakir-Nagar, Okhla, Delhi-110020.Have Changed my Name to Gorachand Mondal. 0040512610-1

I Army No JC-698728Y Rank-Sub(HA), Makireddy Eswara Reddy R/O Vill&Post-Munnangi, Dist-Guntur, State-Andhra Pradesh PIN-522294, Inform that Army records my child name is wrongly mentioned as Leena but correct name is Makireddy Leena Reddy. 0060069459-4

#### Sandeep alias Sandeep Atri S/o Jagdish Chandra R/o 35,

Garhi, Garhi Rajlu, Sonipat, Haryana-131101, have changed my name to Sandeep Atri. 0070674491-1

I Ranjeeta Kaur Chhatwal W/o Amit Sharma R/o C2A/234B, Janak Puri, New Delhi-110058 Have Changed My Name To Ranjeeta 0040512579-2

I Ram Nath S/o Timal Nishad R/o-WZ-303(S.F.) (Near-Tandoor-Chowk) Tihar-Village New-Delhi-110018, have changed the name of my minor son aged 17years from Kanhaiya to Kanhaiya Kumar Saini. 0040512610-4

I Pretty Bhatita D/O Mahabir Lal Dutta Address-J3/108 Second-floor Rajouri-Garden N.Delhi-110027,CHANGED MY NAME TO Pretty BHATIA. 0040512584-10

I Manish S/o Ram Nath R/o-WZ-303 (S.F.) (Near-Tandoor-Chowk) Tihar-Village New Delhi-110018.have changed my name to Manish Kumar Saini. 0040512610-3 I Mahyrookh W/o Syed Rashid

L/S, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-25 have Changed my Name From Mahyrookh Rashid to Mahyrookh for All Future **Purposes** 0040512536-1 I Kunal alias Kunal Thakur S/o Vivekanand Thakur R/o G-1,

Karan Apartment, 69-A,

Ahmed R/o F-46, 2nd Floor,

Annapurna Nagar, Indore, MP-452009, have changed my name to Kunal Thakur 0070674487-1 **It** is for general information that I Kuldeep Prasad S/O Sh.Jagdish Prasad R/O H.No.RZ-1-40A 2ndfloor Mahavir Enclave Palam NewDelhi-110045 the name of

mine has been wrongly written as Kuldeep Pokhriyal in the school records of my minor sons Kunal Pokhriyal Aged 14years and Harsh Pokhriyal Aged 10years instead of Kuldeep Prasad which may be amended accordingly. 0040512638-9

I, Santanu Roy, R/O-214, Ae-III, Sector-35, Faridabad, Haryana-121003., have Changed My Minor Daughter Name Angela Roy To Anngela Roy. 0040512454-4

#### खोया+पाया

I, Murrty K.Lolha, S/o L.B.S.Somyajulu R/o-Flat.No.E-87/11(FF)Narayana-Vihar New-Delhi lost my originalallotment cum demand-letter bank challan-receipt DDA-Possession-letter NOC water/electricity of above-flat finder contact-9810280449.

0040512609-10 It is notified for the information that my original-marksheet of main-secondary exam year-2007,Roll-No.6354049, passout-from CBSE-Delhi has been actually lost. Akash. H.No.976, Pana Paposian, Narela, Delhi-40.

0040512623-10 I, Harjot Singh S/o Inderjeet Singh R/o-plot-no-164a, Chand-Nagar, gurudwara-Khyala Tilak-Nagar-18.have lost my original certificate class-10th year-2017 Rollno-8197867 CBSE-Delhi.

**Myself** Atul Doval s/o Mr. Dharam Dutt Doval to inform that documents of my flat i.e. share certificate, allotment letter, possession letter in original (which is in the name of Mr. G.P. Thapliyal s/o Mr. Ishwari Dutt Thapliyal) lost on 08/09/2019 at Madhuban Chowk, Pitampura, Delhi. Atul Doval, #9818407461, C-50, Manadakini Apartment, Pitampura, Delhi.

I, LALITA D/o-Radha krishan sharma R/o-block-D-1068/69jahangirpuri delhi-33.have lost my original-certificate class-10th year-2012 Rollno-8690268 CBSE-Delhi

0040512623-8

#### खोया–पाया सचित किया जाता है कि.

ग्राउंड फलोर 12, लोटस पोंड ग्रूप प्लाट नंम्बर 2A, वैभव खंड इंदिरापुरम, गाजियाबाद, के मूल दस्तावेज प्रथम प्रज्ञाकार से गुम हो चुके है। जिसका पंजीकरण मेरे (अशोक कुमार पाठक पुत्र श्री जग प्रसाद पाठक) नाम दर्ज है। मविष्य में किसी के द्वारा उपरोक्त दस्तावेज का दावा करना अवैध होगा।

Public Notice MY CLIENTS RAM KISHAN S/O SH. RAM KHILADI and his wife KANTA DEVI R/O T-HUTS NO -F-217, STREET NO-3, near NEPALI MANDIR GULSHAN CHOWK, PUNJABI BASTI, BALJEET NAGAR, CENTRAL DELHI-110005, hereby remove their relationship and expel their son YOGESH @ MOOLCHAND his wife NISHA from all their moveable and immoveable properties because they are our of their control. If anybody deals with them, he/she will do so on his/her own risk.Vijay Laxmi Advo Delhi High Court 113 CLJ Lawer Chambers TisHazari Delhi

#### **PUBLIC NOTICE** Pragya Singh Tomar D/o Shri Rishiraj Singh Tomar, R/o 74,

Nageshwar Gali Brahman Mohalla Srinagar Uttarakhand. Have Lost my original 10th class index no - T/3498/064 Year of passing 2012 School-St. Theresa's Convent School 12th class UID no-5450234 Year of passing-2014 School-St. Theresa's Convent School Graduate Degree College name-HNBGU Garhwal University Year of passing -2017 Enrollment no-G14540045 if, found please Contact: 8571900990

# सीआइडी की जांच रिपोर्ट से अदालत नाखुश

मुंबई, 16 सितंबर (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह भाकपा नेता गोविंद पानसरे हत्या मामले में महाराष्ट्र सीआइडी की विशेष जांच टीम (एसआइटी)

द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट से अप्रसन्न है।

न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जीएस

C lassifieds

"PT-focus" PT-cum-Main batch

by Ramesh Singh

McGraw-Hill writer of

the best-selling book

INDIAN ECONOMY

**EXPRESS EDUCATION** 

New batch: Sep 23 - Nov 08 (2.30-5.00pm)

Basics to Currents | More PT Tests

Model Answers | Answer Writing | Notes

Next similar batch: Nov. 15 - Dec. 25 (3hrs classes)

4A/41, Old Rajinder Nagar, Bada Bazar Road, Near Shankar Road, N. Delhi- 60

www.rameshsingh.org | ph. 98182-44224; 80767-48812

**ENGLISH GRAMMAR** 

**By Muntosh Mishra (Bharat)** 

NEW BATCH STARTS on

10:00 AM to 11:30 AM

Head Office:- MUKHERJEE NAGAR 1st Floor Batra Cinema Complex Delhi-

Mob.- 9136335283, 9250291082

ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT

FREE SEMINAR

NIRVANA

www.nirvanaias.com

**ROHINI:** H-17/262, Near Rohini West Metro Station,

(Opp. Metro Pillar No.424), Sector - 7, Rohini, New Delhi - 85.

TILAK NAGAR: 30/4, Ashok Nagar, Near Tilak Nagar

Metro Station, Gate No- 3, New Delhi - 18.

Ph: 011-47032447, 011-25121005, 9990471004, 9990471005

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service

Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841

है. के मामले में

तिथि: 14 सिम्तबर 2019

स्थानः बैंग्लोर

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन

के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक (केन्द्र सरकार) उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी

(निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के

क्लॉज (ए) के मामले में

क्रिस्टल एडवॉयजर्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय आर-

730, 1ला तल, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060, दिल्ली, भारत में

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई

दिल्ली '' से ''कर्णाटक राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने

के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 24 जुलाई, 2019 को आयोजित

असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम

ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की

धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति

का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर

निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय

में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि

से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख

करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

5, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-

110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

Batches Start
7th October
1AS ACADEMY

ROHINI

Sun. 22nd Sept. 2019

10 A.M. to 12 P.M.

4 P.M. to 6 P.M.

Shubham Gupta

AIR-6, 2018

S& HOW TO

**CRACK IT** 

TILAK NAGAR

Sat. 28th Sept. 2019

10 A.M. to 12 P.M.

4 P.M. to 6 P.M.

Sept.

पटेल की पीठ ने कहा कि एसआइटी की रिपोर्ट में ऐसे किसी 'स्वतंत्र कदम' का जिक्र नहीं है जो उसने जांच के दौरान उठाया हो। पीठ ने कहा कि चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। पीठ पानसरे और तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर के परिजनों द्वारा दायर याचिका की पानसरे हत्या मामला

सुनवाई कर रही थी जिनमें अनुरोध किया गया है कि उनकी हत्याओं की जांच अदालत की निगरानी में हो।

अदालत ने कहा- वह महसूस करती है कि कोल्हापुर में बाढ़ के कारण पिछले कुछ हफ्तों के दौरान संबंधित अधिकारी कोई महत्त्वपूर्ण प्रगति नहीं कर सके। यही कारण है जिसकी वजह से उसने कोई आलोचनात्मक आदेश देने से परहेज किया है। पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी इस रिपोर्ट में किसी भी स्वतंत्र कदम को बताने में विफल रहे हैं। आप (एसआइटी) ने जो भी कहा है, वह अन्य मामलों में ( तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या) जांच पर आधारित है। पीठ ने कहा- हमें अपनी अप्रसन्नता जतानी चाहिए। चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। हम केवल क्षेत्र में लगातार बारिश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अधिकारी के खिलाफ आलोचनात्मक आदेश पारित करने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि एसआइटी अगली बार बेहतर और व्यापक रिपोर्ट सौंपेगी।

### सरकार के कदमों से अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद: दांस

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि आर्थिक वृद्धि दर कम होकर 5 फीसद रहना 'हैरत में डालने' वाला है। हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार द्वारा हाल में उठाए गए कदमों से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीने से अर्थव्यवस्था में सुस्ती दिखाई दे रही है, उसमें तेजी लाने के लिए केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में कटौती कर रहा है। आरबीआइ जनवरी 2019 से अब तक नीतिगत दर में चार बार कटौती कर चुका है। केंद्रीय बैंक इस साल अब तक रेपो दर में कुल मिलाकर 1.10 फीसद की कटौती कर चुका है। रेपो दर वह है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अल्पकालीन कर्ज लेते हैं।दास ने समाचार चैनलों से कहा, 'सही कदम उठाए गए हैं, चीजों में सुधार आना चाहिए। यह एक सकारात्मक प्रवृत्ति है कि सरकार मसलों के समाधान को लेकर तेजी से कदम उठा रही है।' गौरतलब है कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हाल में कई उपायों की घोषणा की है। इसमें रीयल एस्टेट के लिए अलग से व्यवस्था, निर्यात प्रोत्साहन, बैंकों का एकीकरण और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यमों) और वाहन क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।

### बेहतर विश्व रैंकिंग के लिए लगातार मूल्यांकन जरूरी: निशंक

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 16 सितंबर।

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को मंत्रालय के दो कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। ये दोनों कार्यक्रम लीडरशिप फोर एकेडमियंस प्रोग्राम (लीड) और एन्अल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग (अर्पित) पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग पीएमएमएमएनएमटीटी) के तहत आयोजित किए जा रहे हैं।

इस मौके पर मंत्री ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) से कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हमें शिक्षा के क्षेत्र में नई चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास लक्ष्य और

दुरदर्शिता है। हमें बस बेहतर संयोजन की आवश्यकता है। हमें अपनी प्रगति को हर तीसरे महीने जांचना होगा ताकि हम विश्व से पीछे न रह जाएं। भविष्य में बेहतर विश्व रैंकिंग के लिए हमें लगातार अपना मूल्यांकन करना होगा।

> PUBLIC NOTICE armod Kumar R/o S-82/62B. lagdamba Camp. Sheikh Sarai Phase-I, Malviya Nagar, South Delhi-110017 has severe her elation from her daughter namely Nirmala aged 19 year and iolemnized marriage against the will of their family therefore Poonan (umari debarred her daughter name) Nirmala from her entire property i.e novable and immovable. If an erson deal with them in future the my lient shall not be responsible Pankaj Srivastava (Advocate) Chamber No. 466 Saket Court Complex Saket, New Delhi, Mob. 989919367

PUBLIC NOTICE This is to certify that my client Sm Suman w/o Late Prem Sagar Gandh r/o A-215, Ground Floor, Double Storey, Kalkaji, New Delhi- 110019

is disconding/ disassociate and debarred her son Kunal Gandhi aged 28 years, from all rights, liens titles and interest in her a properties, fixed assets, liquidate bank accounts, LIC, Pension, Share Jewellery etc. etc. from today. He has no rights, interest, liens and titles in respect of all movable and immovable properties & assets and he will never make any claim dispute, court case etc. in respect of my properties and assets.

SANYOGITA (ADVOCATE

Enrollment No. D/2906/99 R-16, Kalkaji Main Road New Delhi-110019 Mobile No. 9211204357

नई दिल्ली

विनीथ नरिसम्हन

DIN: 07576159

निदेशक

क्रिस्टल एडवॉयजर्स प्राईवेट लिमिटेड

के लिये तथा उसकी ओर से

न्यूनतम- 26.5 डि.से.

सूर्योदय- 6:27

सूर्यास्त- 18:25

जनसत्ता, नई दिल्ली, 17 सितंबर, 2019 3

सड़क पर सवारियां भर रहे थे दो ऑटो

# कार चालक ने मारी टक्कर; दो की मौत, गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 16 सितंबर।

स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में कार चला रहे एक युवक ने दो ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में सवारियों का इंतजार कर रहे दो ऑटो चालकों की मौत हो गई। साथ ही दोनों ऑटो क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना रविवार देर रात करीब 2 बजे पुलिस को मिली थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी कार चालक मोहित (23) को गिरफ्तार कर लिया। मृतक चालकों की पहचान स्वरूप नगर निवासी संजय (40) और जयकिशन गुप्ता (36) के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है।

पुलिस ने बताया कि शुरुआती छानबीन में पता चला है कि आरोपी चालक मोहित अपने पांच अन्य दोस्तों के साथ मुरथल से खाना खाकर लौट रहे थे। पुलिस ने कार जब्त कर ली है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

उत्तरी-बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त गौरव शर्मा ने बताया कि रविवार देर रात करीब 1 बजकर 52 मिनट पर पुलिस को सुचना मिली कि स्वरूप नगर में बस स्टैंड के पास एक कार चालक ने दो ऑटो में टक्कर मार दी है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मी भी मिले। दोनों घायलों को पास के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया वहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर एलएनजेपी अस्पताल भेज दिया गया. जहां



घटना के बाद क्षतिग्रस्त ऑटो की हालत।

• मौके पर मौजूद पिकेट पुलिस ने आरोपी को पकडा, दोस्त भागे

सोमवार सुबह करीब 8 बजकर 30 मिनट पर इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि छानबीन के दौरान पता चला कि रात करीब एक बजकर 40 मिनट पर आरोपी वाहन चालक मोहित खाना खाकर लौट रहा था। इसी दौरान जीटी करनाल रोड पर स्वरूप नगर बस स्टैंड के पास सवारियों का इंतजार कर रहे दो ऑटो में टक्कर मार दी।

इस हादसे में दोनों ऑटो चालकों को गंभीर चोटें पहुंची ओर ऑटो भी क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर की आवाज सुनकर पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मी आए और आरोपी चालक को दबोच लिया, जबिक उसके साथी वहां से भाग गए। आरोपी ने शराब पी रखी थी कि नहीं। इस बारे में पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस संबंध में काननी सलाह ली जा रही है।

### आइआइटी दिल्ली ने विकसित किया नया तंत्र

# पटरी पर आया हाथी तो दो किमी पहले ही रुकेगी ट्रेन

सुशील राघव नई दिल्ली, 16 सितंबर।

पटरी पर हाथी की मौजूदगी के बारे बताने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ऐसा तंत्र विकसित किया है जिसमें विभिन्न सेंसर के इस्तेमाल से यदि कोई हाथी पटरी पर आता है तो 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चल रही रेलगाड़ी के पायलट को सूचना मिल जाएगी और वह दो किलोमीटर पहले ही ट्रेन रोक सकेगा।

आइआइटी दिल्ली का यह प्रोजेक्ट रेलवे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से प्रायोजित है। तीन सालों में रेलगाड़ियों की दुर्घटना के कारण 60 से अधिक हाथियों की



मौत हो चुकी है। आइआइटी दिल्ली के सुब्रत कार के मुताबिक, यह तंत्र विभिन्न तरह के सेंसर पर आधारित है।

और लेजर सेंसर शामिल हैं। यह तंत्र को पटरी



पर आधारित है यह तंत्र

पर लगाना बहुत आसान है और हर नोड को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर लगाने में मात्र 30 मिनट का समय लगता है। नोड संचार के लिए किसी भी तरह के तार

की आवश्यकता नहीं होती है। सभी नोड बैटरी इसमें ध्विन सेंसर, इंफ्रारेड कैमरा सेंसर से संचालित होते हैं और सौर पैनल से इन बैटरियों को ऊर्जा मिलती है। उन्होंने बताया कि

जैसे ही कोई हाथी पटरी पर आता है तो इनमें से कोई न कोई सेंसर उसका पता लगाकर उस संदेश को रेलगाड़ी के चालक तक भेजेगा और वह समय रहते रेलगाडी को रोक लेगा। प्रोफेसर कार ने बताया कि हम भारतीय रेल के साथ मिलकर इस तंत्र को हाथियों के उन गलियारों के आसपास लगाएंगे जिनपर हाथियों की आवाजाही अधिक होती है।

इतना ही नहीं यह संदेश पास के रेलवे स्टेशन मास्टर तक भी भेजे जाएगा ताकि हाथियों को पटरी से हटाने की व्यवस्था की जा सके। जुलाई, 2019 में लोकसभा में रेलवे मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 2016 से 2018 तक 60 हाथियों की रेल दुर्घटनाओं में मौत हुई। 2019 में 20 जून तक पांच हाथियों की मौत हो चुकी थी।

### सम-विषम: दिल्ली सरकार के खिलाफ एनजीटी में याचिका

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 16 सितंबर।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में सोमवार को एक याचिका दायर कर चार से 15 नवंबर के बीच राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों के लिए 'सम-विषम (नंबर) योजना' लागु करने के आम आदमी पार्टी ( आप) सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। दिल्ली में यह योजना पहले भी दो बार लागु की जा चुकी है। सम-विषम योजना के तहत एक दिन सम नंबर प्लेट (आखिरी संख्या सम्) और अगले दिन विषम नंबर प्लेट ( आखिरी संख्या विषम) के वाहन चलेंगे। उसके बाद के दिनों में भी यह क्रम जारी रहेगा।

अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली की वाय गुणवत्ता पर सम-विषम योजना के प्रभाव का आकलन किया और यह पाया कि इसके क्रियान्वयन अवधि में शहर की वायु गुणवत्ता और खराब हो गई। दिल्ली में यह योजना जनवरी और अप्रैल 2016 में लागू की गई थी।

### समालखा एक्सटेंशन में अतिक्रमण पर गौर करने के निर्देश

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 16 सितंबर।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली के मुख्य सचिव को कापसहेडा सीमा के पास समालखा एक्सटेंशन में अतिक्रमण और अनियोमत बाजारों के मामले पर गौर करने का निर्देश दिया है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्तिं आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुख्य

याचिका में कहा गया है कि जब सीपीसीबी एवं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) जैसे देश के शीर्ष पर्यावरण प्रदुषण नियंत्रण बोर्डों ने एक स्वर में कहा है कि सम-विषम योजना 2016 में वायु प्रदूषण की समस्या पर रोक लगाने में नाकाम रही थी।

ऐसे में अन्य देशों के लोगों द्वारा किए गए महज एक अध्ययन के आधार पर सम-विषय योजना को दिल्ली में लागू करना, न सिर्फ अप्रिय है बल्कि यह सीपीसीबी और डीपीसीसी

सचिव को संबंधित प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी करने और एक महीने के भीतर मामले में एक समग्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अधिकरण ने यह आदेश दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) द्वारा दायर एक रिपोर्ट पर दिया जिसमें कहा गया है कि अनिधकृत कॉलोनी में कार्रवाई करने के लिए वह अधिकृत नहीं है और दिल्ली सरकार के बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए।

जैसी संस्थाओं की साख भी गिराएगा। याचिका के जरिए दिल्ली सरकार को अन्य देशों द्वारा किए गए उन अध्ययनों को सौंपने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। साथ ही, अध्ययन की सत्यता का पता लगाने

के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिकों की एक समिति गठित करने का भी अनुरोध किया गया है। दिल्ली के मख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 13 सितंबर को कहा था कि सम-विषम योजना पराली प्रदेषण पर सात सूत्री कार्य योजना का हिस्सा है।

#### भाजपा लगाएगी प्लास्टिक हटाओ-लड्डू खाओ शिविर

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 16 सितंबर।

भाजपा सांसद एवं पूर्व अध्यक्ष दिल्ली भाजपा विजय गोयल ने कहा कि मंलवार को केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के साथ वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर अजमेरी गेट पर शिविर लगाएंगे व सेवा सप्ताह के अंतर्गत 'नो टू प्लास्टिक' अभियान को एक लड्डू-एक प्लास्टिक की थीम के साथ करेंगे। गोयल ने कहा कि 1000 किलो लड्डू इस कार्यक्रम के लिए तैयार किए गए हैं। जो लोग प्लास्टिक का बहिष्कार करेंगे और कोई न कोई प्लास्टिक की वस्तु लेकर आएंगे तो उनको मोदी जी के जन्मदिन पर लड्डू खिलाया जाएगा।

गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति दिवाली पर सियाचीन में होता है, कभी कश्मीर के बाढ पीडितों के साथ होता है और उनका जन्मदिन भी सेवा के रूप में मनाया जाता है। गोयल ने आज सांसद डॉ सत्यनारायण जितया के साथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मरीजों का हालचाल पूछा और उनको फल दिए।

#### खबरों में शहर

#### अटल रसोई में कॉकरोच को लेकर निगम में हंगामा

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 16 सितंबर।

दिल्ली नगर निगम की महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं में एक अटल रसोई में काकरोच पाए जाने को लेकर सोमवार को हंगामा हुआ। दक्षिणी निगम की स्थायी समिति की बैठक में कांग्रेस के आयानगर के पार्षद वेदपाल ने कहा कि ग्रीन पार्क के पास स्थित अटल रसोई कैंटीन में काकरोच पाया गया। इस पर भाजपा की कमलजीत सहरावत ने कहा कि इसका सबुत देना चाहिए। तब वेदपाल ने कहा कि उनके पास वीडियो है। इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ।

#### प्लास्टिक और गंदगी के खिलाफ दी जानकारी

संपूर्णा के स्वयंसेवकों ने सम्पूर्णा संस्थापिका डॉ

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 16 सितंबर।

शोभा विजेंद्र के नेतृत्व में रोहिणी सेक्टर-8 की सफाई करने के साथ घर-घर जाकर सबको जागरूक करते हुए उनसे प्लास्टिक का बहिष्कार करने और कपड़े के थैलों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय निगम पार्षद आलोक शर्मा, मंडल अध्यक्ष महेंद्र जैन और महिला मोर्चा की अध्यक्षा प्रतिभा शर्मा भी उपस्थित रही। डॉ शोभा विजेंद्र ने स्वयंसेवकों के साथ कडे और प्लास्टिक को कूड़ेदान में डाला। सम्पूर्णा के सदस्यों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेक्टर-8 और सेक्टर-8 की डिवाइडिंग लाइन पर बने

#### अस्थि कलशों के विसर्जन की तैयारी

सेंट्रल वर्ज को साफ किया। नागरिकों से अनुरोध

किया कि वह सेंट्रल वर्ज पर कूड़ा न डालें।

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 16 सितंबर

पितुपक्ष में 18वी अस्थि कलश विसर्जन यात्रा की तैयारियां के लिए श्री देवोत्थान सेवा समिति ने सिंगापुर, दुबई, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, अमदाबाद, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सहित दिल्ली और आस पास के विभिन्न श्मशान घाटों से हजारों अस्थि कलशों को एकत्र कर लिया है। समिति के अध्यक्ष अनिल नरेंद्र ने बताया कि इन अस्थिकलशों की साफ-सफाई का काम 18 सितंबर, 2019 बुधवार को निगम बोध घाट, जमना बाजार पर प्रारंभ होगा।

#### आज के कार्यक्रम

#### सभा/संगोष्ठी

epaper.jansatta.com

इंडिया हेबीटेट सेंटर : गायतुंडे स्मारक व्याख्यान, गुलमोहर हॉल, लोधी रोड, शाम सात बजे।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : कुंवर नारायण की याद में कार्यक्रम, सीडी देशमुख सभागार, शाम ६:३० बजे।

# डेंगू से निपटने को केजरीवाल ने मांगा केंद्र का साथ


जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 16 सितंबर।

दिल्ली में जल जनित बीमारियों से बचाव स्निश्चित करने के उद्देश्य से 10 हफ्ते, 10 बजे, 10 मिनट अभियान में केंद्र सरकार को शामिल होने का निमंत्रण देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन को पत्र लिखा है। डेंगू के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान पर मुख्यमंत्री ने याद दिलाया है कि प्रदूषण के खिलाफ सम-

विषम की पहल इसलिए सफल हो पाई थी क्योंकि सभी ने मिलकर प्रयास किया था। अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने एक सितंबर से एक

अभियान छेड़ा है जिसमें लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जा रहा है कि वह अपने घर और आसपास ठहरे पानी में मच्छर पैदा नहीं होने दें। केजरीवाल ने कहा कि

अभियान में पुरी दिल्ली से अपील की गई है। कि वे अगले 10 रविवार, 10 बजे, 10 मिनट का समय जरूर निकालें और अपने घर व आसपास ये चेक कर लें कि कहीं साफ पानी तो इकट्ठा नहीं है क्योंकि यहीं एडीज मच्छर



और केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों को इस अभियान में शामिल होने का आमंत्रण देता हूं। आपकी भागीदारी अन्य लोगों को इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी।

पैदा होते हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि मेरे सभी मंत्री, विधायक, पार्षद और दिल्ली सरकार के अधिकारी व कर्मचारी इस अभियान में शामिल हैं। हम 15

नवंबर तक ये अभियान चलाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को निमंत्रण देते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लिखा है कि दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारी हर रविवार को 10 बजे अपने घर की

और हर शुक्रवार को 11 बजे अपने दफ्तर की चेकिंग करते हैं। केजरीवाल ने लिखा है कि केंद्र सरकार के साथ काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या काफी ज्यादा है और वे दिल्ली में ही रहते हैं।

#### दिल्ली में मलेरिया के मामले 250 तक पहुंचे

दिल्ली में इस साल अब तक मलेरिया के मामलों की संख्या करीब 250 पहुंच गई है, जिसमें सितंबर के पहले दो हफ्तों में ही मलेरिया के कम से कम 93 मामले सामने आए हैं। सोमवार को जारी नगर निगम की एक रिपोर्ट के मृताबिक यह जानकारी सामने आई है। यह संख्या इस साल किसी भी महीने में सामने आए मलेरिया के मामलों में सबसे अधिक है।

शहर में वेक्टर जनित बीमारियों के आंकड़ों को सुचीबद्ध करने वाले दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के अनुसार, 14 सितंबर तक डेंगू के 171 मामलें रिपोर्ट किए गए हैं। मलेरिया के मामलों ने पिछले कई हफ्तों से दिल्ली में डेंग के मामलों को पीछे छोड दिया है। अगस्त में मलेरिया के 56, जुलाई में 54, जून में 35, मई में आठ और अप्रैल में एक मामला सामने आया था। सितंबर में डेंगू के 79, अगस्त में 52, जुलाई में 18, जून में 11 मामले और बाकी जनवरी से मई के बीच दर्ज किए गए हैं।

### भंडारे के लिए 'क्रॉकरी बैंक' बनेगा

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 16 सितंबर।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष जय प्रकाश ने सोमवार को बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दैनिक जीवन में एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक को बंद करने के लिए क्राकरी बैंक बनाने का फैसला किया है।

जहां-जहां भंडारे लगाए जाते हैं या सामाजिक भोज का आयोजन किया जाता है वहां पर क्राकरी बैंक बनाने के लिए सभी संस्थाओं को प्रेरित किया जाएगा। यह बैंक भोज के लिए बर्तन उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार का एक क्राकरी

बैंक सदर बजार की एक सामाजिक संस्था ने किया हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान को दो अक्तूबर, 2019 को गांधी जयंती तक चलाया जाएगा। अभियान के लिए जागरूकता सामग्री के रूप में शपथ, प्लास्टिक रहित क्षेत्र के लिए स्टिकर और बैनर विकसित किए गए हैं।

प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग को ना कहने के लिए कार्यालय, संस्थानों आदि में प्रतिज्ञा ली जाएगी। आम जनता के दैनिक उपयोग में प्लास्टिक से बने सामानों जैसे बैग, गिलास, चम्मच, स्ट्रा, सजावटी सामग्री, थर्मोकोल और प्लास्टिक की बोतलों आदि के उपयोग को हतोत्साहित करने पर जोर दिया जाएगा।

### फिल्मी अंदाज में शोरूम लूटने पहुंचे, तीन गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 16 सितंबर।

नेताजी सुभाष प्लेस थाना पुलिस ने दो महिला समेत तीन लोगों को एक आभूषण शोरूम मालिक से फिल्मी अंदाज में पांच लाख वसली करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

आरोपियों ने अपने आप को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा का अधिकारी बताया था। हालांकि मालिक को उनके हाव भाव से शक हो गया, जिसके बाद इसकी जानकारी चुपके से

उसने पुलिस को दे दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दो महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया। इस बीच एक महिला मौका देख कर फरार हो गई। गिरफ्तार किए गए पहचान दीपक कुमार (33) उसकी पत्नी ज्योति (33) और महिला साथी पूनम सेठी (43) के रूप में हुई है। तीनों आरोपियों के कब्जे से चार मोबाइल फोन नेशनल क्रॉइम इंटेलिजेंस ब्यूरो और दोस्त पुलिस के जाली प्रमाण पत्र जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस शोरुम से फरार हुई चौथी महिला की तलाश कर रही है।

#### क्लस्टर बस में लगी आग

नई दिल्ली। राजधानी में सोमवार को कड़कड़डूमा मोड़ के पास दिल्ली परिवहन निगम की एक क्लस्टर बस में भीषण आग लग गई। बस में आग लगने की घटना से अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते बस धू-धूकर जलने लगी। आनन-फानन में बस में सवार यात्रियों को बाहर निकाला गया। गनीमत यह रही कि इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। शुरुआती जांच में शार्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। पुलिस ने अन्य बिंदुओं से भी मामले की जांच शुरू कर दी है। (जनसत्ता संवाददाता)

### मेट्रो के सामने कूदकर महिला ने की खुद्कुशी

नई दिल्ली, 16 सितंबर

जनसत्ता संवाददाता

दिल्ली मेट्रो के गुरु तेगबहादुर नगर मेट्रो स्टेशन पर एक महिला ने खुदकुशी कर ली। आजादपुर इलाके के इस स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-2 पर सोमवार सुबह पौने 9 बजे चलती येलो लाइन की ट्रेन के आगे महिला ने छलांग लगाई। इससे कुछ देर के लिए ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही। मरने से पहले उसने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है। पुलिस उनके परिजनों से पूछताछ कर खुदकुशी का कारण पता कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, महिला को बाड़ा हिंदू राव अस्पताल पहुंचाया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। महिला के पर्स से एक मोबाइल मिला जिससे उसकी पहचान शक्तिनगर के रोशनआरा गार्डन के पास की रहने वाली आयशा खान के रूप में हुई। ट्रेन समयपुर बादली जा रही थी। घटना के कारण कुछ देर के लिए सेवाएं बाधित रहीं। रविवार को चीनी मांझे के कारण दिल्ली मेट्रो ट्रेन रेड लाइन की रफ्तार थम गई थी।

# फोनः 011-26164817/26197769, टेलीफैक्सः 26171554, ईमेल आईडीः recovey\_del@mahabank.co.in

14.9.2019 का शुद्धिपत्र

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम 2002 (सरफैसी अधिनियम) के अंतर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये फाइनांसियल एक्सप्रैस के पेज नं. 17 तथा जनसत्ता के पेज नं. 13 पर सार्वजनिक बिक्री सूचना तिथि

लॉट नं. 3 में सम्पत्ति के लिये सम्पत्ति की ई-नीलामी सूचना में सम्पत्ति का माप 2.443 एकड दिया गया है जिसे सम्पत्ति माप 0.9243 एकड पढें, सम्पत्ति के शेष विवरण अपरिवर्तित तथा पर्ववत रहेंगे। फाइनांसियल एक्स्प्रैस के पेज नं. 17 तथा जनसत्ता के पेज नं. 13 पर सचना तिथि 14.9.2019 में वर्णित ई-नीलामी के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे तिथि: 16.9.2019, स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी

VASTÛ

वास्तु हाउसिंग फाइनांस कॉपोरेशन लि. युनिट 203 एवं 204, 2रा तल, "ए" विंग, नवभारत इस्टेट, जकरिया बंदर रोड, सेवरी (वेस्ट), मुम्बई-400015, महाराष्ट्र, CIN No.: U65922MH2005PLC272501

कब्जा सचना (अचल सम्पत्ति के लिये) **जैसा कि**, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम

2002 के अंतर्गत वास्तु हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 11.6.2019 जारी कर ऋणधारक/कों श्री नवीन नागर (आवेदक), श्रीमती अंजू (सह-आवेदक) को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 34,06,576/- (रुपए चौंतीस लाख छह हजार पांच सौ छियत्तर मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक, गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 12 सितम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 34,06,576/ (रुपए चौंतीस लाख छह हजार पांच सौ छियत्तर मात्र) तथा उस पर ब्याज एवं लागत आदि के लिये वास्तु हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (गाजियाबाद शाखा) के चार्ज के अधीन होगा। अचल सम्पत्ति का विवरण

खसरा नं.-1299/610, ग्राम मंडावली फाजलपुर इलाका शाहदरा, पंडित चौक के निकट, दिल्ली

तिथि: 17.9.2019

चौहद्दी इस प्रकार है: पुर्व: 20 फीट रोड, पश्चिम: गव. स्कुल, उत्तर: सम्पत्ति सं. ई-158, दक्षिण: प्लॉट नं.–157–सीआर

स्थानः गाजियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी, वास्तु हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लि.

# XAVIER UNIVERSITY BHUBANESWAR

#### **EXCELLENCE & INTEGRITY** ...the winning way

**Invites applications for Admissions to** 

P.G. & Doctoral Programs - 2020

Xavier Institute of Management (XIMB) Xavier School of Human Resource

**XUB Advantages** Excellent

Academic/Learning Experience. Globally/Industry

aligned Curriculum. Eminent and Committed Faculty. Top Ranked

Programs. Excellent Infrastructure with

**Green Campuses.** International **Collaboration and** 

**Student Exchange** Career Advisory Services.

Educational Loan Facility.

**Eligibility and** other details and Online Application Form

www.xub.edu.in

Global MBA (M.Sc.- Track)

 International Master's Program in Management (MBA-Global) One-Year MBA in Business Management

MBA in Business Management (MBA-BM)

 One-Year MBA in Business Analytics for Executives (EMBA-BA) **Xavier School of Sustainability (XSOS)** MBA in Sustainability Management (MBA-SM)

for Executives (EMBA-BM)

**Xavier School of Commerce (XSC)**  Master of Business Finance (MBF) **Xavier School of Computer Science & Engineering (XCOMP)** 

 Master of Technology in Data Science & Analytics (MTech-DSA) Master of Technology in Artificial

Intelligence (MTech-AI) **School of Government and Public Affairs (SGPA)** Master of Public Policy

[with concentration in Business] (MPP) **Xavier-Emlyon Business School (XEBS)** 

Global MBA

**Settlements (XAHS)** MBA in Urban Management

**Management (XAHR)** 

(MBA-HRM)

(MBA-RM)

MBA in Human Resource Management

• One-Year Postgraduate Program in

**Working Executives (ECHR)** 

**Xavier School of Rural** 

MBA in Rural Management

**Xavier School of Human** 

**Management (XSRM)** 

**Human Resource Management for** 

and Governance (MBA-UMG) Master of Urban and Regional Planning

**Xavier School of Communications** 

(XCOMM) Master of Mass Communication

(MA-MC) Master of Advertising and Public

Relations (MA-ADV & PR) **Xavier School of Economics (XSE)** 

 Master of Economics (MSc-Economics) For Doctoral Programs visit: www.xub.edu.in/doctoral-programs.html CAT/XAT/GMAT/X-GMT scores are used for shortlisting candidates for our PG programs in

process or in the conduct of the programs. **LAST DATE** Programs: PG (MBA/MBF) - Dec 9, 2019; PG (Others) - May 31, 2020; PhD - Feb 28, 2020

नई दिल्ली

Management, NMAT by GMAC scores are also accepted for MBA-HRM, MBA-RM, MBA-SM, MBA-UMG and MBF programs. XLRI or IIMs have no role either in the selection



27.1 डि.से. 27.1 डि.से. 27.1 डि.से. 27.1 डि.से.

जनसत्ता, नई दिल्ली, 17 सितंबर, 2019 4

#### लोकसभा अध्यक्ष से मिला दिल्ली पत्रकार संगठन

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 16 सितंबर।

दिल्ली पत्रकार संघ का नवनियुक्त कार्यकारिणी के सदस्यों और नेशनल यूनियन ऑफ जर्निलस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल लोक सभा अध्यक्ष ओम बिडला

से उनके निवास स्थान पर मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उनको एक ज्ञापन दिया जिसमें पत्रकारों की समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। बिड़ला ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वतंत्र और सशक्त मीडिया का होना जरूरी है।

#### नए मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता

हाल में ही लागू किए गए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ यूनाइटेट फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सोमवार को जंतर मंतर

पर केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ की राशि समेत चार मुद्दों पर विरोध कर

और जबरन वसूली के मामले सामने आएंगे। इससे वाहन चालकों और मालिकों का उत्पीडन किया जाएगा।

# 'दिल्लीवालों को नहीं चुभ रही है मंदी'

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 16 सितंबर।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की योजनाओं के चलते राष्ट्रीय राजधानी को आर्थिक मंदी की चुभन महसूस नहीं हुई है। केजरीवाल ने कहा कि अर्थव्यवस्था भीषण मंदी से गुजर रही है और केंद्र सरकार से अपील की कि वह स्थिति की बेहतरी के लिए जरूरी

कदम उठाए। संयोजक केजरीवाल ने रविवार को कहा कि वह चाहते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो। उन्होंने व्यापार और उद्योग मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि मैं खुद व्यापारी परिवार से हूं और व्यापारियों की व्यथा, दर्द और लिए बस का सफर भी मुफ्त होगा।

• मुख्यमंत्री का दावा, 'आप' सरकार की योजनाओं की वजह से नहीं पड़ा फर्क

समस्याओं को अच्छी तरह समझता हूं। इस आर्थिक मंदी के समय में दिल्ली सरकार की योजनाओं के चलते राजधानी के लोग उतनी अधिक चुभन महसूस नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार मंदा पड़ रहा है और लोगों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय जबिक उनके खर्च बढ़ रहे हैं, ऐसे में उनकी सरकार ने यहां के लोगों राजधानी में एक कार्यक्रम के दौरान को बहुत अधिक मदद पहुंचाई। उन्होंने कहा कि हमने 200 यूनिट तक का बिजली बिल माफ कर दिया। हमने मुफ्त पानी मुहैया कराया और पानी के पुराने बिल माफ कर दिए। अब महिलाओं के

# जेएनयू में 18 छात्राओं के साथ



जनसत्ता संवाददाता

जवाहरलाल विश्वविद्यालय (जेएनयू) में सोमवार को कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की तीन दिल्ली छात्रा बटालियन दफ्तर उद्घाटन किया गया। इस बटालियन के लिए 18 छात्राएं आयु और शारीरिक क्षमता के आधार पर चुनी गई हैं।

इस मौके पर कर्नल शर्मा ने कैडेट को प्रशिक्षण और एनसीसी के

लक्ष्य के बारे में बताया। इसके अलावा उन्हें देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी और भूमिका के बारे में भी समझाया। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष में छात्राओं की बटालियन का स्थापित होना अच्छी बात है। उन्होंने छात्राओं से एनसीसी और पढ़ाई में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी कहा। इस मौके पर रेक्टर तृतीय प्रोफेसर आरपी सिंह, एनसीसी के कर्नल पीषूय शर्मा व मेजर मंजू और एसोसिएट डीन छात्र कल्याण

# एनसीसी की बटालियन स्थापित



नई दिल्ली, 16 सितंबर।

डॉक्टर बुद्धा सिंह मौजूद थे।

# संविदा कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना किया शुरू

जनसत्ता संवाददाता नोएडा, 16 सितंबर।

सेक्टर- 6 स्थित प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय के सामने नोएडा अस्थायी कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरने में करीब एक हजार कर्मचारियों के पहुंचने से प्राधिकरण के अधिकांश विभागों का कामकाज प्रभावित हुआ। बातचीत के लिए ओएसडी के प्रस्ताव को

कर्मचारियों ने नकार दिया। शुरू हुआ धरना शाम छह बर्ज तक चला। मंगलवार सुबह फिर से कर्मचारियों ने धरना करने का ऐलान है। धरने में सफाई कर्मचारी, विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर के अलाव अवर अभियंता तक शामिल हुए। जिस वजह से प्राधिकरण में काम कराने आए लोगों को वापस लौटना पड़ा। काम भी नहीं करा पाए। संघ के

महासचिव विनोद कुमार शर्मा के मुताबिक निकाले गए 50 कर्मचारियों को वापस लेने की मांग की जा रही है। इस मांग को कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। इसके अलावा संविदा पर काम करने वाले करीब 4571 कर्मचारियों को सीधे प्राधिकरण से जोड़ने, सातवां वेतनमान लागू करने, झुग्गी वालों की तरह उन्हें भी फ्लैट देने की मांग की है। इसमें से कर्मचारियों को वापस लेने और ठेकेदार के बजाए सीधे प्राधिकरण से जोड़ना मुख्य मांग है। उन्होंने कहा कि सुबह करीब साढ़े 10 बजे से प्राधिकरण सीईओ से ही बातचीत को जाएगी। जब तक मार्ग नहीं मानी जाएंगी, तब तक धरना जारी रहेगा। दूसरी तरफ, प्राधिकरण के विशेषकार्याधिकारी अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि 13 सितंबर को सीईओ की अध्यक्षता में कर्मचारियों के साथ बैठक हुई थी। उचित मांगों का मान लिया गया था। अगली बोर्ड बैठक में फ्लैट देने का प्रस्ताव कंप्यूटर ऑपरेटर के नहीं होने पर रखने, पे स्लिप व फोटो युक्त अधिकारी अपने विभाग से संबंधित आईकार्ड देने की मांगों पर काम शुरू हो गया है।

### रंग-बिरंगी लेजर रोशनी से स्वागत करेगा नोएडा

जनसत्ता संवाददाता नोएडा, 16 सितंबर।

दिल्ली के चिल्ला रेगुलेटर के वाले दिनों में रंग-बिरंगी लेजर लाइटों से स्वागत होगा। प्रवेश द्वार के पास बने पार्क को लेजर पार्क के रूप में तब्दील किया जाएगा। पार्क में लगे फव्वारों को लेजर शो के जरिए प्रदेश की विरासत के बारे में जानकारी दी जाएगी। लेजर पार्क में

शो देखने के लिए शुल्क भी लिया जाएगा। शुल्क कितना होगा और लेजर पार्क बनाने में कितना खर्च आएगा, इसका सर्वे किया जा रहा पास बने नोएडा प्रवेश द्वार पर आने है। नोएडा प्रवेश द्वार के पास बने पार्क में लेजर शो का आनंद लेने के लिए बैठक गैलरी बनाई जाएगी। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर एक प्रस्तुतिकरण तैयार कर सीईओ समेत उच्चाधिकारियों के समक्ष दिखाया जाएगा और परियोजना पर होने वाले खर्च की मंजुरी ली जाएगी।

नई दिल्ली, 16 सितंबर।

बीच में रोक दिया। एसोसिएशन से जुड़े ट्रांसपोर्टर्स नए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम-2019 में बढाए गए जुर्माने

प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में रहे हैं। विरोध में शामिल ट्रांसपोर्टरों का ट्रांसपोर्टरों ने संसद भवन की ओर विरोध मानना है कि जुर्माने की राशि कहीं मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने उन्हें अधिक बढ़ाए जाने की वजह से भ्रष्टाचार

वेटी बचाओ वेटी पढ़ाओ

लिंगानुपात-919

फसल अवशेष प्रबंधन

1194

कस्टम हायरिंग सेंटर

पौधागिरी योजना

18.43 लाख

विद्यार्थियों द्वारा पौधारोपण

आयुष्मान भारत योजना

३४ करोड रूपये

से अधिक के क्लेम दिए

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना

6,000 रूपये

वार्षिक आर्थिक सहायता

12,697 खिलाड़ियों को

303 करोड़ रूपये

से अधिक की इनाम राशि

(जुलाई २०१९ तक)

# म्बाह्य प्रयास खा इतिहास

मनोहर सरकार

विकास अपार

हरियाणा सरकार वचनबद्ध है जन-जन के कल्याण के लिए



विजली के बिल हुए आधे ४१ लाख

उपभोक्ताओं को लाभ



उज्ज्वला योजना

9,12,000

से अधिक

गरीब परिवार लाभान्वित



पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना 1.30 लाख से अधिक पशुओं का बीमा





म्हारा गांव-जगमग गांव

4,200 से अधिक गांव

तथा 9 जिले

शहीद सैनिकों के

२९३ आश्रितों

को नौकरियां

24 घण्टे बिजली ४९१







लगभग 6 लाख शिकायतों का निवारण



अंत्योदय की ओर

सेवाएं व योजनाएं

एक ही छत के नीचे

ई.पी.डी.एस. पोर्टल

1.17 करोड

उपभोक्ताओं को

राशन

प्रधानमंत्री आवास योजना

46,000

से अधिक घर (ग्रामीण + शहरी)

मुख्यमंत्री व्यापारी निजी दुर्घटना बीमा योजना

५ लाख रूपये

तक का बीमा कवर

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 29,57,832 शीचालय



आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 1,83,294 एस.सी. व गरीब परिवार लाभान्वित

सुकन्या समृद्धि खाता योजना 4,73,248 खाते खोले गए

पर्यावरण बचाओ

🂝 सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा | www.prharyana.gov.in

🌑 प्लास्टिक भगाओ

मुख्य अभियंता का कार्यालय 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची ई- अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

श्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, शुमला ई-निविदा आमंत्रण सूचना

ई- निविदा सूचना संख्या - RDD/SD/GUMLA/10/2019-20 कार्य पूर्ण करने की परिमाण अग्रधन की कार्य का नाम विपत्र का मूल्य प्राक्कलित राशि गुमला जिला के घाघरा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम–बरांग 37616600.00 754000.00 10000.00 के पंचायत-सेहल में बांकी नदी पर पुल निर्माण। 18 माह

2. वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि - 04.10.2019

1.कार्य की विस्तृत विवरणी

3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय - 11.10.2019 अपराहन 5:00 बजे तक

4. ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गुमला / मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेश प्रक्षेत्र, एफ0 एफ0 पी0 भवन, धुर्वा, रौंची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, Bank Credit Certificate एवं Affidavit जमा करने की तिथि एवं समय 12.10. 2019 अपराहन 05:00 बजे तक

5. निविदा खोलने का स्थान – मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेश प्रक्षेत्र, एफ0 एफ0 पी0 भवन, धुर्वा, राँची

निविदा खोलने की तिथि एवं समय — 14.10.2019 अपराह्नन 2:00 बजे

7. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :— कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गुमला। ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं० – 9430154806 (संबंधित कार्यपालक अभियंता का दूरभाष नम्बर)

9. निविदा शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेश प्रमंडल, गुमला के पदनाम से देय हो देना होगा।

विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाईट www.jharkhandtenders.gov.in एवं कार्यालय की सूचना पट्ट पर P.R. 217184 Rural Development(19-20)-D बूंद - बूंद नहीं बरतेंशे तो बूंद को तरलेंशे ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,गुमला।

झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा०का०मामले)

ई-निविदा संख्या:- 99/RI/2019-20/RDD(RWA)/DUMKA दिनांक: 16.09.2019

| Ф0   |   |  | प्राक्कलित राशि (रूपये में) |  |                          | Control Inc. 1       |
|------|---|--|-----------------------------|--|--------------------------|----------------------|
| DÍO. | आईडेन्टी फिकेशन<br>संख्या/ पैकेज संख्या | कार्य का नाम   | अंक में                     | अक्षर में  | कार्य समाध्ति<br>की तिथि | टेण्डर<br>कॉल<br>नं0 |
|      | RDD(RWA) /<br>DUMKA/08/ 2019-20         | आरवर्द्0औ० पथ कुरूम्बा से धरमपुर तक पथ का<br>सुद्दीकरण कार्य (ल- 4.760 कि०मी०) | 1,08,08,797.00              | एक करोड आउ लाख आठ हजार<br>सात सौ सनतानवे रू० मात्र | 09 माह                   | द्वितीय              |

वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि:— 23.09.2019

3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:- 01.10.2019 अपराह्न 5.00 बजे। 4. जिला नियंत्रण कक्ष, रांची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि:— 03.10.2019 पूर्वाहन 10.00 बजै से अपराहन 3.30 बजे तक। निविदा खोलने की तिथि एवं समय:— 04.10.2019 पूर्वीहन 11.30 बजे।
 निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:— मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा०का०मामले),

झारखंड, रांची, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, रांची। 7. ई-निविदा प्रकोष्ट का दूरभाष सं0- 0651-2207818

8. निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गृत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मॉमले), कार्य प्रमंडल, **दुमका** के पक्ष में भुगतेय होगा जो लौटाया नहीं जायेगा। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है। नोडल पदाधिकारी

PR 217086 (Rural Work Department)19-20\*D ब्रूंद - ब्रूंद गर्हीं बरतेंगे तो ब्रूंद को तरसेंगे

ई-प्रोक्यूर्मन्ट सेल

#### epaper.jansatta.com

# अयोध्या विवाद: मध्यस्थता प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए नई अर्जी

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

एक हिंदू और एक मुसलिम पक्षकार ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए नियुक्त मध्यस्थता समिति की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए एक नई अर्जी दी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एफएमआइ कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाली मध्यस्थता समिति के एक करीबी सूत्र ने बताया कि तीन सदस्यीय समिति को एक पत्र मिला है जिसमें मध्यस्थता प्रक्रिया को फिर से शुरू किए जाने की मांग की गई है। सूत्र ने बताया कि समिति ने निर्देश के लिए शीर्ष अदालत को इस पर एक रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने बताया कि दो पक्षकारों सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्वाणी अखाड़ा ने कहा है कि पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा शीर्ष अदालत में इस मामले में की जा रही सुनवाई को रोके बिना मध्यस्थता प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है।

इस बीच, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुसलिम पक्षकारों ने भगवान राम की 'जन्मभूमि' को एक पक्ष बनाए जाने के निर्णय का सोमवार को विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि

ऐसा केवल यह सुनिश्चित करने के लिया किया गया है कि कोई अन्य व्यक्ति विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि पर दावा नहीं कर सके।

इससे पहले 'राम लला विराजमान' के वकील ने दावा किया था कि भगवान राम का जन्मस्थान भी एक देवता है और मुसलमान 2.77 एकड़ की विवादित भूमि पर दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि संपत्ति का किसी भी तरह विभाजन देवता को 'खंडित' करने के समान होगा।

सुन्नी वक्फ बोर्ड और मूल वादी एम सिद्दिक समेत अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ को बताया कि जन्मस्थान एक न्यायिक इकाई नहीं हो सकता है और इसके अलावा, यह 1989 में एक पार्टी बना दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई कानून इस पर लागू न हो और अन्य दावेदारों को दावा करने से रोका जा सके। राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले में प्रतिदिन हो रही सुनवाई के 24वें दिन शीर्ष अदालत ने 'भौतिक' संपत्ति को भी पक्षकार बनाये जाने संबंधी धवन की दलील का संज्ञान लिया।

#### सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से पूछा कि क्या सीधा प्रसारण संभव

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपनी रजिस्ट्री से कहा कि वह उसे सूचित करे कि क्या अयोध्या में रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मुकदमे की सुनवाई का सीधा प्रसारण संभव है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर के पीठ ने रजिस्ट्री से यह भी जानना चाहा कि यदि ऐसा करना संभव हो तो ऐसा करने के लिए कितना समय चाहिए।

पीठ ने आदेश में कहा, 'रजिस्ट्री यह बताए कि क्या सीधा प्रसारण हो सकता है और ऐसा करने के लिए कितना समय लगेगा।' राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि याचियों का शीर्ष अदालत में पूरा विश्वास है लेकिन इस प्रकरण के अधिकांश याची रोजाना सुनवाई के लिए नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि चुंकि वे कार्यवाही देख नहीं सकते हैं, इसलिए इसका सीधा प्रसारण उन्हें सुनवाई के ब्योरे के बारे में जानकारी देने में मददगार होगा।

पीठ द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद सिंह ने न्यायालय से जाना चाहा कि यह जानकारी रजिस्ट्री को कब तक देनी है। इस पर पीठ ने कहा कि यह रजिस्टी पर निर्भर करता है। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति सूर्य कांत के पीठ ने छह सितंबर को गोविंदाचार्य की याचिका प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पीठ के पास भेज दी थी।



#### PMC FINCORP LIMITED CIN: L27109UP1985PLC006998

Regd Office:- B-10 VIP Colony, Civil Lines Rampur UP-244901 Corp Office:- 14/5, Old Rajinder Nagar, New Delhi-110060 Ph: 011-42436846 Email:- pritimercantile@gmail.com website: www.pmcfinance.in

Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June 2019

| Statement of Standardie Shaudited Financial Results for the quarter ended Soul June, 2013 |      |
|---|------|
| (₹ in La  | ics) |

| D-discher   |            | r Ended    |  |
|---|------------|------------|--|
| Particulars   | 30.06.2019 | 30.06.2018 |  |
|   | Unaudited  | Unaudited  |  |
| Total Income from Operation (Net)   | 146.98     | 146.08     |  |
| Net Profit/(Loss) from the ordinary activities after tax                                | 86.67      | 88.51      |  |
| Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)                  | 86.67      | 88.51      |  |
| Equity Share Capital  | 5090.61    | 5090.61    |  |
| Reserve (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance sheet of previous year) | 1713.37    | 1626.70    |  |
| Earning Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 1/- each)                        |            |            |  |
| Basic:  | 0.03       | 0.02       |  |
| Diluted:  | 0.03       | 0.02       |  |
| Earning Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 1/- each)                         | -          |            |  |
| Basic:  | 0.03       | 0.02       |  |
| Diluted:  | 0.03       | 0.02       |  |

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarter ended 30.06.2019 Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirments) Regulation 2015. The Full format of the Quarter ended Financial Results are available with Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Comapny's website www.pmcfinance.in. The Detailed Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30.06.2019 have been reviewed by the Audit committee and approved by the Board of Directors in their respective meeting held on 14.09.2019. The figures of the previous period/year have been regruped/recast wherever considered necessary, to confirm to current year classification.

For PMC FINCORP LIMITED

Place: New Delhi Date: 14.09.2019

Sd/-RAJ KUMAR MODI Managing Director

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली 4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ई-नीलामी बिक्री सूचना

तिथि: 5.9.2019 केनरा बैंक बनाम राज अरोड़ा एवं अन्य आर.सी. नं. 04/2018 ''आदेश' कथित रिकवरी प्रमाण पत्र में मेरे आदेश तिथि 5.9.2019 के अनुसार सी बी बनाम राज अरोड़ा एवं अन्य के मामले में ई–नीलामी बिक्री द्वारा नीचे वर्णित

संपत्ति की बिक्री की जाएगी

यह नीलामी बिक्री वेबसाईट https://www.drt.auctiontiger पर ''ऑन लाईन ई-नीलामी'' होगी।

ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 6.11.2019 **को** 3.00 **बजे अप से 4 बजे अप तक।** (यदि जरूरी हुआ, समाप्ति से पूर्व बोली प्राप्त होने पर 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ।)

क्रम सं. सम्पत्ति का विवरण आरक्षित मूल्य/ईएमडी सम्पत्ति डोडोए फ्लेंट न. 134, तासरा तल, पाकट-इं, सेक्टर बी-2, नरेला, [रु. 10.80.000/- (रुपये दस लाख अस्सी हजार मात्र) ईएमडीः रु. 1,08,000/- (रुपये एक लाख आठ हजार मात्र)

नियम एवं शते

. नीलामी/बोली वेबसाईट के माध्यम से ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति द्वारा होगी।

2. इच्छुक बोलीदाता को अग्रिम में सेवा प्रदाता के पास भागीदारी का पंजीकरण कराना होगा तथा ई–नीलामी में भाग लेने के लिये यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा। निर्धारित पद्धत्ति में वांछित धरोहर राशि का भुगतान कर हीं वह प्राप्त किया जा सकता है।

. ईएमडी का भुगतान 4.11.2019 तक रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिर्ल्ल के पास किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई–मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद के मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेर्ग तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी,

रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III दिल्ली के पास जमा की जायेगी। . संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मै. ई प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लि. (ABC Procure, ए-201/208, वाल स्ट्रीट-II, ऑरिएन्ट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 गुजरात (भारत) टेली.:+91 07961200594/598/568/537/538 से ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं तथा ई-नीलामी एवं बोली वेबसाईट https://www.drt.auctiontiger द्वारा ''ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली'' द्वारा आयोजित होगी। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये इच्छुक बोलीदाता श्री नितीश झा, मो. नं. 7982880393, ईमेलः delhi@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।

. किसी भी प्रकार की पूछताछ तथा सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये इच्छुक बोलीदाता सीएच बैंक के अधिकारी से सम्पर्क करें। अधिक विवरणों के लिये सम्पर्क करें: रणजीत कुमार, सीएच बैंक के मुख्य प्रबंधक, मो.नं. 9773670093 . संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने से पूर्व बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये वेबसाईट

https://www.drt.auctiontiger देखें।

8. सम्पत्ति को आरक्षित मल्य के नीचे नहीं बेचा जायेगा। 9. बोलीदाता रु. 50,000/- के गुणक में प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं।

10. संपत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है आधार तथा जो भी वहां है आधार'' पर की जायेगी।

11. सफल बोलीदाता को बिक्री की घोषणा के अगले दिन के 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 3 में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी को समायोजित करने के बाद 25% बिक्री मुल्य का भुगतान करना होगा। यदि अगले दिन रविवार या अवकाश होता है तो फिर अगले कार्य दिवस को।

12. सफल बोलीदाता को सम्पत्ति की नीलामी की तिथि से 15 वें दिन, अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में 1000/- तक 2% तथा उससे अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में देय शेष 75% बिक्री राशि का भगतान करना होगा।

13. निर्धारित अवधि में भुगतान में चुक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे के डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चुक करने वाले क्रेता को उस सम्पत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे से वंचित हो जाएंगे।

14. रिकवरी अधिकारी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त हैं।

15. असफल बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि अपने ईएमडी के रिफंड के लिये आरसी की सुनवाई की अनुसूचित तिथि को या उससे पूर्व डीआरटी-III

के रजिस्ट्री में पहचान के प्रमाण के साथ आवेदन दाखिल करें जो तदनुसार आरसी की सुनवाई की अनुसूचित/परवर्ती तिथि को वापस लौटाई जायेगी।

(अनिल कुमार यादव) रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली

### कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न मामलों को लेकर बने मंत्री समूह ने की बैठक

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न किस तरह रोका जाए, इसके विभिन्न पहलुओं पर गौर करने और कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए गठित मंत्री समूह (जीओएम) की सोमवार को बैठक हुई और उसमें भावी कदमों पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने इस बारे में बताया।

मंत्री समूह के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इसके सदस्य हैं। एक अधिकारी ने बताया कि मंत्री समूह ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दों के विभिन्न पहलुओं और संभावित कानूनी तंत्र पर चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि आगामी हफ्ते में इस विषय पर और बैठकें होंगी।

# जेईई एडवांस्ड परीक्षा 17 मई को

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 16 सितंबर।

देश में मौजूद 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आइआइटी) में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) एडवांस्ड का आयोजन 17 मई 2020 में होगा। इस बार जेईई एडवांस्ड का आयोजन आइआइटी दिल्ली करा रहा है। अगले साल होने वाली परीक्षा के लिए पहली बार अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भी केंद्र स्थापित किया जाएगा। 15 सितंबर को आइआइटी दिल्ली में हुई आइआइटी संयुक्त प्रवेश बोर्ड (जेएबी) की बैठक में ये निर्णय लिए गए। आइआइटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर वी रामगोपाल राव ने बताया कि जेईई एडवांस्ड का आयोजन सभी आइआइटी में दाखिले के लिए किया जाता है। सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने के लिए सभी आइआइटी ने एकमत से निर्णय लिया है कि पांच देशों में परीक्षा का केंद्र स्थापित किया जाए। इस सूची में इस बार अमेरिका को भी जोड़ा गया है।

उन्होंने कहा कि सैन फ्रांसिस्को में आइआइटी के पूर्व छात्र बडी संख्या में रहते हैं। उनकी वजह से आइआइटी के बारे में वहां पर काफी जागरूकता है। भारत और अमेरिका के अलावा

यूएई, बांग्लादेश, नेपाल और सिंगापुर में भी परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 2019 में इथोपिया और श्रीलंका में भी केंद्र स्थापित किए गए थे लेकिन वहां उम्मीदवार नहीं होने की वजह से इस बार केंद्र स्थापित नहीं किए गए हैं।

बोर्ड ने तय किया है कि जेईई एडवांस्ड 2020 के लिए 2,50,000 विद्यार्थियों को चुना जाएगा। जेईई एडवांस्ड में बैठने वाले उम्मीदवारों का चयन जेईई मेन की परीक्षा के आधार पर किया जाता है। 17 मई 2020 को जेईई एडवांस्ड का पहला पेपर सुबह नौ बजे से दोपहर बारह बजे तक और दूसरा पेपर दोपहर ढाई बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक आयोजित होगा। जेईई एडवांस्ड 2020 के प्रबंधकीय चेयरमैन प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडेय ने बताया कि पहले दूसरा पेपर दोपहर दो बजे शुरू होता था लेकिन इस बार इसको आधा घंटे देरी से शुरू करने का फैसला किया है। इससे उम्मीदवारों को विशेषकर दिव्यांग उम्मीदवारों को दोनों पेपरों के बीच अधिक समय मिल पाएगा। इससे केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन में भी आसानी होगी। 2019 में आइआइटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड का आयोजन किया था जिसमें 1,61,319 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। 38,705 उम्मीदवार ने परीक्षा में योग्यता हासिल की थी जिसमें 5,356 छात्राएं थीं।

## सीबीआइ ने राजीव कुमार के बारे में पूछताछ की

कोलकाता, १६ सितंबर (भाषा)।

सारदा घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआइ अधिकारी सोमवार को राज्य सचिवालय पहुंचे। वहां उन्होंने इस मामले की जांच में पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के एजंसी के समक्ष पेश नहीं होने के संबंध में मुख्य सचिव और गृह सचिव के लिए पत्र दिए।

सीबीआइ के दो अधिकारी सुबह करीब 10 बजकर 40 मिनट पर राज्य सचिवालय पहुंचे और उन्होंने मुख्य सचिव मलय डे और गृह सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के लिए पत्र दिए। राज्य सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पत्रों में सीबीआइ ने जानना चाहा है कि उक्त पुलिस अधिकारी कहां हैं। साथ ही यह भी जानना चाहा है कि उन्हें किस आधार पर महीनेभर लंबा अवकाश

दिया गया है। एजंसी ने यह भी जानना चाहा है कि कुमार ड्यूटी पर कब लौटने वाले हैं। इन पत्रों के साथ कलकत्ता हाई कोर्ट का वह आदेश भी जोड़ा गया था जो कुमार को गिरफ्तारी से दिए गए संरक्षण को वापस लेने से जुड़ा है।

शुक्रवार को सीबीआइ ने कुमार को ताजा नोटिस दिया जिसमें उनसे अगले ही दिन एजंसी के सामने पेश होने को कहा गया। कुमार वर्तमान में आपराधिक जांच विभाग में पुलिस महानिदेशक हैं। सूत्रों ने कहा कि पत्रों में सीबीआइ ने कुमार से कहा है कि वह सोमवार को दो बजे तक एजंसी के अधिकारियों के समक्ष पेश हो जाएं। अधिकारी पत्र देने रविवार को सचिवालय गए थे। लेकिन रविवार को अवकाश था। होने के कारण उनसे कामकाजी दिवस को आने को कहा गया था। उन्होंने ऐसे ही दो पत्र राज्य के डीजीपी वीरेंद्र कुमार को भी सौंपे हैं।

#### कॉलिजियम ने न्यायमूर्ति कुरैशी को पदोन्नित देने का फैसला किया

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को पदोन्नित देकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का निर्णय कॉलिजियम ने लिया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर के पीठ ने कहा कि कॉलेजियम का निर्णय शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने 28 अगस्त को कहा था कि उसे कानून एवं न्याय मंत्रालय से न्यायमूर्ति कुरैशी की पदोन्नति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश के बारे में एक पत्र मिला है। न्यायमूर्ति कुरैशी की पदोन्नति में हो रहे विलंब के मद्देनजर गुजरात हाई कोर्ट एडवोकट्स एसोसिएशन ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि कॉलिजियम की दस मई की सिफारिश के बावजूद केंद्र ने अभी तक न्यायमूर्ति कुरैशी के नाम को अधिसूचित नहीं किया है। केंद्र ने 16 अगस्त को न्यायालय को सूचित किया था कि वह कॉलेजियम की दस मई की सिफारिश के बारे में एक सप्ताह के भीतर विचार करेगा।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संस्कार रंग टोली (टी.आई. ई. कम्पनी) (संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था)

प्रस्तुति ''पार समंदर''

निर्देशकः सुश्री अनुरूपा रॉय 17 से 21 सितम्बर 2019 सायं 6.30 बजे श्री राम सेन्टर सभागार-4, सफदर हाशमी मार्ग.

नई दिल्ली-110001 टिकट (रु. 20/- बच्चो के लिए एवं रु. 40/- वयस्कों के लिए) दिनांक 15 सितंबर 2019 से रा.ना.वि. के स्वागत कक्ष. बहावलपुर हाउस भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001 से सभी कार्य दिवसों में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा 2 बजे से सायं 4 बजे तक एवं एक घंटा पहले प्रेक्षागृह से भी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल कैमरा, हैण्डबैग और खान

पान की सामग्री सभागार में वर्जित।

पूछताछ: 23389054, 23031137 वेबसाईटः www.nsd.gov.in davp 09130/11/0027/1920

#### स्टाल अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम)

रिडेम्पेशन एवं रिकॉर्ड तिथि के लिए सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी द्वारा जारी किये गये बंध पत्रों की निम्नलिखित श्रृंखला हेत् रिडेम्पेशन प्राप्त करने के हकदार बंध पत्र धारकों के लिए निम्नांकित रिकार्ड तारीख (खाँ) का निर्धारण किया गया है : -

| क.<br>सं. | बाण्ड विवरण  | की तारीख   | तारीख      |
|-----------|--|------------|------------|
| 1.        | 8.80% (कर योग्यत) सिक्योपर्ड रिडीमेबल नॉनकन्वर्टिबल.<br>बॉण्ड्सं – एके– VI सिरीज आईएनई 114ए07570 | 26.10.2019 | 01.10.2019 |
| 2.        | 8.60% (कर योग्यी) सिक्योपर्ड रिडीमेबल नॉनकन्वर्टिबल.<br>बॉण्ड्सं– एएल सिरीज, आईएनई 114ए07646     | 19.11.2019 | 23.10.2019 |
| 3.        | 8.50% (कर योग्य) सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉनकन्वर्टिबल,<br>बॉण्ड्स— एएम — ॥ सिरीज, आईएनई 114ए07661    | 07.12.2019 | 08.11.2019 |
| 4.        | 8.65% (कर योग्य) सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉनकन्वर्टिबल.<br>बॉण्ड्स– एएन सिरीज, आईएनई 114ए07679        | 30.12.2019 | 05.12.2019 |

सभी बॉण्ड धारक, जिनके पास बॉण्डी इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे पते, बैकब्यौरे, अधिदेश, ईसीएस अधिदेश, पीएएन (पैन) आदि में परिवर्तन से संबंधित अनुरोध / ब्यौरे को संबंधित डिपोजिटरी भागीदार को भेज दे। रिकॉर्ड तिथि पर जिन बंबपत्र धारकों के नाम डिपोजिटरी द्वारा भेजी गई सूची मे हिताधिकारी खामी के रूप में शामिल कर लिया जाता है वे ही संबंधित रिडेम्पशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।

कृपया नोट करें कि इन बॉण्डों पर विमोचन की तिथि से गना बंद हो जाएगी।

स्थान : नई दिल्ली (एम.बी. बालाकृष्णन) कंपनी सचिव दिनांक: 16.09.2019

> पंजीकृत कार्यालयः इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली—110003 कॉर्पोरेट आङ्केंटिटी नम्बर: L27109DL1973GO1006454, वेबसाइट: www.sail.co.in हर किसी की ज़िन्दगी से जुड़ा हुवा है सेल

#### punjab national bank पंजाब नैशनल बैंक

BO: Large Corporate Branch, Tolstoy House, Tolstoy Road, New Delhi-110001 Phone-23311654, 23752604, Fax-23323480 Email:bo2164@pnb.co.in SHOW CAUSE NOTICE TO THE BORROWER/GUARANTOR(S) / NON- GROUP

CORPORATE GUARANTOR(S) / GROUP CORPORATE GUARANTOR(S) M/s Allied Strips Ltd. "Allied Mansion" 14-B, 1st floor, Manohar Park, Rohtak Road, New

Sh. Manohar Kumar Agarwal, 12/75 Punjabi Bagh (West) New Delhi-110026 Sh. Gaurav Agarwal, 12/75 Punjabi Bagh (West) New Delhi-110026 Sh. Sunita Agarwal, 12/75 Punjabi Bagh (West) New Delhi-110026

REG.: Identification of default in the loan account of M/s Allied Strips Ltd. with the Bank, as "Wilful"- Consequently disclosing and publishing your name/s as "Wilful Defaulters".

Please refer to our notice dated 05.04.2019 vide which we had pointed out event(s) of wilful default in the loan account. You vide letter dated Nil made representation on the event(s) of wilful default. The same were examined at ours, but explanation was not found convincing The facts of the matter were placed before the Committee on Wilful Defaulters, who after

going through facts of the matter, evidence on record and your representation made, has found that there is /are event(s) of wilful default committed by you. Accordingly, the "Committee on Wilful Defaulters" set up by the bank, has identified the

default, as Wilful to classify you (Borrower) & Directors/Partners/etc.as "Wilful Defaulter", interalia for the following reasons: Diversion of funds

#### Siphoning Off Funds

In case you feel aggrieved by the conclusion of the "Committee on Wilful Defaulters", you may make a submission/representation, if you so desire, to the 'Committee on Wilful Defaulters' and show cause as to why you should not be classified as "wilful defaulter". Your submission/representation must reach us within 15 days of the receipt hereof and be sent to us on the Postal Address viz. Dy. General Manager, SASTRA Division, 3rd Floor, Punjab National Bank, Head Office, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075.

f we do not receive any submission/representation of yours, it would be deemed that you have nothing to say in your defence (against the conclusion of the "Committee on Wilful Defaulters") and Bank may publish your name or the name/s of your company/firm/ unit and your Director/s/Partner/s/Proprietor as "Wilful Defaulters" to RBI/CIBIL/other credit information Companies and in such manner and through such medium as the bank in their absolute discretion may think fit.

Date: 06-09-2019, Place: New Delhi Branch Head, Punjab National Bank



#### इंडियन ओवरसीज बैक वीपीओ रिसालु पानीपत, ई-मेल: iob3171@iob.in

(परिशिष्ट-IV-(नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक, बीपीओ रिसाल, पानीपत शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) वे अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 20.4.2019 जारी कर ऋणधारक मै. प्रगति फीड्स, वीपीओ बिनझोल, पानीपत (पार्टनर्सः 1. श्री सतीश कुमार, पुत्र श्री भालेय राम एवं 2) श्री चरण सिंह, पुत्र श्री भालेय राम को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि रु. 11,94,58,263.51/-+आज, अर्थात् 20.4.2019 से अन्डेविटेड ब्याज (रुपए ग्यारह करोड़ चौड़ानवे लाख अन्ठावन हजार दं सौ तिडेसठ तथा पैसे इक्यावन मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 12 सितम्बर 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तिये का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर ब्याज) के साथ रु. 11,94,58,263.51 (रुपये ग्यारह करोड़ चौडानवे लाख अन्टावन हजार दो सौ तिडेसट एव पैसे इक्यावन मात्र) की राशि के लिये इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा

अचल सम्पत्ति का विवरण

अधोलिखित तरीके से भूमि माप 16 के–9.5 एम जो 32 के–19 एम का 1/2 शेयर है, पर फैक्ट्री भूमि एवं भवन का सभी भाग तथा हिस्साः क) खेवत नं. 17, रेक्ट नं. 25, किल्ला नं. 231 (7-19) में शामिल 3के-19.5 एम जो 7 के-19 एम का 1/2 शेयर है।

ख) श्री चरण सिंह पुत्र श्री भाले राम, पुत्र श्री मुरार, निवासी वीपीओ बिनझोल, पॉनीपत के स्वामित्व में वसीकार नं. 1419, तिथि 6.6.2013 द्वारा, ग्राम बिनझोल, तहसील एवं जिला पानीपत के क्षेत्र में स्थित खेवत नं. 19, रेक्ट. नं. 25 किल्ला नं. 12/2 (2-4), 18/2 (6-16), 19(8-0), 22(8-0) रं शामिल 12 के 10 एम जो 25 के-0 एम का 1/2 शेयर है।

तिथि: 12.9.2019, स्थान: पानीपत

प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक

Advertisement under Regulation 18(12) in terms of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended.

#### SALEM ERODE INVESTMENTS LIMITED

Registered Office: 14, Motilal Nehru Road, Kolkata, West Bengal - 700029, India. Tel: + 91- 33- 4003 2108; Email: salemerodeinvestmentsltd@gmail.com; Website: www.salemerode.com Corporate Identification Number: L31200WB1931PLC007116

This Advertisement is being issued by Saffron Capital Advisors Private Limited, on behalf of ICL Fincorp Limited ("Acquirer") pursuant to Regulation 18 (7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011 ("Takeover Regulations") in respect of the open offer to acquire equity shares of the Salem Erode Investments Limited ("Target Company") ("Open Offer"). The Detailed Public Statement ("DPS") with respect to the aforementioned Open Offer was published on January 03, 2019 in Financial Express (English National Daily), Jansatta (Hindi National Daily), Mumbai Lakshadeep (Marathi Daily) and Duranta Barta (Regional Daily where the Registered Office of the Target Company is situated). Subsequently, corrigendum to DPS was published on August 13, 2019 ("Corrigendum") in the same newspapers in which the DPS was published.

1. Name of the Target Company

Salem Erode Investments Limited Name of the Acquirer ICL Fincorp Limited ("Acquirer")

Name of the Manager to the Offer : Saffron Capital Advisors Private Limited

Name of the Registrar to the Offer : Niche Technologies Private Limited

5. Offer Details: a. Date of Opening of the Offer b. Date of Closure of the Offer

August 19, 2019 August 30, 2019 Date of Payment of Consideration : September 16, 2019

7. Details of Acquisition

| SI. No. Particulars  7.1 Offer Price   |   | Proposed in the<br>Offer Document    | Actuals   |
|--|---|--------------------------------------|---|
|  |   | Rs. 26.40/- per share                | Rs. 26.40/- per shar                                |
| 7.2  | Aggregate number of shares tendered   | 29,50,280                            | 2,02,550  |
| 7.3  | Aggregate number of shares accepted   | 29,50,280                            | 2,02,550  |
| 7.4  | Size of the Offer (Number of shares multiplied by offer<br>price per share)   | Rs. 7,78,87,392                      | Rs. 53,47,320                                       |
| 7.5  | Shareholding of the Acquirer before Agreements /<br>Public Announcement (No. & %)                                   | NIL                                  | NIL   |
| 7.6  | Shares proposed to be acquired by way of Agreement ("Sale Shares")  Number  % of Fully Diluted Equity Share Capital | 85,15,240<br>74.27                   | 85,15,240<br>74.27                                  |
| 7.7  | Shares Acquired by way of Open Offer  Number  Sof Fully Diluted Equity Share Capital                                | 29,50,280<br>25.73                   | 2,02,550<br>1.76                                    |
| 7.8 Shares acquired after Detailed Public Statement  Number of shares acquired  Price of the shares acquired  % of the shares acquired |   | NIL<br>NIL<br>NIL                    | NIL<br>NIL<br>NIL                                   |
| 7.9  | Post offer shareholding of Acquirer  Number  % of Fully Diluted Equity Share Capital                                | 1,14,65,520<br>100.00                | 87,17,790<br><sup>1</sup> 76.03                     |
| 7.10 Pre & Post offer shareholding of the Public  Number  % of Fully Diluted Equity Share Capital                                      |   | Pre:- 29,50,280; 25.73%<br>Post: NIL | Pre:- 29,50,280; 25.73%<br>Post:- 27,47,730; 23.97% |

Assuming full acceptances under the Share Purchase Agreement dated December 28, 2018 between the Acquirer and Sellers. Note: Upon receipt of shareholders' approval under regulation 31A of the extant SEBI (LODR) Regulations and BSE approval for the same, the Acquirer shall be classified as the new promoter of the Target Company.

8. The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers), 2011.

9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI, BSE Limited and the registered office of the

All undefined capitalized terms used herein shall have the same meaning as ascribed to such terms in the offer document.

SAFFRON

SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED Corporate Identification Number: U67120MH2007PTC166711

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER

605, Sixth Floor, Centre Point, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 059, India Fax No.: +91 22 4082 0999 Tel. No.: +91 22 4082 0914-906, Email id: openoffers@saffronadvisor.com Website: www.saffronadvisor.com

Investor grievance: investorgrievance@saffronadvisor.com SEBI Registration Number: INM 000011211 Contact Person: Amit Wagle/Shikha Jain

नई दिल्ली

Date: September 16, 2019

Place: Irinjalakuda, Thrissur, Kerala

### घाटी में आतंकी

म्मू-कश्मीर से लगती भारत-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ता तनाव चिंता का विषय है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जब पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी नहीं हो रही हो। इससे सीमाई इलाकों में दहशत का माहौल है और लोग डरे हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस साल पाकिस्तान ने दो हजार पचास बार संघर्षविराम का उल्लंघन किया है। जाहिर है, पाकिस्तानी फौज भारत को उकसाने के लिए गोलीबारी, मोर्टारों से हमले और आतंकवादियों की घुसपैठ कराने जैसी रणनीति पर काम कर रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 में संघर्षविराम समझौता हुआ था और दोनों देशों ने यह तय किया था कि उकसावे के लिए कोई भी पक्ष अपनी ओर से पहले गोलीबारी नहीं करेगा। लेकिन सीमापार से होने वाली अनवरत गोलीबारी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पाकिस्तान के लिए इस समझौते का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान के लिए संघर्षविराम समझौता एक तरह से बेमानी है। कई बार तो सीमाई इलाकों में हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि जान बचाने के लिए लोगों को गांव छोड़ने तक को मजबूर होना पड़ जाता है और सुरक्षित ठिकाने तलाशने पड़ते हैं। इस साल अब तक भारतीय सीमा में स्थित गांवों में इक्कीस लोग पाकिस्तानी फौज की गोलियों का शिकार हो चुके हैं। संघर्षविराम के उल्लंघन की बढ़ती घटनाएं बता रही हैं कि बौखलाया हुआ पाकिस्तान कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने के लिए किस सीमा तक जा सकता है।

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि सीमा पर लगातार गोलीबारी के पीछे सबसे बड़ा मकसद भारत के सैन्य बलों का ध्यान बंटा कर आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसाना है। इसीलिए पाकिस्तानी फौज नियंत्रण रेखा और सीमा पर बनी भारतीय चौकियों को निशाना बनाए हुए है। यों भी, पाकिस्तान भारत में हर तरफ से आतंकी घुसपैठ की साजिश रचता रहा है। पिछले दिनों ही पाक अधिकृत कश्मीर से लगी नियंत्रण रेखा से तीस किलोमीटर पहले पाकिस्तान ने दो हजार सैनिक और पांच सौ प्रशिक्षित कमांडो तैनात किए हैं। इनकी मदद से आतंकियों को कश्मीर घाटी में घुसपैठ कराने की योजना है। समुद्र के रास्ते भी आतंकियों की भारत में घुसपैठ की खबरें आ रही हैं। गुजरात के सरक्रीक क्षेत्र में भी पाकिस्तान सेना ने विशेष बलों को तैनात किया है, ताकि उस रास्ते भी भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराई जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा आसान और संवेदनशील इलाका जम्मू-कश्मीर से लगती सीमा है।

भारतीय सेना, सुरक्षा बलों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा चिता की बात कश्मीर घाटी में मौजूद आतकी हैं। घाटी में करीब ढाई सौ आतंकी मौजूद हैं। सेना और पुलिस ने भी इस बात को माना है कि अकेले श्रीनगर शहर में चौबीस से ज्यादा आतंकी हैं जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। हालांकि श्रीनगर में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बलों और सेना के जवानों की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है। फिर भी इतनी कड़ी सुरक्षा में श्रीनगर के राज बाग, जवाहर नगर, लाल चौक सहित कई इलाकों में आतंकी स्थानीय लोगों और दुकानदारों को धमकाते फिर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में तो हालत और बुरी है। पुलिस और सेना के समक्ष सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि राज्य में तमाम तरह की पाबंदियां लगी होने की वजह से आतंकवादियों के खिलाफ अभियान कमजोर पड़े हैं। इसका आतंकी जम कर फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि सिर्फ सीमा पर नहीं, घाटी में मौजूद आतंकियों के सफाए के लिए भी कारगर रणनीति बने और उस अमल हो।

🎹 क समय था जब कैंसर से पीड़ित मरीजों के मामले कभी-कभार रही सुनने में आते थे और यह लोगों के चौंकने का मामला होता था। लेकिन आज अक्सर लोगों को उनके संपर्क के किसी व्यक्ति के कैंसर से पीड़ित होने और कई बार उनकी मौत तक की खबरें सुननी पड़ती हैं। जाहिर है, कैंसर के इस तरह पांव फैलाने के पीछे एक बड़ी वजह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में खानपान से लेकर समूची जीवनशैली में आए बदलाव हैं। लेकिन इस समूचे मसले पर सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब यह जानलेवा रोग बहुत तेजी से बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। एक खबर के मुताबिक दुनिया भर में हर साल लगभग तीन लाख बच्चे इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इनमें से अठहत्तर हजार यानी करीब एक चौथाई से ज्यादा बच्चों की मौत अकेले भारत में हो जाती है। यह आंकड़ा किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को दहला देने के लिए काफी है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का कैंसर की चपेट में आना एक बड़ी चेतावनी है कि आने वाली पीढ़ियों पर कैंसर की भयावह मार पड़ सकती है।

यह किसी से छिपा नहीं है कि यह रोग खानपान और जीवनशैली की वजह से उभरता है और आमतौर पर रोग-प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने की वजह से ही किसी व्यक्ति के शरीर में घर बनाता है। तो क्या हमारे समाज में लोग अपने बच्चों के जीवन को इस जोखिम में छोड़ रहे हैं जिसमें वे इस रोग से बचाव के प्रति लापरवाही बरतें? निश्चित रूप से कैंसर के लिए वंशानुगत या अनुवांशिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह की खाने-पीने चीजें बच्चों की आदत में शुमार होती गई हैं, वे उनके शरीर के पोषण की स्थिति को कमजोर करती हैं और उनके भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में बहुत ज्यादा संरक्षण में रहने वाला कोई भी बच्चा आसानी से किसी बीमारी और यहां तक कि कुछ स्थितियों में कैंसर जैसे घातक रोग की चपेट में आ जाता है। अफसोस की बात यह है कि मौजूदा समय तक भी इसका कोई कारगर और सुलभ इलाज नहीं ढूंढ़ा जा सका है। फिर भी, अगर शुरुआती दौर में कैंसर का पता चल

जाता है तो ज्यादातर मामलों में उससे निजात पाई जा सकती है।

दरअसल, हमारे यहां आज भी स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा इस कदर कमजोर है कि कैंसर के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां समय पर पहचान में नहीं आ पातीं और समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से किसी व्यक्ति की नाहक ही जान चली जाती है। अगर कोई व्यक्ति निजी अस्पतालों का रुख करता भी है तो वहां का महंगा इलाज उसे लाचार बना देता है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में कैंसर पीड़ित बच्चों के अस्पताल और आधुनिक चिकित्सा सेवाओं तक पहुंचने की दर केवल पंद्रह फीसद है। दूसरी ओर, विकसित देशों में कैंसर से पीड़ित अस्सी फीसद बच्चे इस रोग के इलाज के दौरान ठीक हो जाते हैं, जबिक भारत में डॉक्टर कैंसर से पीड़ित केवल तीस फीसद बच्चे ही बचा पाते हैं। जाहिर है, परिवारों में बच्चों के खानपान, जीवनशैली में सुधार के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं में कमी के समांतर गरीबी और जागरूकता के अभाव को दूर किए बिना इस रोक की मारक क्षमता से लड़ पाना मुश्किल बना रहेगा। सवाल है कि जब कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से इस रोग की समय पर पहचान कर पाना ही मुश्किल बना हुआ है, तब उसके इलाज को लेकर कितना आश्वस्त हुआ जा सकता है!

#### कल्पमधा

हमारा कर्तव्य है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें अन्यथा हम अपने मन को सक्षम और शुद्ध नहीं रख पाएंगे। -गौतम बुद्ध

epaper.jansatta.com

# खतरों से सफलता के सेनापित नरेंद्र मोदी



आलोक मेहता

स्ता, संपन्नता, शिखर-सफलता से अधिक महत्त्वपूर्ण है- संघर्ष की क्षमता और जीवन मूल्यों की दुढ़ता। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री पद और राजनीतिक सफलताओं के विश्लेषण से अधिक महत्ता उनकी संघर्ष यात्रा और हर पड़ाव पर विजय की चर्चा करना मुझे श्रेयस्कर लगता है। राजधानी में संभवतः ऐसे बहुत कम पत्रकार होंगे, जो 1972 से 1976 के दौरान गुजरात में संवाददाता के रूप में रह कर आए हों। इसलिए मैं वहीं से बात शुरू करना चाहता हूं। हिंदुस्तान समाचार के संवाददाता के रूप में मुझे 1973-76 के दौरान कांग्रेस के एक अधिवेशन, फिर चिमन भाई पटेल के विरुद्ध हुए गुजरात छात्र आंदोलन और 1975 में इमरजंसी रहते हुए लगभग आठ महीने अमदाबाद में पूर्णकालिक रह कर काम करने का अवसर मिला था। इमरजंसी के दौरान नरेंद्र मोदी भूमिगत रूप से संघ-जनसंघ और विरोधी नेताओं के बीच संपर्क और सरकार के दमन संबंधी समाचार-विचार की सामग्री गोपनीय रूप से पहुंचाने का काम कर रहे थे। उन दिनों तो उनसे भेंट नहीं हो सकी। लेकिन संयोग से नरेंद्र भाई के अनुज पंकज मोदी भी हिंदुस्तान समाचार कार्यालय में काम कर रहे थे। पंकज भाई और ब्यूरो प्रमुख भूपत पारिख से इस परिवार और नरेंद्र भाई के संघ तथा समाज सेवा के प्रति गहरी निष्ठा और लेखन क्षमता की जानकारियां मिलीं।

प्रारंभिक दौर में वहां इमरजंसी का दबाव अधिक नहीं दिख रहा था। गुजरात समाचार और संदेश जैसे अखबार 'सेंसर' की छाया में निकल रहे थे। यहां तक कि संघ से जुड़ी 'साधना' पत्रिका भी छप रही थी। एजेंसी से वैसे भी कोई सरकार विरोधी खबरें नहीं जाती थीं। इसलिए प्रतिदिन सरकार द्वारा निर्धारित समय पर अमदाबाद से जाने-आने वाली मिनी बस से गांधीनगर की यात्रा के दौरान और फिर पत्रकार-कक्षों और दफ्तरों में गुजरात की राजनीति, इमरजंसी, सेंसर, भूमिगत नेताओं की पुष्ट-अपुष्ट सूचनाएं मिलती रहीं। उन्हीं दिनों 'साधना' के संपादक विष्णु पंड्याजी से भी उनके दफ्तर में जाकर राजनीति तथा साहित्य पर चर्चा के अवसर मिले। बाद में विष्णु पंड्या के अलावा नरेंद्र मोदी ने इमरजंसी पर गुजराती में पुस्तक भी लिखी। इसलिए यह कहने का अधिकारी हूं कि सुरक्षित जेल की अपेक्षा गुपचुप वेशभूषा बदल कर इमरजंसी और सरकार के विरुद्ध संघर्ष की गतिविधियां चलाने में नरेंद्र मोदी ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। गिरफ्तारी से पहले सोशलिस्ट जार्ज फर्नांडीज भी भेस बदल कर गुजरात पहुंच थे और नरेंद्र भाई से सहायता ली थी। मूलतः कांग्रेसी, लेकिन इमरजंसी विरोधी रवींद्र वर्मा जैसे अन्य दलों के नेता भी उनके संपर्क से काम कर रहे थे। संघर्ष के इस दौर ने संभवतः नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय राजनीति की कंटीली-पथरीली सीढ़ियों पर आगे बढना सिखा दिया। लक्ष्य भले ही सत्ता न रहा हो, लेकिन कठिन से कठिन स्थितियों में समाज और राष्ट्र के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प उनके जीवन में देखने को मिलता है।

इस संकल्प का सबसे बड़ा प्रमाण हाल में जम्मू-कश्मीर के लिए बनी अस्थायी व्यवस्था की धारा 370 की दीवार को सरकार और संसद के फैसले से ध्वस्त कर लोकतांत्रिक इतिहास का नया अध्याय नरेंद्र मोदी और उनके निकटस्थ साथी अमित शाह ने लिख दिया। सामान्यतः लोगों को गलतफहमी है कि मोदी को यह विचार तात्कालिक राजनीतिक-आर्थिक स्थितियों के कारण आया। वे 1995-96 से भारतीय जनता पार्टी के महासचिव के रूप में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के साथ जम्मू-कश्मीर में संगठन को सक्रिय करने के लिए पूरे सामर्थ्य के साथ जुट गए थे। चर्चा के दौरान भी जम्मू-कश्मीर अधिक केंद्रित होता था, क्योंकि भाजपा को वहां राजनीतिक जमीन तैयार करनी थी। संघ में रहते हुए भी वे जम्मू-कश्मीर की यात्राएं करते रहे थे। लेकिन नब्बे के दशक में आतंकवाद चरम पर था। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत

यात्रा के दौरान कश्मीर के छत्तीसिंगपुरा में आतंकवादियों ने छत्तीस सिखों की नृशंस हत्या कर दी थी। प्रदेश प्रभारी के नाते मोदी तत्काल कश्मीर रवाना हो गए। बिना किसी सुरक्षाकर्मी या पुलिस सहायता के वे सड़क मार्ग से प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गए। तब फारूक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। जब पता लगा तो उन्होंने फोन कर जानना चाहा कि 'आप वहां कैसे पहुंच गए। आतंकवादियों द्वारा यहां-वहां रास्तों में भी बारूद बिछाए जाने की सूचना है। आपके खतरा मोल लेने से मैं स्वयं मृश्किल में पड़ जाऊंगा।' यही नहीं, उन्होंने पार्टी प्रमुख लालकृष्ण आडवाणी से शिकायत की कि आपका यह सहयोगी बिना बताए

सुरक्षा के बिना घूम रहा है। तब आडवाणीजी ने भी मोदी को फोन किया, लेकिन मोदी ने कहा कि मृतकों के अंतिम संस्कार के बाद ही वापस आऊंगा। असल में सबको उनका जवाब होता था कि अपना कर्तव्य पालन करने के लिए मुझे जीवन-मृत्यु की परवाह नहीं होती। जम्मू-कश्मीर के दुर्गम इलाकों और गांवों में यात्राओं के कारण वे जम्मू-कश्मीर की समस्याओं को समझते हुए उसे भारत के सुखी-संपन्न प्रदेशों की तरह विकसित करने का संकल्प संजोए हुए थे। लेह-लद्दाख में जहां लोग ऑक्सीजन की कमी से विचलित हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी को कोई समस्या नहीं होती। तिब्बत, मानसरोवर और कैलाश पर्वत की यात्रा भी वे 2001 से पहले कर आए थे। तभी उन्होंने यह सपना भी देखा था कि कभी लेह के रास्ते हजारों भारतीय कैलाश मानसरोवर जा सकेंगे। उम्मीद की जाए कि लद्दाख और कश्मीर आने वाले वर्षों में स्विजरलैंड से अधिक सुगम,



आकर्षक और सुविधा संपन्न हो जाएगा।

हिमालय की तरह नर्मदा भी उनके दिल से जुडी है। उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर की पृष्ठभूमि के कारण मैं 1973-74 से नर्मदा के पानी बंटवारे, राजनीतिक विवाद तथा इसके पौराणिक महत्त्व के साथ ही आधुनिक प्रगति में नर्मदा की जल-शक्ति के उपयोग पर लिखता रहा हूं। इसलिए मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी से नर्मदा पर बातचीत के अवसर मिले। दो साल पहले शुभि पब्लिकेशंस के संजय आर्य ने चर्चा के दौरान माना कि राजनीतिक विवादों से हट कर नर्मदा के महत्त्व पर अंग्रेजी में कोई पुस्तक नहीं है। मैंने लिखना स्वीकार किया। इस पर भव्य चित्रों के साथ

काफी टेबल बुक बनने की तैयारी हुई। मैंने नरेंद्र मोदी को पुस्तक के लिए लिखने का संदेश भेजा। फिर पांडुलिपि भिजवाई, तो उन्होंने व्यस्तताओं के बावजूद एक सुंदर लिखित टिप्पणी भेज दी। पुस्तक छपने के बाद प्रकाशक के साथ उनसे भेंट हुई तो नर्मदा-हिमालय पर बातों में वे तत्लीन हो गए। बहरहाल, असली खुशी हम दोनों के लिए यह रही कि विवादों से हट कर पचास वर्षों से लटका नर्मदा सरदार सरोवर बांध का निर्माण पूरा होने के बाद लाखों किसानों को खेती और गांवों को पीने का पानी भी पहुंच रहा है। इंदौर को नर्मदा का पानी पाने के लिए बडा आंदोलन करना पडा था। उज्जैन को भी हाल के वर्षों में नर्मदा का पानी मिलने लगा।

नरेंद्र मोदी भारत के ही नहीं, विश्व के चुनिंदा नेताओं में अग्रणी समझे जाने लगे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अंतरिक्ष, मंगल, चंद्रयान की सफलताओं से

अधिक गांवों को पानी, बिजली, बेटियों को शिक्षा, गरीब परिवारों के लिए मकान, शौचालय और घरेलू गैस उपलब्ध कराने के अभियानों से अधिक संतोष मिलता है। इसलिए मैं इस धारणा से सहमत नहीं हूं कि गुजरात में हुए औद्योगिक विकास और संपन्नता को ध्यान में रख कर पहले उन्होंने उद्योगपितयों को महत्त्व दिया और 'सूट-बूट की सरकार' के आरोप लगने पर एजेंडा बदल कर गांवों की ओर ध्यान दिया। फिर गरीबों की चिंता क्या किसी राजनीतिक दल और विचारधारा तक सीमित रहती है ? यूरोप या अमेरिका में 1990 से पहले भी अश्वेतों और हिस्पेनिक समुदाय की कई बस्तियों और लोगों की हालत बेहद खराब थी। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में भी धीरे-धीरे स्थित बदली और वर्षों बाद बराक ओबामा वहां राष्ट्रपति तक बने। अश्वेतों में नया विश्वास पैदा हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी के विचार दर्शन का आधार ज्ञान शक्ति, जल शक्ति, ऊर्जा शक्ति, जन शक्ति और रक्षा शक्ति है। मख्यमंत्री

बनने से पहले भी उन्हें अमेरिका सहित कुछ देशों की यात्रा के अवसर मिले थे। इसलिए भारत की ग्राम पंचायतों से लेकर दूर देशों में बैठे प्रवासी भारतीयों को अपने कार्यक्रमों, योजनाओं से जोड़ने में उन्हें सुविधा रहती है। योग, स्वच्छ भारत, प्लास्टिक मुक्ति, स्वस्थ भारत जैसे अभियान सही अर्थों में भारत को शक्तिशाली और संपन्न बना सकते हैं। आतंकवाद से निपटने का रचनात्मक रास्ता भी सामाजिक-आर्थिक विकास है। इसलिए राजनीति, विवाद, चुनौतियों से हट कर जननेता के रूप में नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्पों और सपनों के लिए शुभ कामनाएं दी जानी चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

# प्रतिभा के मंच

#### मोनिका शर्मा

पिछले दिनों सोशल मीडिया में खूब प्रचारित हुए एक वीडियो ने भीख मांगने वाली एक महिला का जीवन बदल दिया। कोलकाता के रेलवे स्टेशन पर गाना गाने वाली इस महिला का किसी शख्स ने वीडियो बना कर सोशल मीडिया की दुनिया में प्रसारित कर दिया। इसके बाद लाखों लोगों द्वारा साझा किए गए इस वीडियो को देख कर मुंबई से एक संगीत कंपनी कोलकाता पहुंची और उसने उसके गानों का एल्बम बनाने के बारे में सोचा। सोशल मीडिया में ही बदली और निखरी छवि में लोगों को दिख रही यह महिला अब फिल्मी दुनिया के जाने-माने संगीतकार के साथ अपने गाने रिकॉर्ड कर रही है। इतना ही नहीं, वीडियो में अपनी मां को पहचान कर उस महिला की दस साल पहले खोई बेटी भी वापस मिल गई।

यह अकेला मामला नहीं है जब सोशल मीडिया के ऐसे सकारात्मक और सार्थक इस्तेमाल की बानगी सामने आई है। इस मायावी दुनिया के जरिए कभी किसी परिवार से बिछड़े बच्चे को मिलवाने की तो कभी किसी प्रतिभा को मंच दिलवाने की खबरें भी कभी-कभार आती रहती हैं। कुछ समय पहले महाराष्ट्र का एक किसान भी 'बालीराजा' नाम से वाट्सऐप ग्रुप बना कर चर्चा में आया

था। इस समूह में उनके साथ महाराष्ट्र के अलावा, हरियाणा, पंजाब, ओडीशा, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसान भी जुड़े हैं। इस ग्रुप के जरिए खेती-किसानी से जुड़ी नई तकनीकों और जानकारियों का लाभ किसानों को मिल रहा है। देखने में आ रहा है कि साहित्य से जुड़े संवाद से लेकर गृहिणियों की रोजमर्रा की समस्याओं तक के लिए फेसबुक और वाट्सऐप जैसे आभासी मंचों पर कई समृह बने हुए हैं, जहां सकारात्मक संवाद होता है।

अपने अनुभव साझा कर एक-दूसरे को मार्गदर्शन दिया जाता है। अपने–आप तक सिमटे कितने ही लोगों का हुनर देश ही नहीं, दुनिया तक पहुंचता है।

हालांकि आजाद अभिव्यक्ति के नाम पर हर सीमा को पार कर कुछ भी कहने की प्रवृत्ति भी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में ही देखने को मिल रही है। कभी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के रूप में अस्तित्व में आए ये साझा मंच आज अराजक चरित्र वाले माध्यम बन गए हैं। इसके चलते अभिव्यक्ति अब कोलाहल बन रही है। दुनिया से जोड़ने वाला यह माध्यम अपनों से ही दूर कर रहा है। तकनीक जीवन को सुविधाजनक और सरल बनाने के ही लिए है। यह सुविधा अब हमारी मुट्ठी में है। ऐसे में सूचनाओं को साझा करने और अपने विचार रखने की दुनिया में

क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले इन साधनों को इस्तेमाल करने का तरीका इनके सदुपयोग या दुरुपयोग को तय करता है। तकनीक के साथ भी स्याह और उजला, दोनों ही पहलू जुड़े हुए हैं। इसे सनक बना लेने के खामियाजे भी हैं और आत्मनियंत्रण के साथ सदुपयोग करने के सकारात्मक परिणाम भी।

दरअसल, सोशल मीडिया ने इस संसार के लिए 'ग्लोबल विलेज' की अवधारणा को हकीकत बना दिया है। क्लिक भर में खबरें, तस्वीरें दुनिया मेरे आगे और जानकारियां दुनिया भर में

पहुंच जाती हैं। कमोबेश हर

आभासी मंच के जरिए हजारों भ्रामक वीडियो आए दिन लोगों तक पहुंचते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दुनिया के बाईस देशों में किए गए एक अध्ययन के मृताबिक चौंसठ फीसदी भारतीयों को फर्जी खबरों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर यह आंकडा सत्तावन प्रतिशत है। अफसोस कि यह समस्या और बढ़ रही है। नतीजतन, हमारे यहां सोशल मीडिया की वजह से अपराध भी बढ़ रहे हैं और अकेलापन भी। ऐसे में इन मंचों का सकारात्मक इस्तेमाल एक नई उम्मीद जगाता है।

दुखद है कि हाल के वर्षों में सोशल मीडिया केवल फर्जी समाचार फैलाने, द्वेष भरी टिप्पणियां करने और किसी की छवि बिगाडने के लिए ही सर्खियों में आया

यहां साझा की जाने वाली चीजों के साथ एक उन्माद भी जुड़ गया, जिसके चलते न किसी की निजता का मान करने की सोची जा रही और न ही अफवाहें फैलाने में कोई हिचक है। इसीलिए खुद की जिंदगी से जुड़ा कोई पहलू हो या औरों से संबंधित कोई सूचना, उसे फैला देना एक शगल बन गया। कभी भीड़ को कातिल बनातीं अफवाहें तो कभी फर्जी तस्वीरों से किसी चर्चित चेहरे की छवि बिगाड़ना। कभी किसी जीते-जागते सितारे की मौत की खबर फैला देना तो कभी विचार साझा करने के मंचों पर महिलाओं को ट्रोल किया जाना।

सोशल मीडिया ऐसी सामग्री का अड्डा बन रहा है, जहां फैली नकारात्मक खबरें समाज में खून-खराबे का कारण तक बन रही हैं। वाट्सऐप पर फैली बच्चा चोरी की अफवाहों के चलते कई लोगों की जान ले ली गई। अफसोस कि आभासी दुनिया में फैली ऐसी अफवाहों पर लोग विश्वास भी कर लेते हैं। ऐसे में गिनती की सही, पर ऐसी खबरें वाकई सुकूनदायी हैं कि इन आभासी मंचों के जरिए बेहतरी लाने वाले प्रयास भी किए जा सकते हैं। एक वायरल वीडियो किसी का जीवन संवार दे सकता है। दूरदराज के गांवों में बैठे किसान कृषि से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कोई गृहिणी अपने घर से काम करते हुए उसका प्रचार-प्रसार कर सकती है, किसी की प्रतिभा को पहचान मिल सकती है।

## सेहत की सुध

📜 मृद्ध भारत का सपना स्वस्थ भारत की आंखों रें से ही देखा जा सकता है। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सजग और सिक्रय करके ही देश को उन्नित के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार 2016 में दुनिया में बीमारियों से 96 लाख लोगों की जान चली गई। इनमें 63 फीसद मौतें गैर-संक्रामक रोगों से हुईं। गैर-संक्रामक बीमारियों से मरने वालों में 33 लाख पुरुष और 27 लाख महिलाएं हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में जिन बीमारियों से लोग मौत का शिकार हो रहे हैं उन पर शारीरिक सक्रियता व्यायाम, योग आदि से काबू पाया जा सकता है।

डब्ल्यूटीओ के मुताबिक पौष्टिक भोजन, तंबाकू से दूरी और शारीरिक सक्रियता से दिल की गंभीर बीमारियों और टाइप-2 मधुमेह से होने वाली असामयिक मृत्यु से बचा जा सकता है। साथ ही अन्य बीमारियों से होने वाली 40 फीसद मौतों को टाला भी जा सकता है। यदि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों तो सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर किए जा रहे भारी खर्च में कमी आएगी और वह अनेक कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर सकेगी।

आंकडों के हिसाब से यदि भारत के लोग स्वस्थ हो जाएं तो भारत की जीडीपी में 1.4 फीसद का इजाफा किया जा सकता है। आज देश में ज्यादातर परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने का मुख्य कारण बीमारियों पर किया गया भारी भरकम खर्च है। लिहाजा यह आवश्यक हो जाता है कि स्वास्थ्य संबंधी अभियान चलाएं जाएं। सरकार ने इस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए 'फिट इंडिया मूवमेंट' की शुरुआत की है जो उसकी स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता को बताता है। इसके तहत संपूर्ण देश में स्वास्थ्य जागरूकता व खेलकृद

जैसी गतिविधियों में लोगों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान में खेल मंत्रालय के साथ-साथ पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मत्रालय को भूमिका अहम होगी। यह अभियान चार वर्षों तक चलेगा जिसमें भोजन की आदत, खेल कृद, रोग निवारण के उपाय और तंदुरुस्ती पर बल दिया जाएगा। उम्मीद है। कि सरकारी तंत्र इस अभियान को रस्मअदायगी की तरह नहीं लेगा और इसे सफल बनाने के लिए हर देशवासी की इसमें भागीदारी सुनिश्चित करेगा।

• शशांक मिश्रा, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश

केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बल्कि देश की व्यावसायिक राजधानी कहलाने वाली मुंबई भी नीचे फिसल गई है। दिल्ली रहने के लिए दुनिया के शहरों में 112 से 118 में स्थान पर आ गई है। भारत एक विकासशील देश है। हमें ऐसे शहर चाहिए जो दुनिया को भारत आने के लिए मजबूर करें। जब हम शहरों को रहने लायक बनाएंगे तो ज्यादा निवेश और ख़ुशी को सहजता से आमंत्रित कर सकेंगे।

हमारे शहर लगातार विस्थापन और पुनर्वास से गुजर रहे हैं। यहां स्थिरता न के बराबर है। न हमें इनकी संस्कृति की चिंता है और न

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-८, सेक्टर-7, नोएडा २०१३०१, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

#### बदहाल किसान

सरकार किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की बात करती है वहीं नीति आयोग के मृताबिक 2011-12 से लेकर 2016-17 तक किसानों की आमदनी 0.44 फीसद प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ी है। 2017-18 में यह शून्य फीसद और 2018-19 में तो शून्य से नीचे चली गई है। जब तक किसानों की आमदनी तय करने के लिए नीति निर्माताओं द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक किसानों की आत्महत्याएं रुकने वाली नहीं हैं। • सुरज कुमार, प्रजापति मोहल्ला, पटना

सामूहिक जिम्मेदारी

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जो ताजा जीवन अनुकूलता सूचकांक रिपोर्ट जारी की है उसमें न परिवेश की। लोग यहां खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं यह भी बताने की जरूरत नहीं है। हमारी बड़ी आबादी ऐसी है जो मूलभूत चिकित्सा सेवाओं से भी वंचित है। सड़क, बिजली, पानी के मोर्चे पर भी समस्याएं जितनी सुलझाई जाती हैं उससे ज्यादा उलझी नजर आती हैं। बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो उचित शिक्षा से वंचित हैं। निस्संदेह, हमें वियना, सिडनी, ओसाका, टोरंटो, टोक्यो से सीखना चाहिए। ऑस्ट्रिया के शानदार शहर वियना ने जीवन अनुकूलता सूचकांक में अपने सर्वोच्च स्थान को कायम रखा है। इन शहरों ने रहवास के ऊंचे मुकामों को कैसे हासिल किया है, हमें इनकी कामयाबी का अध्ययन करना चाहिए।

यह एक ऐसा मोर्चा है जहां जिम्मेदारी सामृहिक है। शहरों को रहने लायक बनाने के लिए जहां

शासन-प्रशासन के स्तर पर एकजुट होकर समेकित विकास के लिए काम करना होगा वहीं नागरिकों को भी देखना होगा कि शहर को रहने लायक बनाने में उनका केसा और कितना योगदान हो सकता है। यह भी तय करना होगा कि यहां से हमें और नीचे गिरना है या फिर ऐसे ठोस कदम उठाने हैं जिनसे अगले वर्ष की रैंकिंग में हमारी स्थिति बेहतर हो जाए

सौरभ शर्मा, महासमुंद, छत्तीसगढ़

#### उन्माद के विरुद्ध

भीड़ द्वारा किसी को घेर कर मार दिया जाना यानी मॉब-लिचिंग किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है चाहे उसके लिए कितने भी कुतर्क गढ़ लिए जाएं। दरअसल, कोई भी समुदाय किसी पर प्रभुत्व तभी हासिल करना चाहता है जब वह असुरक्षा की भावना से पीड़ित हो। यह बुनियादी कारण है किसी भी हत्यारी भीड़ के मनोविज्ञान का। दूसरा कारण है बंद दरवाजों से आता बेशर्म राजनीतिक समर्थन जिसने इन खूंखार मंसूबों को 'कुछ नहीं होगा' के लबादे में ढांप दिया है। इस तरह घटनाओं की एक खास अंतराल के बाद पुनरावृत्ति का एक महत्त्वपूर्ण घटक है कानून एवं न्यायपालिका द्वारा कोई नजीर न मिलना।

अलवर के पहलू खान की हत्या के आरोपी सबूतों के अभाव में छोड़ दिए गए। यह अपराधियों को साहस देता है। मॉब-लिचिंग रोकने के लिए ऐसी घटनाओं पर त्वरित लेकिन निष्पक्ष जांच और कार्रवाई हो ताकि इनकी पुनरावृत्ति रुके और बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आकर ऐसी चीजों पर मुखरता से बात रखनी होगी। हर पाले को अपनी विचारधारा और अपने लोगों को बचाने की कोशिश छोड़नी होगी। याद रखिए 'लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में...!'

• दीपक तैनगुरिया, दिल्ली विश्वविद्यालय

नई दिल्ली

# ग्वालियर पहुंची स्पाइस बम की पहली खेप

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 16 सितंबर।

हवा से जमीन पर मार कर सकने वाली स्पाइस-2000 बमों की पहली खेप इजराइल ने भारत को सौंपा है। सोमवार को वायुसेना के ग्वालियर एअरबेस पर ये बम पहुंच गए। स्पाइस-2000 वही बम हैं. जिनका इस्तेमाल भारत ने बालाकोट हमले के दौरान जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर किया था।

वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक, मिराज-2000 लड़ाकू विमानों में इन बमों को इस्तेमाल करने लायक उपकरण फिट किए गए हैं। ये बम दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले माने जाते हैं। हाल में भारतीय वायु सेना ने इजरायल के साथ इन बमों की खरीद के लिए 250 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध पर दस्तखत किए। शुरू में इजराइल के साथ एक सौ से ज्यादा स्पाइस-200 बमों की खरीद का सौदा किया गया। जल्द ही वायुसेना के सुखोई-30 विमानों को भी इजराइल के

स्पाइस-2000 बर्मों से लैस किया जाएगा। भारत को इसका 'बिल्डिंग ब्लास्टर' संस्करण मिला है। ये बम मार्क 84 वॉरहेड और बमों के साथ इमारतों को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। इनकी स्टैंड ऑफ रेंज करीब 60 किमी तक होती है। इनकी खासियत यह है कि इनमें एडऑन किट लगा होता है। यह गिरने के बाद अपने लक्ष्य को खोज कर ध्वस्त करने में माहिर होते हैं। फरवरी में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए स्पाइस- 2000 बमों के ही दूसरे भेदक संस्करण का इस्तेमाल किया था।

को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसके द्वारा सबसे सुरक्षित ठिकाने को भी नेस्तनाबृत किया जा सकता है। स्पाइस-2000 अकेला बम नहीं है, बल्कि एक 'गाइडेंस किट' है, जो एक स्टैंडर्ड वॉरहेड या बमों से जुड़ी होती है। यह बम लंबी दरी के लक्ष्यों को सटीकता से साधने में सक्षम है। लेजर गाइडेड होने के कारण इस

बम को लक्ष्य से काफी दूर होने पर भी दागा जा सकता है। लक्ष्य के गति करने पर यह बम खुद ही अपने पथ को बदलने में सक्षम है। इस स्मार्ट बम के शीर्ष पर एक कैमरा लगा होता है, जो लक्ष्य को साधने में मदद करता है।

स्पाइस-2000 बम दो संस्करणों में आता

है। एक में 1000 किलोग्राम का वारहेड होता है, जबिक दूसरे में 500 किलोग्राम का। इस बम में एक चिप के माध्यम से लक्ष्य से संबंधित डाटा को लोड किया जाता है। इसके बाद बम को लड़ाकू विमान में फिट कर दिया जाता है। इसके बाद जब विमान लक्ष्य से एक पूर्व निर्धारित दूरी और ऊंचाई पर पहुंच जाता यह बम किसी भी प्रकार के बंकर या घर है तो वह इस स्मार्ट बम को दाग देता है। इसके बाद बम में मौजूद ऑनबोर्ड कंप्यूटर इसे पूर्व निर्धारित लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाता है। बम के शीर्ष पर लगा कैमरा कंप्यूटर नियंत्रित होता है। यह लक्ष्य के जैसे दिखने वाले कई चित्रों को ऑनबोर्ड कंप्यूटर को भेजता है, जो वास्तविक लक्ष्य की पहचान कर उसे तबाह कर देता है।

### ओबीसी जातियों को एससी सूची में डालने वाली अधिसूचना पर रोक

प्रयागराज, 16 सितंबर (भाषा)।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग की 17 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की राज्य सरकार की अधिसूचना पर सोमवार को रोक लगा दी। अदालत ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया जिसके बाद इस मामले की सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा के पीठ ने गोरखनाथ नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। इस याचिका में कहा गया है कि भारत का संविधान केंद्र सरकार को इस तरह के संशोधन करने और अनुसूचित जाति की सूची में एक वर्ग को शामिल करने का अधिकार देता है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा इस तरह का निर्णय करना संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लंघन है क्योंकि राज्य सरकार खुद से एक जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता के मुताबिक, राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग की 17 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए इस साल जून में एक आदेश जारी किया है। इन 17 जातियों में कहार, कश्यप, केवट, निषाद, बिंद, भर, प्रजापति, राजभर, बाथम, गौर, तुरा, माझी, मल्लाह, धीमर और मछुआ शामिल हैं।

आंध्र के पूर्व विधानसभाध्यक्ष की मौत

# पुलिस ने जताया आत्महत्या का संदेह

हैदराबाद, 16 सितंबर (भाषा)।

तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के वरिष्ठ नेता व आंध्र प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कोडेला शिव प्रसाद राव की सोमवार को अस्पताल में मृत्यु हो गई। ऐसी आशंका है कि उन्होंने आत्महत्या की है। वह 72 वर्ष के थे। पेशे से डॉक्टर राव के परिवार में उनकी पत्नी, दो पुत्र और एक पुत्री हैं।

पश्चिमी जोन के पुलिस उपायुक्त एआर श्रीनिवास ने विस्तृत जानकारी दिए बगैर बताया कि प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार राव ने शायद आत्महत्या की है। सवालों के जवाब में श्रीनिवास ने कहा कि इसकी पृष्टि पोस्टमार्टम के बाद ही हो सकती है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने विधानसभा का फर्नीचर गलत तरीके से अपने पास रखने को लेकर पिछले ही महीने राव के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उपायुक्त और अस्पताल ने बताया कि राव को सुबह करीब 11 बजे उनके आवास से बेहोशी की हालत में बसावताराकम इंडो-अमेरिकन कैंसर अस्पताल लाया गया। उन्हें होश में लाने की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी मृत्यु हो गई। उपायुक्त ने कहा, 'परिवार के सदस्यों का कहना है कि पिछले कुछ दिन से वह तनाव मे थे, लेकिन किसी को उसकी वजह

पता नहीं है।' अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आर. वी. प्रभाकर राव ने कहा, 'बसावताराकम इंडो-अमेरिकन कैंसर अस्पताल की मेडिकल टीम के पूरे प्रयास के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका और उन्हें दोपहर 12 बजकर 39 मिनट पर मृत घोषित कर दिया गया।'

उपायुक्त ने कहा कि कोई सुसाइड नोट (पत्र) नहीं मिला है। एसीपी रैंक के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। तेदेपा पोलित ब्यूरो के सदस्य रावुला चंद्रशेखर रेड्डी ने बताया कि राव की मृत्यु की सूचना मिलने पर वह और पार्टी के अन्य नेता अस्पताल पहुंचे। राव 2014-19 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे। हालांकि, पिछले विधानसभा चुनावों में उन्हें गुंटूर जिले के सात्तेनापल्ली से हार मिली। उससे पहले वह गुंटूर जिले से छह बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वह तेदेपा से उसकी स्थापना के वक्त से ही जुड़े हुए थे। उन्होंने तेदेपा संस्थापक एनटी रामाराव और एन चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट में गृह, सिचाई, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी काम किया था।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, राज्य भाजपा प्रमुख के. लक्ष्मण और अन्य नेताओं ने राव की मृत्यु पर शोक जताया है।

### आसियान देशों के लिए आइआइटी में पीएचडी छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 16 सितंबर।

आसियान देशों के विद्यार्थियों के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में एक पीएचडी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत तीन बैच में 1.000 विद्यार्थियों का चयन किया

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू भवन में इस कार्यक्रम का उदघाटन किया और विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया। मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन) देशों के विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित इस पीएचडी कार्यक्रम के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आइआइटी दिल्ली इस कार्यक्रम के लिए समन्वय एजंसी होगी, जो तीन सालों में 1,000 विद्यार्थियों का चयन करेगी। मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इस साल 250 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, 2020 में 300 और 2021 में 450 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।

# मंत्रियों की तर्ज पर सांसदों के लिए भी संसद भवन में होगा अलग कमरा

संसद भवन की मौजूदा व्यवस्था में सिर्फ मंत्रियों को ही अलग कमरा मिलता है

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

आजादी की 75वीं सालगिरह से पहले तैयार होने वाले नए संसद भवन में दोनों सदनों के सभी सदस्यों को मंत्रियों के अलग चेंबर की तर्ज पर अलग कमरा दिए जाने की योजना है. ताकि उन्हें अपने विधायी कार्यों की तैयारी करने का उपयुक्त स्थान मिल सके।

संसद भवन की मौजदा व्यवस्था में सिर्फ मंत्रियों को ही अलग कमरा मिलता है। संसद सदस्यों को अभी विधायी कार्यों के लिए आवश्यक अध्ययन हेत या किसी से मिलने के लिए या तो मंत्रियों के चेंबर में शरण लेनी पड़ती है, या फिर पुस्तकालय अथवा केंद्रीय कक्ष एवं अन्य स्थानों का रुख करना पड़ता है।

ब्रिटिश काल में निर्मित संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय सहित अपने विभिन्न मंत्रालयों की इमारतें मौजूदा समय की जरूरतों की पूर्ति में नाकाफी साबित हो रही है। इसके मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक, तीन किमी के दायरे में मौजूद देश की

शासन व्यवस्था के शीर्ष सत्ता प्रतिष्ठानों (संसद भवन और केन्द्रीय सचिवालय) का कायाकल्प कर नया स्वरूप देने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इसे अंजाम दे रहे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 90 साल की ऐतिहासिक विरासत को समेटे संसद भवन की इमारत के ऐतिहासिक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह भी सही है कि बदले वक्त की मौजूदा जरूरतों को यह इमारत परा नहीं कर पा रही है। इसमें सांसदों के लिये स्थान का अभाव अहम समस्या है।

उन्होंने बताया कि अमेरिका और यरोप के तमाम विकसित देशों में सभी संसद सदस्यों को संसद भवन में अलग से कमरा मिलता है। वहीं, दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र के सांसदों को संसद भवन में ही अपने विधायी कामकाज के लिए सदन में निर्धारित सीट के अलावा कोई ऐसा निश्च स्थान नहीं है, जहां बैठकर वे किसी से मिल सकें या सदन में जाने से पहले अध्ययन और दस्तावेजी कामों की

तैयारी कर सकें।

सपा के राज्यसभा सदस्य चौधरी सुखराम सिंह ने संसद भवन को नए सिरे से बनाने या इसका पुनर्विकास करने की सरकार की परियोजना को स्वागतयोग्य बताते हुए इसमें सभी सदस्यों के लिए अलग चेंबर की व्यवस्था करने के विचार को कारगर पहल बताया। उन्होंने बताया कि मौजूदा व्यवस्था में मंत्रियों के अलावा विभिन्न दलों के नेता सदन को अलग कक्ष मिलता है। ऐसे में एक या दो सदस्यों वाले छोटे दलों के नेता और सदस्यों को स्थान के अभाव में खासी परेशानी का सामना करना पडता है।

गौरतलब है कि आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने भी शुक्रवार को ओद्यौगिक संगठन फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में संसद भवन के पूर्निवकास की योजना की पृष्टि की है। पूरी ने कहा कि संसद भवन और संयुक्त केंद्रीय सचिवालय को नया रूप देने के काम को 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।

# अलीगढ़ रेलवे स्टेशन परिसर में परिवार पर हमला

अलीगढ़, 16 सितंबर (भाषा)।

स्टेशन परिसर में एक परिवार पर हमला किए जाने के मामले ने तुल पकड़ लिया है। घटना के बाद हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के छात्र रेलवे शफीक और फहीम को ज्यादा चोट लगने के

स्टेशन पहुंच गए। एएमयू टीचर्स एसोसिएशन ने दर्ज मामले के अनुसार अफसाना और जवाहर लाल नेहरू मामले की जांच की मांग उसके परिजन जब ट्रेन से उतर रहे थे मेडिकल की है। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक क्नौज निवासी अफसाना धक्का-मुक्की हो गई। बेगम अपने बेटे शफीक

के इलाज के लिए अपने कुछ परिजनों के साथ रविवार शाम कानपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस से अलीगढ़ आ रही थी।


दर्ज मामले के अनुसार अफसाना और उसके परिजन जब ट्रेन से उतर रहे थे तभी कुछ यात्रियों ने ट्रेन में जबरन चढ़ने की कोशिश की। इस पर कहासुनी और धक्का

मुक्की हो गई।

बहरहाल, परिवार के सभी लोग ट्रेन से अलीगढ़ में अज्ञात लोगों द्वारा रेलवे नीचे उतरे। इसी बीच, भगवा गमछाधारी करीब 25 लोगों के झुंड ने अफसाना और उसके परिजनों पर हमला कर दिया। अफसाना के मताबिक इस हमले में परिवार के कुल दो लोग घायल हो गए। उनमें

> तभी कुछ यात्रियों ने ट्रेन में जबरन चढ़ने वारदात को अंजाम की कोशिश की। इस पर कहासुनी और देकर हमलावर भाग

घटना की खबर मिलने पर बडी संख्या में एएमय के छात्र रेलवे स्टेशन पहुंच गए और हमलावरों पर कार्रवाई की मांग की। जीआरपी इंस्पेक्टर यशपाल सिंह द्वारा कार्रवाई का आश्वासन देने पर स्थिति सामान्य हुई। इस बीच, एएमयू टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव प्रोफेसर नजमुल इस्लाम ने मामले की जांच की मांग की है।



अपराध की जानकारी रखने वालों को

प्रभावित कर सकते हैं शिवकुमार : ईडी

तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने

पिछले साल सितंबर में शिवकुमार, नई दिल्ली

में कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमंतैया व

एजंसी ने उनके खिलाफ पिछले साल

बंगलुरु की एक अदालत में आयकर विभाग के

जरिए दाखिल आरोपपत्र के आधार पर

पीएमएलए का मामला दर्ज किया था। करोड़ों

रुपए की कर चोरी और हवाला लेनदेन के

आरोप में आयकर विभाग ने आरोपपत्र दाखिल

कथित सहयोगी एस के शर्मा पर तीन अन्य

आरोपियों की मदद से हवाला चैनलों के जरिए

नियमित रूप से भारी मात्रा में बेहिसाब धन के

लेनदेन का आरोप लगाया था।

आयकर विभाग ने शिवकुमार और उनके

बदलने का मामला दर्ज किया था।

#### मुझे अर्थव्यवस्था की चिंता, ईश्वर रक्षा करें : चिदंबरम

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

आइएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम सोमवार को 74 साल के हो गए और इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह खुद को एक युवा की तरह महसूस करते हैं। साथ ही उन्होंने अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि 'ईश्वर इस देश की रक्षा करे'। तिहाड़ जेल में बंद चिदंबरम के जन्मदिन पर उनके पुत्र कार्ति ने उन्हें भावनात्मक रूप से याद किया तो जयराम रमेश समेत कई कांग्रेस नेताओं ने चिदंबरम को जन्मदिन की बधाई दी। जन्मदिन पर चिदंबरम के परिवार ने उनकी तरफ से उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर टिप्पणी पोस्ट की है। इसमें चिदंबरम ने कहा, 'मेरे परिवार ने मेरे मित्रों, पार्टी सहयोगियों और शुभचिंतकों की तरफ से मुझ तक शुभकामनाएं पहुंचाई हैं। मुझे याद दिलाया गया कि मैं 74 साल का हो चुका हूं। मैं 74 का हूं लेकिन दिल से मैं खुद को 74 साल का नौजवान महसूस करता हं। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए सभी का धन्यवाद।' पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, 'मैं देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोच रहा हूं। सिर्फ एक आंकड़ा पूरी कहानी बयां करता है। अगस्त महीने में निर्यात वृद्धि में 6.05 फीसद की गिरावट रही। निर्यात में 20 फीसद की वृद्धि के बिना कोई देश आठ फीसदी की जीडीपी वृद्धि दर तक नहीं पहुंच सकता। ईश्वर इस देश की रक्षा करें।'

### गंगवार बताएं, पांच साल में कितने उत्तर भारतीयों को दी नौकरियां : प्रियंका

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 16 सितंबर।

उत्तर भारतीयों में योग्यता की कमी संबंधी केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री संतोष गंगवार के ताजा बयान को लेकर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने सवाल किया कि पिछले पांच वर्षों में केंद्र की राजग सरकार ने उत्तर भारत के लोगों को कितनी नौकरियां दी हैं। दूसरी ओर पार्टी नेता राजीव शुक्ला ने केंद्रीय मंत्री के बयान की

तीखी आलोचना करते हुए कहा कि गंगवार अपने बयान के लिए माफी मांगें अथवा स्वीकार करें कि उन्होंने जो कुछ कहा है, वह राजग सरकार की नीति है।

गंगवार के बयान से जुड़ा वीडियो पोस्ट करते हुए प्रियंका ने अपने ट्वीट में कहा-मंत्री जी, आपने इतनी बडी बात बोली है तो अब आंकड़े भी दे दीजिए। आपने कितनी नौकरियाँ पिछले 5 साल और 100 दिन में दीं? पिछले पांच वर्षों में कितने उत्तर भारतीयों को नौकरियां दीं? स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत कितनी नौकरियां दीं? उन्होंने कहा कि याद रखिए, नौकरियां छीनने के आंकड़े जनता के पास हैं।

गंगवार ने शनिवार को कहा कि देश में रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं है लेकिन उत्तर भारत में आने वाले नियोक्ताओं की शिकायत है कि रिक्तियां भरने के लिए योग्य

लोगों की कमी है। गंगवार के इस बयान पर विपक्षी नेताओं ने पलटवार किया। विपक्ष ने उन पर उत्तर भारत के लोगों के अपमान का आरोप

गंगवार के बयान की तीखी आलोचना करते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि इस बयान के लिए गंगवार माफी मांगें या फिर यह स्पष्ट करें कि यह राजग सरकार की नीति है। उन्होंने कहा कि देश में रोजगार मंत्री की यह जिम्मेदारी होती है कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। लेकिन अगर देश का श्रम व रोजगार मंत्री यह कहे कि देश के युवा नकारा हैं तो फिर क्या कहेंगे ? उन्होंने कहा कि सिर्फ 2018 में ही एक करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई, जबिक इन्होंने हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। रोजगार की स्थिति बहुत खराब है। स्थिति भयावह हो चुकी है।

कांग्रेस नेता ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए सवाल किया कि जब उद्यमी पंजी देश से बाहर लेकर जा रहे हैं तो यहां रोजगार कैसे सजित होंगे ? उन्होंने दावा किया कि आज भारत के जीडीपी के विकास की दर पाकिस्तान से नीचे चली गई है और रुपया बांग्लादेश की मुद्रा टका से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। यह हालत हो गई है। लगता है कि सरकार का नेतृत्व आर्थिक संकट को गंभीरता से नहीं ले रहा है।

#### एपीएमसी के जरिए एक करोड़ से अधिक के भुगतान पर दो फीसद टीडीएस नहीं

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

कृषि क्षेत्र को राहत देते हुए सरकार ने कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) के जरिए किए गए एक करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान पर दो फीसद स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नहीं करने का फैसला किया है।

सरकार ने बजट में नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने और नकदीरहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए एक करोड़ रुपए से अधिक की नकद निकासी पर दो फीसद टीडीएस काटने का प्रावधान किया था। यह प्रावधान एक अक्तूबर से लागू हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया, ''एपीएमसी की चिंता को दूर करते हुए उसके जरिए किए गए एक करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान पर दो फीसद का टीडीएस नहीं लगेगा।

इससे किसानों को उनकी उपज का भुगतान तत्काल करने में मदद मिलेगी। इस बीच, मंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि 23 अगस्त, 2019 से 31 मार्च, 2020 के दौरान खरीदे गए वाहनों पर 15 फीसद अतिरिक्त मूल्यह्रास की अनुमति होगी। सीतारमण ने कहा कि इस कदम से वाहन क्षेत्र की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं बसों, लॉरियों और टैक्सियों के मामले में मूल्यह्रास की दर को 30 फीसद से बढ़ाकर 45 फीसद किया गया है।

# की पहली महिला सैन्य राजनियक बनीं

मास्को, १६ सितंबर (भाषा)।

विंग कमांडर अंजलि सिंह विदेश में किसी भी भारतीय दूतावास में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य राजनियक बन गई हैं। रूस में भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया कि सिंह ने दूतावास में ह्यडिप्टी एअर अताशेह्न के रूप में पदभार संभाल लिया है। मिग-29 लडाक विमान उडाने के लिए प्रशिक्षित सिंह ने 10 सितंबर को पदभार संभाला।

अंजलि सिंह ने 10 सितंबर को डिप्टी एअर अताशे के रूप में भारतीय दूतावास में पदभार संभाला।' उन्हें विदेश में किसी भी भारतीय मिशन में सैन्य राजनियक के रूप में तैनात होने वाली पहली महिला भारतीय सशस्त्र बल अधिकारी होने का गौरव प्राप्त हुआ है।

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 16 सितंबर।

> पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए समय मांगा है। वह मंगलवार को दिल्ली आने वाली हैं और बुधवार को उनकी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हो सकती है। ममता बनर्जी ने बुधवार का समय मांगा है। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक मुद्दों पर बातचीत हो सकती है।

> प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन कोलकाता में बंगाल के प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि यह आधिकारिक दौरा है और इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है।

बनर्जी ने प्रधानमंत्री से समय मांगा है।

ममता ने मोदी से समय मांगा, कल हो

मोदी और ममता के बीच प्रस्तावित बैठक को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह ऐसे समय में हो रही है, जब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कई नेता और कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार शारदा पोंजी घोटाला मामले में सीबीआइ जांच के घेरे में हैं। केंद्र सरकार और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है। दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में भी हिस्सा लेने के लिए ममता बनर्जी नहीं पहुंची थीं। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर ममता बनर्जी ने देश में 'सुपर इमरजंसी' का आरोप लगाते हुए लोगों से अपील की कि सबको यह प्रयास करना

चाहिए कि संविधान द्वारा मिले अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करें। ममता कई बार केंद्र की मौजूदा सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा चुकी हैं। लंबे अरसे से भाजपा के नेतृत्त्व वाली केंद्र सरकार पर ममता आरोप लगाती रही हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी जाने से मना कर दिया था। वहीं पश्चिम बंगाल में अपनी संभावनाएं देख रही भाजपा भी ममता बनर्जी पर बंगाल में तानाशाही के आरोप लगाती रही है। ममता बनर्जी और भाजपा के बीच टकराव का एक बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला, जब कोलकाता के पुलिस आयुक्त रहे राजीव कुमार के घर सीबीआई पहुंची। इसके विरोध में ममता धरने पर बैठक गई थीं।

# विंग कमांडर अंजलि भारत

कुछ अन्य के खिलाफ काले धन को सफेद में

दुतावास ने ट्वीट किया, 'विंग कमांडर

नई दिल्ली

### epaper.jansatta.com

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को दिल्ली

की एक अदालत में दावा किया कि अगर

कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को जमानत पर

छोड़ा जाता है तो वह धन शोधन से जुड़े उनके

'गंभीर अपराध' की जानकारी रखने वाले लोगों

को प्रभावित कर सकते हैं जिनसे अभी पूछताछ

करते हुए ईडी ने विशेष न्यायाधीश अजय

कुमार कुहार से कहा कि जांच महत्वपूर्ण स्तर

पर है और शिवकुमार को रिहा करने से अहम

सुराग नष्ट हो सकते हैं। अदालत जमानत

अर्जी पर मंगलवार को दलीलें सुन सकती है।

शिवकुमार को कल हिरासत में पूछताछ समाप्त

होने के बाद पेश किया जाएगा। उन्हें ईडी ने

शिवकुमार की जमानत अर्जी का विरोध

# हाई कोर्ट पहुंचने में 'कठिनाइयों' पर जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

जम्मू कश्मीर में लोगों को राज्य के हाई कोर्ट तक पहुंचने में कथित रूप से हो रही कठिनाइयों को 'अत्यधिक गंभीर' बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में अपनी रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर के पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इन आरोपों को गंभीरता से लेने के लिए बाध्य है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो वह स्वयं श्रीनगर जाएंगे। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी से कहा, 'यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो हमें इसका

गंभीरता से संज्ञान लेना होगा। हमें बताएं कि लोगों को हाई कोर्ट जाना क्यों बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या कोई उन्हें हाई कोर्ट जाने से रोक रहा है? यह बहुत ही गंभीर मामला है।' दो बाल अधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता

यदि ये आरोप गलत पाए गए तो याचियों को इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।

अहमदी ने पीठ से कहा कि राज्य में लोगों के लिए हाई कोर्ट तक जाना बहुत ही मुश्किल है।प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'आप कह रहे हैं कि आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। हमने हाई कोर्ट

सरकार ने राजनीतिक विषयों के पत्रकार

अजय कुमार सिंह को सोमवार को राष्ट्रपति

रामनाथ कोविंद का प्रेस सचिव

नियुक्त किया है। पचपन वर्षीय सिंह

मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति के प्रेस

सचिव के रूप में सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दी

है। सिंह की नियुक्ति संविदा के आधार पर

फिलहाल एक साल के लिए या फिर अगले

स्वार्थों के कारण इसका विरोध कर रहे हैं।

विधानसभा में नेता ने प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश

ने मुख्यमंत्री के बयान पर कडी आपत्ति जताते

हए कहा कि जिस वोट बैंक को साधने के लिए

मुख्यमंत्री एनआरसी लागू करने की बात कर

रहे हैं, ऐसा न हो कि कहीं वह वोट बैंक ही

उनके हाथ से न खिसक जाए और जनता

उनकी पार्टी को सबक सिखा दे। उधर, भाजपा

के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि

मुख्यमंत्री का राज्य में एनआरसी लागू करने

का विचार स्वागत योग्य है क्योंकि उत्तराखंड में

कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के आदेश के

फिलहाल फर्स्टपोस्ट से जुड़े हुए हैं।

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट मंगाई है। यदि आवश्यक हुआ, मैं खुद वहां जाऊंगा।' इसके साथ ही पीठ ने आगाह भी किया कि अगर ये आरोप गलत पाए गए तो याचियों को इसके नतीजे

किए जाने के मामले में बाल अधिकारों की सुनवाई कर रहा था।

370 हटाने के खिलाफ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाए जाने के फैसले और राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन के खिलाफ 'जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कांफ्रेंस' (जेकेपीसी) की याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को तैयार हो गया।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर के एक पीठ ने जेकेपीसी की याचिका को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने के फैसले और राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन के खिलाफ पहले से ही लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया। इन सभी याचिकाओं को पहले ही पांच सदस्यीय

हालांकि, पीठ ने इस मामले में दूसरी नई याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि वह अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। पीठ ने कहा कि इस मामले में जो भी बहस करना चाहते हैं, वे पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं। पीठ ने इस मामले में दायर कई याचिकाओं का जिक्र करते हुए कहा, 'हम विधायी कार्रवाई की वैधता की जांच कर रहे

पीठ ने कहा कि इन सभी याचिकाओं पर संविधान पीठ अक्तूबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा। जेकेपीसी के वकील ने जब अपनी याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया तो पीठ ने कहा, 'आपको इस न्यायालय में पहले आना चाहिए था।'

जेकेपीसी ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी अनच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र के कदम को चूनौती दी है और राज्य पुनर्गठन कानून तथा राष्ट्रपति के आदेश को 'असंवैधानिक और शून्य' घोषित करने का अनुरोध किया है।

जेकेपीसी राज्य के संवैधानिक दर्जे में किए गए बदलावों को शीर्ष अदालत में चुनौती देने वाला नेशनल कांफ्रेंस के बाद दुसरा राजनीतिक दल है। नेशनल कांफ्रेंस के दो सांसदों मोहम्मद अकबर लोन और सेवानिवृत्त न्यायाधीश हसनैन मसुदी ने केंद्र के निर्णय के खिलाफ याचिका दायर कर रखी है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में मसूदी ने ही 2015 में अपने फैसले में व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 370 संविधान का स्थायी

#### पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यों का बंटवारा

पेज 1 का बाकी

को परिभाषित किया है। पीएमओ की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रधान सचिव मिश्र नीतिगत मुद्दों, कार्मिक व कानून मंत्रालयों के अलावा कैबिनेट की नियुक्ति समिति व अन्य नियुक्तियों से जुड़े मामले देखेंगे। आदेश के अनुसार वे कैबिनेट सचिवालय से संबंधित मुद्दे, मंत्रिमंडल की बैठक के लिए विषयों की सूची, भ्रष्टाचार रोधी इकाई, पीएमओ के प्रतिष्ठानों और सभी महत्त्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे व मामले भी देखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल नियुक्तियों को छोड़कर राष्ट्रीय सुरक्षा और नीतिगत मामलों से जुड़े सभी मामले देखेंगे। वे विदेश मंत्रालय, प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और देश की बाह्य खुफिया एजंसी 'रिसर्च एंड एनालिसिस विंग' (रॉ) से जुड़े मामले भी देखेंगे।

डोभाल को ह्यनेशनल सोशिलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंडह्न (एनएससीएन) अलगाववादियों से वार्ता की जिम्मेदारी भी दी गई है। 13 सितंबर को जारी आदेश के अनुसार प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार पीके सिन्हा सभी मंत्रालयों/विभागों/एजंसियों/ निकायों से संबंधित नीतिगत मुद्दों और मामलों की देखरेख करेंगे जो विशेष रूप से प्रमुख सचिव और एनएसए को आबंटित किए गए हैं। सिन्हा पूर्व कैबिनेट सचिव हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सलाहकार बनाए जाने से पहले पीएमओ में ओएसडी थे। मिश्र और डोभाल को कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा मिला हुआ है।

#### आजाद को कश्मीर जाने की इजाजत

पेज 1 का बाकी विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को अपने गृह राज्य जम्मू–कश्मीर वापस जाने की भी इजाजत दे दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाले पीठ ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को जम्मू, अनंतनाग बारामुला और श्रीनगर जाने और लोगों से बातचीत करने की अनुमति दे दी। पीठ में न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एसए नजीर भी शामिल थे। आजाद ने शीर्ष अदालत से अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति भी मांगी थी। पीठ ने माकपा नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को अपने गृह राज्य जम्मू–कश्मीर वापस जाने की सोमवार को अनुमति दे दी। पीठ ने कहा कि यदि एम्स के चिकित्सक उन्हें अनुमति दें तो पूर्व विधायक को घर जाने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि उनका वाहन उनसे ले लिया गया है और वे अपने घर तक ही सीमित रहेंगे। बीमार नेता को शीर्ष अदालत के आदेश के बाद नौ सितंबर को एम्स में भर्ती कराया गया था। तारिगामी को जम्म् कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने संबंधी अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान रद्द करने के केंद्र के निर्णय के बाद पांच अगस्त से ही घर में नजरबंद कर दिया गया था

#### भ्रष्टाचार के मामले में सेवानिवृत्त मेजर जनरल को जेल

पेज 1 का बाकी

भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। उन्हें एक रक्षा सौदे में 70 हजार रुपए की घूस लेने के मामले में दोषी ठहराया गया था।

न्यायाधीश ने अदालत की वेबसाइट पर हाल ही में डाले गए अपने आदेश में कहा, 'किसी भी विभाग में भ्रष्ट्राचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता लेकिन जब भारतीय सेना में भ्रष्टाचार की बात आती है तो यह तथ्य समाज के विश्वास को ही झकझोर देता है और इसलिए दोषी को उचित सजा दी जानी चाहिए।' तहलका के 'ऑपरेशन वेस्टेंड' के दौरान इसके प्रतिनिधियों ने सरकारी कर्मियों, सेना के कर्मियों, कारोबारियों व नेताओं समेत अनेक लोगों से मुलाकात की थी। कथित तौर पर रक्षा उपकरणों की आपूर्ति का ऑर्डर हासिल करने के लिए यह किया गया था

#### महाराष्ट्र में कांग्रेस व राकांपा मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

पेज 1 का बाकी

सामने यह गठबंधन नहीं टिक पाया। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में यह सियासी जोड़ी कितनी कारगर साबित होती है। इस मामले में कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों दल अलग-अलग लड़े थे जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिला। अब इस चुनाव में दोनों दल एक बार फिर से साथ आ गए हैं तो दोनों को इसका फायदा भी जरूर मिलेगा।

यदि आवश्यक हुआ, मैं खुद वहां जाऊंगा। लेकिन

भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से

सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि राज्य में सभी अदालतें काम कर रही हैं। यहां तक कि वहां लोक अदालत भी लगी है। न्यायालय कश्मीर में बच्चों को नजरबंद विशेषज्ञ इनाक्षी गांगुली और प्रोफेसर शांता सिन्हा की ओर से दायर जनहित याचिका पर

आदेश तक के लिए की गयी है। सिंह अशोक

मलिक का स्थान लेंगे। मलिक का कार्यकाल

जुलाई में ही समाप्त हो गया। सिंह ने करियर की

शुरुआत 1985 में लखनऊ में 'टाइम्स ऑफ

इंडिया' के साथ की। उन्होंने 'इकोनॉमिक

टाइम्स' और 'टेलीग्राफ' के साथ भी काम किया

है। बाद में वह दिल्ली में 'पायनियर' के साथ भी

जुड़े रहे। उन्होंने 'बिजनेस स्टैंडर्ड', 'स्टार न्यूज'

और 'न्यूज एक्स' के साथ भी काम किया है।

फर्स्टपोस्ट के साथ बतौर कार्यकारी संपादक

जुड़ने से पहले वह 'गवर्ननेंस नाऊ' पत्रिका के

संपादक थे। बाद में वह वापस निदेशक, संपादक

तत्त्वों ने राज्य के सीमावर्ती जिलों में अपनी

घसपैठ बढाई जिससे राज्य का जनसांख्यिकीय

और पिथौरागढ तथा चमोली जैसे सीमांत जिलों

में दूसरे प्रदेशों से आए एक समुदाय के लोगों

का आवागमन बढा है जिनकी गतिविधियों पर

राज्य के खुफिया विभाग की निगाहें टिकी हुई

हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में

एनआरसी लागू करने के कई मायने निकाले

बताते चलें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी

के रूप में 'गवर्ननेंस नाऊ' से जुड़े।

संतुलन बिगड़ने का अंदेशा है।

संविधान पीठ को सौंपा जा चुका है।

#### पाकिस्तान ने दागे मोर्टार, पांच भारतीय जवान घायल

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 16 सितंबर।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा से लगे गांवों और अग्रिम चौकियों पर पाकिस्तान की सेना ने मोर्टार के गोले दागकर संघर्षविराम का उल्लंघन किया। इसमें सेना के पांच जवान घायल हो गए।

सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने रविवार देर रात करीब साढ़े दस बजे मेंढर सेक्टर के बालाकोट क्षेत्र में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू की और मोर्टार के गोले दागे। भारतीय सेना के जवानों ने इसका माकूल जवाब दिया। उन्होंने एक बयान में बताया, 'गोलाबारी में मामूली रूप से घायल हुए भारतीय सैनिकों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।' अधिकारियों ने बताया कि सेना का एक दल नियंत्रण रेखा पर सतर्क बैठा था, उसी दौरान उनके निकट मोर्टार के गोलों से रात करीब 12 बजकर 30 मिनट पर विस्फोट हुआ, जिससे पांच सैनिक घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना द्वारा दागा गया 120 एमएम का मोर्टार सेना की चौकी के पास गिरा था। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में सीमा पार भी काफी नुकसान हुआ।

# किश्तवाड़ से कर्फ्यू हटा

जम्मू, 16 सितंबर। प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख नेता गुलाम नबी गुंडाना को कर्प्यू के बीच मंगलवार को जम्मू-कश्मीर और जमात-ए-इस्लामी के इस 70 वर्षीय नेता के किश्तवाड़ जिले में उनके गृह नगर में के अंतिम संस्कार के दौरान कोई भी अप्रिय दफनाया गया। हालांकि, गुंडाना को दफनाने के घटना नहीं हुई। (भाषा)

कुछ समय बाद ही कर्फ्यू हटा दिया गया, क्योंकि इस दौरान हालात एकदम शांतिपूर्ण थे

## शाहजहांपुर मामला : छात्रा का बयान दर्ज

पेज 1 का बाकी

गए थे। इस बीच, कथित पीड़िता का बयान होने के बाद शाम को स्वामी चिन्मयानंद की तबीयत खराब हो गई। मेडिकल कॉलेज के और प्राइवेट डॉक्टरों की टीम उनके आवास पर उनका इलाज कर रही है। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर एमएल अग्रवाल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि स्वामी चिन्मयानंद की तबीयत खराब हो गई है। इसी के चलते हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केसी वर्मा के साथ उन्होंने स्वामी चिन्मयानंद के दिव्य धाम में आकर उनका उपचार किया। इस दौरान एक प्राइवेट नर्सिंग होम से भी चार डॉक्टरों की एक टीम बुलाई गई। फिलहाल उनकी हालत

इस बीच, सूत्रों ने बताया कि विशेष जांच दल (एसआइटी) की टीम ने पीड़िता को स्वामी चिन्मयानंद द्वारा दिलवाई गई एक स्कटी के संबंध में एजंसी के मैनेजर को बुलाकर पूछताछ की। इसके अलावा एक मेडिकल स्टोर के स्वामी से भी इस सिलसिले में पूछताछ की गई कि

चिन्मयानंद उनके यहां से कौन-कौन सी दवाएं मंगाते थे। वहीं, चिन्मयानंद के समर्थन में यहां रविवार को आए एक तथाकथित हिंदु संगठन के अध्यक्ष

स्वामी ओम जी एवं मुकेश जैन का शाहजहांपुर में विरोध शुरू हो गया है। रविवार को एक पत्रकार वार्ता में मुकेश जैन ने शाहजहांपुर की बेटियों को विषकन्या बताया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर इनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। छात्र शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौराहे के पास ओम जी का पुतला फूंका और उनकी जीभ काट कर लाने वाले को 50 लाख रुपए के इनाम का एलान किया। इसके अलावा ओम जी के विरुद्ध जिले के कई थानों में विषकन्या के बयान पर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई है। इस बीच, स्वामी चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह ने बताया कि चिन्मयानंद के निर्देश पर एक टीम बना दी गई है जो सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं उनके खिलाफ काननी कार्रवाई की जाएगी।

# पीएसए के तहत गिरफ्तार हुए फारूक अब्दुल्ला

राष्ट्रपति के नए प्रेस सचिव होंगे सिंह

उत्तराखंड में लागू करेंगे एनआरसी: रावत

**पेज 1 का बाकी** कांग्रेस सरकार के जमाने में बहुत से बाहरी

पेज 1 का बाकी

को बिना मुकदमे के छह महीने तक हिरासत में रखा जा सकेगा। यह अवधि छह-छह महीने के लिए कुल दो साल तक बढ़ाए जाने का प्रावधान है। पूर्व मुख्यमंत्री पर पीएसए के तहत एक दिन पहले ही रविवार को केस दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में एमडीएमके नेता वाइको के द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई से एक दिन पहले फारूक के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। वाइको की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर 30 सितंबर तक जवाब मांगा है। अपनी याचिका में एमडीएमके नेता वाइको ने अब्दुल्ला की रिहाई की मांग की थी, जिससे कि वे चेन्नई में एक कार्यक्रम में शामिल हो सकें। पीएसए के तहत गिरफ्तारी के बाद गृह

मंत्रालय ने उनके गुपकर मार्ग स्थित आवास को ही उप जेल घोषित कर दिया है। ऐसे में फारूक अपने घर में हैं, लेकिन बतौर बंदी। उन्हें पीएसए के 'लोक व्यवस्था' और 'राज्य की सुरक्षा को खतरा' प्रावधान के तहत गिरफ्तार किया गया है, जो अधिकारियों को किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के छह महीने तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। यह अवधि छह-छह महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है।

तीन बार मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला वर्तमान में श्रीनगर से लोकसभा सदस्य हैं। वे मुख्यमंत्री पद पर रहे ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पीएसए के तहत नामजद किया गया है। पीएसए केवल जम्मू कश्मीर में लागू है, जबिक देश के अन्य हिस्सों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) है।

#### पेज 1 का बाकी

और इंटरनेट सेवाएं कथित रूप से ठप होने के बारे में जब शीर्ष अदालत को बताया गया तो पीठ ने कहा कि इन मुद्दों पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट विचार कर सकता है। पीठ ने कहा, 'क्या आज भी वही स्थिति है? हम कह रहे हैं कि यदि कुछ स्थानीय मुद्दे हैं तो बेहतर होगा कि उन पर हाई कोर्ट विचार करे। हाई कोर्ट के लिए यह जानकारी प्राप्त करना आसान होगा कि मोबाइल और इंटरनेट सेवा ठप होने को लेकर राज्य में क्या हो रहा है।'

कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की ओर से अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने पीठ से कहा कि घाटी में मोबाइल. इंटरनेट सेवा और सार्वजनिक परिवहन सेवा काम नहीं कर रही है और उनके लिए हाई कोर्ट जाना मुश्किल होगा। भसीन ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान रद्द किए जाने के बाद जहां राज्य में पत्रकारों के काम करने पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया वहीं कुछ अन्य

याचियों ने कश्मीर में सार्वजनिक परिवहन सेवा ठप होने और चिकित्सीय सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। हालांकि, वेणुगोपाल ने कहा कि याचियों द्वारा उठाए गए मुद्दे 'सही नहीं लगते' क्योंकि कश्मीर से अखबार छप रहे हैं और सरकार उन्हें हर मदद की पेशकश कर रही है।

सामान्य हालात बहाल करे

पीठ ने इस पर कहा, 'यह एक या दो अखबारों का मामला नहीं है। वे कह रहे हैं कि सामान्य संचार व्यवस्था ठप है। हम जानना चाहते हैं कि क्या यह ब्रेक डाउन है या शटडाउन और किस वजह से। वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि श्रीनगर में मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है जहां सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक पत्रकारों को इंटरनेट और फोन स्विधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पत्रकारों को अपना काम करने के लिए आने-जाने के पास और वाहन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पीठ ने अटार्नी जनरल से कहा, 'आप ये सारी बातें हलफनामे पर दें। इस बीच, हम आप पर (सरकार) भरोसा करते हैं कि आप सेवाएं बहाल करने और हालात सामान्य बनाने का

प्रयास करेंगे।' जब कुछ अन्य याचियों ने कश्मीर में चिकित्सा सुविधाओं की कथित कमी का मुद्दा उठाया तो वेणुगोपाल ने कहा कि घाटी में पांच

अगस्त से 15 सितंबर तक अस्पतालों के बहिरंग मरीज विभाग में करीब 10.52 लाख मरीजों को देखा गया है। मेहता ने कहा कि राज्य में दवाओं की कोई कमी नहीं है और जरूरी चीजों का तीन महीने का स्टाक पहले से ही वहां है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के समक्ष पेश की गई तस्वीर गलत है। पीठ ने जब यह कहा कि केंद्र और राज्य को यह सनिश्चित करना चाहिए कि हालात सामान्य बनें तो मेहता ने कहा, 'इस निर्देश का अन्यत्र देश के भीतर नहीं बल्कि बाहर दुरुपयोग हो सकता है।' इस पर पीठ ने कहा, 'हम कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं। हमने यही कहा है कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए चयनित

आधार पर स्थिति बहाल की जाएगी।

#### बिहार सरकार और डीजीपी को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

पेज 1 का बाकी

बार आपराधिक प्रवृत्ति का शिकार बनी और पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना अब भी बाकी है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। साथ ही, पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर स्थिति रिपोर्ट भी मांगी। एनएचआरसी के एक बयान के मुताबिक आयोग ने राज्य प्रशासन को पीड़िता को उपयुक्त काउंसलिंग व मेडिकल सहायता देने का भी निर्देश दिया, ताकि वह इस सदमे से उबर सके। उसने कहा कि बलात्कार पीड़िता राज्य सरकार की बेपरवाही की पीड़ित बन गई है। आयोग ने कहा कि लड़की को दो बार (बलात्कार का) शिकार बनाया जाना बिहार में अराजकता का संकेत देता है। अपराधी कानून से बेखौफ खुल कर अपनी इच्छानुसार जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं।

वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के नेतृत्व वाली सिमिति 19-20 सितम्बर को बिहार का दौरा करेगी और

पीड़िता, पुलिस महानिदेशक और संभवतः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेगी। शर्मा ने ट्वीट किया, 'बिहार से हमारे सदस्य नियमित दौरे करते हैं और उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मामलों को उठाया है लेकिन चीजों में सुधार होता प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं सभी मामलों पर निजी तौर पर बिहार के डीजीपी से और संभव हुआ तो बिहार के मुख्यमंत्री के साथ भी चर्चा करूंगी।' उन्होंने कहा, 'वह पहले से पीड़िता है, उसकी मदद करने के बजाय उसे इस सब से गुजरना पड़ा।' आयोग ने बिहार के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी कर मामले को प्राथमिकता देने और जांच को तेजी से पूरा

करने को कहा है। मुजफ्फरपुर आश्रयगृह 2018 में मीडिया की सुर्खियों में आया था, जब एक सोशल ऑडिट में यह बात सामने आई थी कि एक एनजीओ द्वारा संचालित सरकारी सहायता प्राप्त बालिका गृह में 30 से अधिक लड़िकयों से कथित तौर पर बलात्कार किया गया।

### करतारपुर गलियारा नौ नवंबर से खोल दिया जाएगा: पाकिस्तान

पेज 1 का बाकी

भारत द्वारा किया जाएगा। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए थे कि पाकिस्तान गलियारे के जरिए प्रतिदिन पांच हजार श्रद्धालुओं को अपने यहां आने की अनुमति देगा। यह भारत-पाकिस्तान के बीच 1947 के बाद से अब तक का पहला वीजा मुक्त गलियारा होगा।

परियोजना निर्देशक माजिद ने कहा कि हर दिन भारत से 5,000 सिख तीर्थयात्रियों के आगमन के लिए लगभग 76 आव्रजन केंद्र स्थापित किए गए हैं। बाद में प्रतिदिन आने वाले 10,000 तीर्थयात्रियों के लिए 152 आव्रजन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शुरू में भारत से रोजाना 5,000 सिख श्रद्धालु आएंगे और बाद में यह संख्या बढ़कर 10,000 हो जाएगी।

# पाकिस्तान के हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, 218 पर मामला

अपराध किया है। इसके बाद रविवार को व्यापक विरोध प्रदर्शन शरू हो गया। दंगे के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से प्राचार्य को गिरफ्तार करने की मांग की। प्राचार्य की पहचान नृतन मल के रूप में हुई है। डॉन समाचार पत्र ने सुक्कुर के अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) जमील अहमद के हवाले से बताया कि घोटकी पुलिस ने दंगाइयों के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए हैं, जिन्होंने ईश-निंदा की कथित घटना के बाद सड़कों पर प्रदर्शन किए।

उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने हिंदू मंदिर में भी तोड़फोड़ की। धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने के लिए 45 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जबकि एक अन्य एफआइआर सड़क जाम करने के लिए 150

लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। दंगे और चोरी के लिए एक तीसरी प्राथमिकी भी दर्ज हुई

रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने स्कूल प्रशासन से कहा है कि वह विद्यालय के भवन और संपत्ति को हुए नुकसान के लिए अलग से शिकायत दर्ज कराएं, ताकि एक चौथी प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा सके। एआइजी अहमद ने बताया कि कथित आरोपी मल फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।

इस बीच घोटकी में सोमवार को हालत काबू में रहे, हालांकि हिंदू इलाकों में दुकानें बंद रहीं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल ने धाम मंदिर का दौरा किया और हिंदू समुदाय के प्रति एकजुटता प्रकट की। इस मंदिर में कल उग्र भीड़ ने तोड़फोड़ की थी।

# 'हाउडी मोदी' में मोदी के साथ ट्रंप का भी होगा संबोधन

पेज 1 का बाकी

मजबूत करने, दुनिया के सबसे पुराने व सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच रणनीतिक साझेदारी की पुनः पुष्टि करने और उनकी ऊर्जा व व्यापारिक संबंधों को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा करने का बेहतरीन मौका होगा।' यह पहला मौका होगा जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति एक ही स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय-अमेरिकियों को संबोधित करेंगे। अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन शृंगला ने कहा कि ट्रंप का 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में हिस्सा लेना ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। शृंगला ने से कहा, 'यह दोस्ती और सहयोग के मजबूत

रिश्तों को दर्शाता है, जो भारत और अमेरिका के बीच विकसित हुए हैं।'

राजदूत ने वाइट हाउस की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा, 'यह अभूतपूर्व व ऐतिहासिक है और भारत-अमेरिका के बीच करीबी संबंधों को दर्शाता है।' राजदूत ने कहा कि दोनों नेताओं का कार्यक्रम को संबोधित करना बड़ी मिसाल कायम करता है, जो अपरंपरागत व अनोखी है। शृंगला ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का 50,000 से अधिक अमेरिकी-भारतीयों (अधिकतर अमेरिकी नागरिकों) को संबोधित करना ऐतिहासिक होगा।' वाइट हाउस के

अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप के साथ हुई मुलाकात में इसका अनुरोध किया

भारत जी-7 का हिस्सा नहीं है लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उसे विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। अधिकारी ने कहा कि ट्रंप ने तुरंत ही प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। मोदी और ट्रंप के बीच इस साल यह तीसरी मुलाकात होगी। जी-7 से पहले दोनों नेताओं ने जून में जापान में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर

### मोदी के खिलाफ न बोलें, बातचीत के दरवाजे खोलें

पेज 1 का बाकी

में छपी एक खबर के मुताबिक, दोनों ने प्रधानमंत्री इमरान खान, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। यह बातचीत बेहद गोपनीय थी और विदेश मंत्रालय के केवल शीर्ष अधिकारियों को ही उन बैठकों में जाने दिया गया। बैठक में सऊदी अरब और यूएई के मंत्रियों ने यह इच्छा जताई कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव कम करने के लिए वे भूमिका निभाना चाहते हैं। इनमें से एक प्रस्ताव दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे से बातचीत का भी था। मध्यस्थों ने यह इच्छा जताई कि

कश्मीर में कुछ पाबंदियों में ढील देने के लिए वह भारत को राजी करना चाहते हैं, साथ ही पाकिस्तान से अनुरोध किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले बंद करे। प्रधानमंत्री इमरान खान से अनुरोध किया गया कि वह अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ जुबानी हमले कम करें। , पाकिस्तान ने उनके अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया और साफ किया कि वह भारत के साथ पारंपरिक कूटनीति तभी करेगा, जब नई दिल्ली कुछ शतों पर राजी हो जाए। इन शतों में कश्मीर से कर्फ्यू व अन्य पाबंदियां हटाना शामिल हैं।

नई दिल्ली

epaper.jansatta.com

# जिम्मेदार लोगों को सजा देने के लिए पूरी तरह तैयार है अमेरिका: ट्रंप

वाशिगटन, १६ सितंबर (भाषा)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि सऊदी अरब की तेल कंपनी पर किए गए ड्रोन हमले का जवाब देने के लिए उनका देश पूरी तरह से तैयार है।

ट्रंप के इस बयान से एक दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार बताया था। इस हमले के कारण तेल की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। खाड़ी

बार देखा गया है। शनिवार को हए इन हमलों में सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको

युद्ध के बाद तेल कीमतों में इतना उछाल पहली

#### सऊदी तेल कंपनी पर हमले का मामला

के अब्कैक स्थित सबसे बड़े तेल शोधन संयंत्र और ख़ुरैस स्थित तेल क्षेत्र को निशाना बनाया गया। ईरान ने इन हमलों में किसी भी प्रकार की संलिप्तता से इनकार किया है।

इसकी जिम्मेदारी यमन में सिक्रय ईरान से जुड़े हती विद्रोहियों ने ली है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने बिना कोई साक्ष्य दिए हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार बताया। इस पर ईरान ने अमेरिका पर धोखा देने का आरोप लगाया। रविवार को किए गए ट्वीट में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सीधे-सीधे आरोप नहीं लगाया लेकिन कहा कि हमले के लिए जो भी जिम्मेदार है. उसका पता लगते ही उनका प्रशासन उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है।

#### MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, (MSRDC)

Opp. Bandra Reclamation Bus Depot, Bandra (W), Mumbai - 400 050 Tel. No.: 26517900/26558175, Fax:022-2641 7893 Website: www.msrdc.org; CIN: U45200MH1996SGC101586.

(A Govt. of Maharashtra undertaking) E-Tender Portal: https://mahatenders.gov.in

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन)

नियमावली, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के मामले में

वृन्दा फाइनांस लि. जिसका पंजीकृत कार्यालय

के-1/58, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-110011 में है, के मामले में

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय

को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 05 सितम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित

विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे

वर्णित पंजीकृत कार्यालय के पते पर आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह

दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें

पंजाब मेशनल बैंक 💟 punjab national bank

BO: Large Corporate Branch, Tolstoy House, Tolstoy Road, New Delhi-110001

Phone-23311654, 23752604, Fax-23323480 Email:bo2164@pnb.co.in

SHOW CAUSE NOTICE TO THE BORROWER/GUARANTOR(S) / NON- GROUP

REG.: Identification of default in the loan account of M/s Unigreen Global Pvt. Ltd

with the Bank, as "Wilful"- Consequently disclosing and publishing your name/s as

Please refer to our notice dated 08.05.2019 vide which we had pointed out event(s) of

wilful default in the loan account. You vide letter dated NIL made representation on the

event(s) of wilful default. The same were examined at ours, but explanation was not found

The facts of the matter were placed before the Committee on Wilful Defaulters, who after

going through facts of the matter, evidence on record and your representation made, has

Accordingly, the "Committee on Wilful Defaulters" set up by the bank, has identified the

default, as Wilful to classify you (Borrower) & Directors/Partners/etc.as "Wilful Defaulter".

In case you feel aggrieved by the conclusion of the "Committee on Wilful Defaulters", you

may make a submission/representation, if you so desire, to the 'Committee on Wilful

Defaulters' and show cause as to why you should not be classified as "wilful defaulter".

Your submission/representation must reach us within 15 days of the receipt hereof and be

sent to us on the Postal Address viz. Dy. General Manager, SASTRA Division, 3rd Floor,

If we do not receive any submission/representation of yours, it would be deemed that you

have nothing to say in your defence (against the conclusion of the "Committee on Wilful

Defaulters") and Bank may publish your name or the name/s of your company/firm/ unit

and your Director/s/Partner/s/Proprietor as "Wilful Defaulters" to RBI/CIBIL/other credit

nformation Companies and in such manner and through such medium as the bank in their

Punjab National Bank, Head Office, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075.

found that there is /are event(s) of wilful default committed by you.

Sh. Anurag Garg

Sh. Akresh Garg

A-88, Preet Vihar, Delhi-92

A-88, Preet Vihar, Delhi-92

M/s BNG Trade Links Pvt. Ltd

R-5, Main Market, Shakarpur Delhi-92

Branch Head, Punjab National Bank

CORPORATE GUARANTOR(S) / GROUP CORPORATE GUARANTOR(S)

की धारा 13 के अंतर्गत यह कपंनी केन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निदेशक के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

SAMRUDDHI

#### REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)

Maharashtra State Road Development Corporation Ltd. (MSRDC), Mumbai invites online digitally signed offers in two envelope systems from the eligible Professional Manpower providing agencies/firms/companies for the work mentioned below

| RFP called for   | Fee<br>(non<br>refundable) | EMD<br>(in Rs.) | Empanelment period | Sale Period<br>of Bid  | Last Date<br>of bid<br>Submission | Pre Bid<br>Meeting             | Date of<br>Technical Bid<br>Opening |
|--|----------------------------|-----------------|--------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Empanelment of Agencies for<br>Providing Professional<br>Manpower (Technical, Financial,<br>Planning, IT etc.) to Head Office<br>Mumbai, Bandra Office and All<br>Regional Offices of MSRDC in<br>Maharashtra. |                            | 15,00,000/-     | Three Years        | 17.09.2019<br>at 15.00 hrs.<br>To<br>16.10.2019<br>at 15.00 hrs. | 16.10.2019<br>at<br>15.00 hrs.    | 30.09.2019<br>at<br>15.00 hrs. | 17.10.2019<br>at<br>15.00 hrs.      |

Interested agencies/tirms/companies can see the detailed information, download, purchase and upload the offer document from E-tendering portal https://mahatenders.gov.in. Vice Chairman & Managing Director reserves the right to select agencies/firms/ companies and also reserves the right to cancel the bidding process without assigning any reason whatsoever.

या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

M/s Unigreen Global Pvt. Ltd

A-88, Preet Vihar, Delhi-92

A-88, Preet Vihar, Delhi-92

159, Surya Niketan, Delhi-92

interalia for the following reasons:

Date: 06-09-2019, Place: New Delhi

Maharastra

Pune-411014 Maharastra

"Wilful Defaulters".

Siphoning of funds

Sh. Ritu Garg

Sh. Vishal Garg

के-1/58, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-110011

VC & MD

आवेदक के लिये तथा उनकी ओर रं

DIN: 06736979

#### **सिंडिकेटबैंक** SyndicateBank

Branch- Garhmukteshwar

#### कब्जा नोटिस

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक गढ़मुक्तेश्वर शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 03.06.2019, को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता श्रीमती सुमन देवी पत्नि बलराज सिंह, पताः वार्ड नं0. 9, उपाध्याय नगर, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़— 245205, और गारण्टर श्री कपिल सिंह पुत्र मदन सिंह, पताः सीओ वेदान्त कॉलेज, गढमुक्तेश्वर, हापुड़— 245205 खाताधारक हैं को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रू.– 1,45,222/– (रूपये एक लाख पैंतालिस हजार दो सौ बाईस केवल) अदा करने की तिथि 31.05.2019 तक उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12 सितम्बर 2019 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन—देन सिंडिकेट बैंक, गढ़मुक्तेश्वर शाखा को देय धनराशि रू.— 1,45,222 / -(रूपये एक लाख पैतालिस हजार दो सौ बाईस केवल) अदा करने की तिथि 31.05.2019 को तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

#### अचल संपत्तियों का विवरण

युआरईएम प्लॉट जिसकी माप 100 स्क्वेयर यार्ड मी०. उपाध्यायनगर, वार्ड नं०. 12, गढ़मुक्तेश्वर मालिक सुमन देवी। जिसकी सीमाऐ- उत्तर में हरदास का खाली प्लॉट, दक्षिण में रास्ता, पूर्व में गुरमीत सिंह का खाली प्लॉट और पश्चिम में बलराज सिंह का

दिनांकः 12.09.2019 स्थानः गढ्मुक्तेश्वर ।

सिंडिकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय

भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा-।।, एसबीआई हाऊस, चौथा तल, 18/4, आर्यो समाज रोड,

नियम-8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के अन्तर्गत कब्जा सूचना जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक**, एसएआरबी— । ।, एसबीआई हाऊस, चौथा तल, आर्या समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली का प्राधिकत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के नियम 9 के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत **कर्जदार और गारंटर श्री** कपिल मनचंदा पुत्र कश्मीरी लाल मनचंदा, श्रीमती निधि मनचंदा पत्नी कपिल मनचंदा और श्री कश्मीरी लाल मनचंदा पुत्र श्री राम धन मनचंदा निवासी : 37 / बी, गली नं. 2, रघुकुल विहार, टीपी नगर, मेरठ (यू.पी.) मेरठ को मांग नोटिस दिनांक 23.11.2017 को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि रु. 30,03,679/- (रु. तीस लाख तीन हजार छः सौ उनासी मात्र) दिनांक 23.11.2017 तक लागू ब्याज और दिनांक 24.11.2017 से भविष्य का ब्याज साथ में **सभी आकस्मिक खर्चें, लागत, प्रभार इत्यादि सहित** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60

कर्जदार और गारंटर उक्त राशि का भूगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार / गारंटर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने निम्नवर्णित **संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4)** के नियम 9 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अंतर्गत **दिनांक 14.09.2019** को ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्तियों के साथ कोई भी लेन देन **भारतीय** स्टेट बैंक, के प्रभार वास्ते रु. 30,03,679/- (रु. तीस लाख तीन हजार छः सौ उनासी मात्र) दिनांक 23.11.2017 तक लागू ब्याज और दिनांक 24.11.2017 से भविष्य का ब्याज साथ में **सभी आकरिमक खर्चें, लागत, प्रभार इत्यादि सहित** के अधीन होगा, जमा राषि घटाकर, यदि कोई हो।

साम्यिक बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. ए—286, सैक्टर—2, फेज—1, शताब्दी नगर, मेरठ में स्थित, यह सम्पत्ति श्री कपिल मनचंदा पुत्र कशमीरी लाल मनचंदा और श्रीमती निधि मनचंदा पत्नी श्री कपिल मनचंदा के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में — 25 मी. प्लॉट ए—285, पश्चिम में — 25मी. प्लॉट ए—287, उत्तर में — 12मी. प्लॉट नं. ए—279, दक्षिण में — 12मी., 18मी. जुडा चौडा

दिनांक : 11-09-2019, स्थान : मेरठ हस्ता/- प्राधिकत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

#### प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में ] के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक (केन्द्र सरकार) उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

(निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

ओ 2 ओ सॉफ्टवेअर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय आर-730, 1ला तल, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060,

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली'' से ''कर्णाटक राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 24 जुलाई, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से (14) चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपित के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र 5, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

तिथि: 14 सितम्बर, 2019

epaper.jansatta.com

स्थानः बैंग्लोर

विनीथ नरिसम्हन

थ्रीडी बायोप्रिंटिंग तकनीक विकसित करने के लिए आस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय का भारत से करार मेलबर्न, 16 सितंबर (भाषा)।

आस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय ने थ्री डी बायोप्रिंटिंग तकनीक विकसित करने के लिए भारत के प्रथम समन्वित चिकित्सीय उपकरण विनिर्माण क्षेत्र के साथ साझेदारी की है। 'बायोप्रिंटिंग' जैविक ऊतकों और अंगों की जीवित कोशिकाओं की परतों के जरिये त्रिआयामी तस्वीरें लेने की तकनीक है। हालांकि, यह क्षेत्र अब तक प्रायोगिक अवस्था में है और प्राथमिक तौर पर इसका उपयोग वैज्ञानिक अध्ययन में किया जा रहा है।

Form No.:5

#### DEBTS RECOVERY TRIBUNAL AT LUCKNOW 600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007.

(Area of Jurisdiction: Part of Uttar Pradesh)

Summons for filling Reply & Appearance by Publication Date: 02.07.2019 O.A. No. 117 OF 2019 Summons to defendants under Section 19(3) of the Recovery of debts due to the

Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with rule 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal Procedure Rules, 1993)

Syndicate Bank, BO: B-16/17, Sector-18, Noida-201301, Distt. Gautam Budh Nagar.

Mr Vijay Pratap Singh & Mrs. Vinita Singh .. .Defendants

1- Mr. Vijay Pratap Singh S/o Shri Lallu Singh R/o 403-C, Surya Nagar, Phase-2, Sector-91, Faridabad (Haryana) - 121003. 2nd Address: Apartment/Flat no. A-203, 2nd Floor, Plot no. 14, Sector-1, (GH-6) Crossing Republic Dundahera, Ghaziabad. 2-Mrs. Vinita Singh W/o Mr. Vijay Pratap Singh R/o 403-C, Surya Nagar, Phase-2, Sector-

91, Faridabad (Haryana) - 121003. 2nd Address: Apartment/Flat no. A-203, 2nd Floor, Plot no. 14, Sector-1, (GH-6) Crossing Republic Dundahera, Ghaziabad 3- M/s Jaipuria Buildcon Private Limited, Through it's Directors Registered Office: 16, Shankar Vihar, Main Vikas Marg, Delhi - 110092 2nd Address: Corporate Office: 507 5th Floor, KM Trade Tower Kaushambi, Ghaziabad - 201010, 3rd Address: Site Address

Jaipuria Apartment situated at Plot No. 14, Sector-1, Crossing Republic, NH - 24, In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits, (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the Summons, and thereafter to

be heard and decided in your absence. Registrar: Debts Recovery Tribunal, Lucknow.

appear before the Tribunal on 24/09/2019 at 10:30 A.M. failing which the application shall

SOUTH Bank

#### स्वर्णाभूषण नीलामी सह आमंत्रण सूचना शाखाः नोएडा, जी-75बी, पास्वेनाथ प्लाजा, सेक्टर-27, नोएडा, गीतमबुद्ध

नगर, उत्तर प्रदेश-201301 फोन: 0120-2440439 बैंक की शाखा (नोएडा) में अधोलिखित संख्या(ओं) के अंतर्गत गिरवी रखी गई स्वर्ण-सामग्रियों

जिसके लिये पंजीकृत सूचना सर्व करने के बावजूद भी बैंक के बकाये की भुगतान का निपटारा नहीं किया गया है तथा उसकी संख्या के अंतर्गत गिरवी रखी गई स्वर्ण-सामग्रियों जिसके मामले में पंजीकत सचनाऐं सर्व नहीं की गई हैं/अन्डेलिवर्ड वापस लौट आई हैं, की यदि शाखा से उसे छुड़ाया नहीं जाता है, गिरवीकर्ता के जोखिम तथा उत्तरदायित्व पर आगे कोई भी सूचना दिये बिना शाखा परिसर में अथवा किसी भी अन्य सविधाजनक तिथि एवं समय पर जैसा है जहां है शर्त पर सार्वजनिक नीलामी अथवा निजी संधि द्वारा बिक्री की जायेगी। अधोलिखित खाताओं के अंतर्गत गिरवी स्वर्णाभूषणों की नीलामी नोएडा शाखा में (30.9.2019) को (12.00 बजे अप.) में आयोजित की जायेगी।

शाखाः नोएडा, जी-75बी, पार्स्वनाथ प्लाजा, सेक्टर-27, नोएडा, गौतमबुध नगर, उत्तर प्रदेश-201301, फोनः 0120-2440439

| 1. सतीश कुमार गोयल 0430653000000592 नोएडा 1 | क्रम<br>सं. | नाम             | खाता नं.         | ा शाखा | सकल वजन<br>(ग्राम) |
|---|-------------|-----------------|------------------|--------|--------------------|
|   | 1.          | सतीश कुमार गोयल | 0430653000000592 | नोएडा  | 157.700            |

बैंक को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी को निरस्त/स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

#### पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

BO: Large Corporate Branch, Tolstoy House, Tolstoy Road, New Delhi-110001 Phone-23311654, 23752604, Fax-23323480 Email:bo2164@pnb.co.in

SHOW CAUSE NOTICE TO THE BORROWER/GUARANTOR(S) / NON- GROUP CORPORATE GUARANTOR(S) / GROUP CORPORATE GUARANTOR(S) M/s Era Infra Engineering Ltd. 370-371/2 M/s Era Infra Engineering Ltd. C-56/41, Sector-62, Noida-201301 Sahi Hospital Road, Jungpura, Bhopal

New Delhi-110014 Mr. Hem Singh Bharana Sh. Tulsi Das Arora 1107, Indra 1st Floor, Sarvodaya Enclave, Prakash Building 21, Barakhamba

with the Bank as "Wilful"- Consequently disclosing and publishing our name/s as "Wilful Defaulters"

event(s) of wilful default in the loan account. You vide letter dated Nil made representation on the event(s) of wilful default. The same were examined at ours, but explanation was not

Accordingly, the "Committee on Wilful Defaulters" set up by the bank, has identified the default, as Wilful to classify you (Borrower) & Directors/Partners/etc.as "Wilfu

Defaulter\*, interalia for the following reasons:

In case you feel aggrieved by the conclusion of the "Committee on Wilful Defaulters", you may make a submission/representation, if you so desire, to the 'Committee on Wilful Defaulters' and show cause as to why you should not be classified as "wilful defaulter" Your submission/representation must reach us within 15 days of the receipt hereof and be sent to us on the Postal Address viz. Dy. General Manager, SASTRA Division, 3rd Floor, Punjab National Bank, Head Office, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075.

If we do not receive any submission/representation of yours, it would be deemed that you have nothing to say in your defence (against the conclusion of the "Committee on Wilful Defaulters") and Bank may publish your name or the name/s of your company/firm/ unit and your Director/s/Partner/s/Proprietor as "Wilful Defaulters" to RBI/CIBIL/other credit information Companies and in such manner and through such medium as the bank in their absolute discretion may think fit.

Date: 06-09-2019, Place: New Delhi

#### पजाब नेशनल बैंक punjab national bank

Phone-23311654, 23752604, Fax-23323480 Email:bo2164@pnb.co.in

SHOW CAUSE NOTICE TO THE BORROWER/GUARANTOR(S) / NON- GROUP CORPORATE GUARANTOR(S)/GROUP CORPORATE GUARANTOR(S) M/s Oliver Engineering Pvt. Ltd., LSC Pamposh Enclave, Greater Kailash-I, New Delhi-

M/s Oliver Engineering Pvt. Ltd., Village Sandharsi, Tehsil Rajpura, District Patiala

Sh. Davinder Singh Sodhi (Director) 1357, Sector-48B, Silver Cooperative Housing Society Chandigarh-160048

Sh. Sanjay Bhasin (Director) H.No. 3171, Sector-21D, Chandigarh-160022

Sh. Arvind Dham (Group Chairman Amtek Group/Guarantor) B-7, Geetanjali Enclave

M/s Oliver Engineering Pvt. Ltd., D-2, 2nd Floor, Southern Park, Saket, New Delhi-

REG.: Identification of default in the loan account of M/s Oliver Engineering Pvt. Ltd. with the Bank, as "Wilful"- Consequently disclosing and publishing your

name/s as "Wilful Defaulters" Please refer to our notice dated 15-12-2017 vide which we had pointed out event(s) of wilful default in the loan account. You vide letter dated NIL made representation on the event(s) of wilful default. The same were examined at ours, but explanation was not found

The facts of the matter were placed before the Committee on Wilful Defaulters, who after going through facts of the matter, evidence on record and your representation made, has found that there is /are event(s) of wilful default committed by you.

default, as Wilful to classify you (Borrower) & Directors/Partners/etc.as "Wilful Defaulter", interalia for the following reasons:

Diversion of funds

#### Capacity to Pay In case you feel aggrieved by the conclusion of the "Committee on Wilful Defaulters", you

may make a submission/representation, if you so desire, to the 'Committee on Wilful Defaulters' and show cause as to why you should not be classified as "wilful defaulter" Your submission/representation must reach us within 15 days of the receipt hereof and be sent to us on the Postal Address viz. Dy. General Manager, SASTRA Division, 3rd Floor, Punjab National Bank, Head Office, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075. If we do not receive any submission/representation of yours, it would be deemed that you

have nothing to say in your defence (against the conclusion of the "Committee on Wilful Defaulters") and Bank may publish your name or the name/s of your company/firm/ unit and your Director/s/Partner/s/Proprietor as "Wilful Defaulters" to RBI/CIBIL/other credit information Companies and in such manner and through such medium as the bank in their absolute discretion may think fit.

म्यांमा में छह लाख रोहिंग्या जनसंहार के गंभीर खतरे का कर रहे हैं सामना : संयुक्त राष्ट्र

यांगून, १६ सितंबर (एएफपी)।

संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं ने सोमवार को कहा कि म्यांमा में करीब छह लाख रोहिंग्या मुसलमान जनसंहार के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। जांचकर्ताओं ने चेतावनी दी कि सेना द्वारा पहले ही देश से बाहर किए जा चुके लाखों अल्पसंख्यकों की वतन वापसी असंभव लगती है। संयुक्त राष्ट्र के तथ्यान्वेषी मिशन ने रिपोर्ट में कहा कि म्यांमा लगातार जनसंहार की सोच को पनाह दे रहा है और रोहिंग्या नरसंहार के खतरे का सामना कर रहे हैं। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को सौंपी जानी है।

#### DEBTS RECOVERY TRIBUNAL AT LUCKNOW 600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007. (Area of Jurisdiction: Part of Uttar Pradesh)

O.A. No. 104 OF 2019 Date: 31.07.2019 Summons to defendants under Section 19(3) of the Recovery of debts due to the Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with rule 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal Procedure Rules, 1993)

BO: B-16/17, Sector-18, Noida-201301, Distt. Gautam Budh Nagar.

M/s Knowledge Woods Consulting Pvt. Ltd. and Ors....

1- M/s Knowledge Woods Consulting Pvt. Ltd. Through It's Directors Shri Mohit Sharma & Shri Bhaskar Deb Chowdhury, Corporate Office Address: E-45, Ground Floor, Sector-63, Noida (UP) - 201301. 2nd Address: Regus Business Centre, Level-2, Elegance, Tower, Mathura Road, Jasola, New Delhi- 110025. 3rd Address: C-103, East End Apartments,

Woods Consulting Pvt. Ltd. R/o B-412, Sector-82, Vivek Vihar, Noida Distt. Gautam Budh Nagar. 2nd Address: C-90, Defence Colony, Meerut Cantt. Meerut. 3- Mr. Bhaskar Deb Choudhary S/o Shri H D Choudhury Director & Academic Adviser of

(U.P.) - 201301. 2nd Address: D-401, Gokul Dham Apartment, Adabari, Guwahati, In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in two sets

agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant appear before the Tribunal on 23/09/2019 at 10:30 A.M. failing which the application shall

Registrar: Debts Recovery Tribunal, Lucknow.

#### punjab national bank पंजाब नैशनल् बैंक

BO: Large Corporate Branch, Tolstoy House, Tolstoy Road, New Delhi-110001 Phone-23311654, 23752604, Fax-23323480 Email:bo2164@pnb.co.in

SHOW CAUSE NOTICE TO THE BORROWER/GUARANTOR(S) / NON- GROUP CORPORATE GUARANTOR(S) / GROUP CORPORATE GUARANTOR(S) M/s Bhushan Energy Ltd.

Regus Level S-2, American Plaza, Nehru Place, New Delhi-110001 Sh. Neeraj Singal

W-29, Greater Kailash-II

New Delhi-110048

W-29, Greater Kailash-II New Delhi-110048 REG.: Identification of default in the loan account of M/s Bhushan Energy Ltd. with the Bank, as "Wilful"- Consequently disclosing and publishing your name/s as

Please refer to our notice dated 24.05.2019 vide which we had pointed out event(s) of wilful default in the loan account. You vide letter dated made representation on the event(s) of wilful default. The same were examined at ours, but explanation was not found convincing. The facts of the matter were placed before the Committee on Wilful

Accordingly, the "Committee on Wilful Defaulters" set up by the bank, has identified the default, as Wilful to classify you (Borrower) & Directors/Partners/etc.as "Wilful Defaulter"

may make a submission/representation, if you so desire, to the 'Committee on Wilful Defaulters' and show cause as to why you should not be classified as "wilful defaulter" Your submission/representation must reach us within 15 days of the receipt hereof and be sent to us on the Postal Address viz. Dy. General Manager, SASTRA Division, 3rd Floor, Punjab National Bank, Head Office, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075. If we do not receive any submission/representation of yours, it would be deemed that you have nothing to say in your defence (against the conclusion of the "Committee on Wilful Defaulters") and Bank may publish your name or the name/s of your company/firm/ unit and your Director/s/Partner/s/Proprietor as "Wilful Defaulters" to RBI/CIBIL/other credit information Companies and in such manner and through such medium as the bank in their absolute discretion may think fit

Date: 06-09-2019, Place: New Delhi

Branch Head, Punjab National Bank

विशेष पीठ, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी (समझौता, व्यवस्था तथा समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम 3 एवं 5 के

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण

स्प्रिंग एयर बेडिंग कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (''याचिकाकर्ता कम्पनी''/''अंतरक कम्पनी'') तथा कुर्लान एण्टरप्राईजेज लिमिटेड (''अंतरिती कम्पनी''/गैर-याचिकाकर्ता अंतरक कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत क्रेडीटरों तथा अप्रतिभृत क्रेडीटरों की

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, विशेष पीठ ने आदेश तिथि 23 अगस्त, 2019 (''आदेश'') द्वारा यह निर्देश दिया है कि स्प्रिंग एयर बेडिंग कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (अंतरक कम्पनी) के इक्विटी शेयरधारकों. प्रतिभूत क्रेडीटरों तथा अप्रतिभूत क्रेडीटरों की अलग-अलग बैठकें आमंत्रित की जाएं जिसमें कर्लोन एण्टरप्राईज लिमिटेड (''अंतरिती कम्पनी''/'गैर-आवेदक कम्पनी'') तथा उसके संबंधित शेयरधारकों तथा क्रेडीटरों के साथ स्प्रिंग एयर बेडिंग कमनी (इंडिया) लिमिटेड (''अंतरक कम्पनी''/' आवेदक कम्पनी'') के समामेलन की योजना (''योजना'') पर विचार की जाये तथा यदि उपयुक्त पाया गया, संशोधन(नों) के साथ

उक्त आदेश तथा उसमें दिये गये निर्देशों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इक्विटी शेयर धारकों, प्रतिभृत क्रेडीटरों, स्प्रिंग एयर बेडिंग कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (अंतरक कम्पनी) के अप्रतिभूत क्रेडीटरों की उपरोक्त बैठकें इस प्रकार से आयोजित की जायेगी जिस समय एवं स्थान पर इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत क्रेडीटरों, स्प्रिंग एयर बेडिंग कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (अंतरक कम्पनी) के अप्रतिभृत क्रेडीटरों से अनुरोध है कि

| l   | स. | का वग                | कम्पना/अतरक<br>कम्पनी का नाम | ाताथ       |              |                      |
|-----|----|----------------------|------------------------------|------------|--------------|----------------------|
| -   | 1. | इक्विटी              | स्प्रिंग एयर बेडिंग          | शनिवार     | 11.00 बजे    | होटल एक्जोटिका       |
| -   |    | शेयरधारकों           | कम्पनी (इंडिया)              | 19.10.2019 | पूर्वा.      | ग्रैण्ड, 1/12, वेस्ट |
| ١   | 2. | प्रतिभूत क्रेडीटरों  | लिमिटेड                      |            | 12.30 बजे    | पटेल नगर, पिलर       |
| 1   |    |                      |                              |            | अप.          | नं. 201, नई          |
| ١   | 3. | अप्रतिभूत क्रेडीटरों |                              |            | 2.30 बजे अप. | दिल्ली-110008        |
| - 1 |    |                      |                              |            |              |                      |

110008 में आवेदक कम्पनी/अंतरक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में अथवा उसके सांविधिक प्रतिनिधि, कॉर्पोरेट प्रॉफेश्नल्स, एडवायजर्स एवं एडवोकेट्स के कार्यालय डी-28, साउथ एक्स्टेंशन-1, नई दिल्ली-110049 में आवेदक कम्पनी/ अंतरक कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभत क्रेडीटरों तथा अप्रतिभत क्रेडीटरों द्वारा उसके लिए मांग-पत्र

बैठकों में उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए अधिकृत सदस्य व्यक्तिगत या प्रॉक्सी द्वारा मतदान कर सकते हैं बशर्ते निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रॉक्सीज उपरोक्त बैठकों के आरंभ होने की निर्धारित समय से कम से कम अड़तालिस (48) घंटे पूर्व उपरोक्त रूप में आवेदक कम्पनी/अंतरक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करा दी जाए। प्रॉक्सी का प्रपत्र आवेदक कम्पनी/ अंतरक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदक कम्पनी/अंतरक कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभृत क्रेडीटरों तथा अप्रतिभृत क्रेडीटरों की उक्त बैठकों के लिए एनसीएलटी ने अधोहस्ताक्षरी को अध्यक्ष, श्री हितेन्द्र नाथ रथ ( अधिवक्ता) को वैकल्पिक अध्यक्ष तथा श्री आनंद राव कोरडा (कम्पनी सचिव) को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। यह योजना यदि उपरोक्त बैठकों में स्वीकृत होती है तो

अधि. प्रभु सिंह आवेदक कम्पनी/ अंतरक कम्पनी के इक्विटी शेयर धारकों. तिथि: 7.9.2019

स्थानः नई दिल्ली

Form No.:5

Summons for filling Reply & Appearance by Publication

Syndicate Bank, .Applicant.

Mayur Vihar, Phase -I, Extension, New Delhi- 110096 2- Mr. Mohit Sharma S/o Shri Vinay Kumar Director & main Promoter of M/s Knowledge

M/s Knowledge Woods Consulting Pvt. Ltd. R/o O-101, Vivek Vihar, Sector-82, Noida

along with documents and affidavits, (if any) personally or through your duly authorized or his counsel/duly authorized agent after publication of the Summons, and thereafter to be heard and decided in your absence.

M/s Bhushan Energy Ltd. Bhushan Centre 7th Floor, Hyatt Regency Complex, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

Sh. Bhushan Singal

Defaulters, who after going through facts of the matter, evidence on record and your representation made, has found that there is /are event(s) of wilful default committed by

nteralia for the following reasons: Diversion of funds

Siphoning off funds In case you feel aggrieved by the conclusion of the "Committee on Wilful Defaulters", you

सूचना

कम्पनी याचिका सं. सीए (सीएए) 114/(पीबी)/2019

साथ पठित कम्पनी अधिनियम. 2013 की धारा 230 तथा 232

मामले में:

कम्पनी'') तथा उसके संबंधित शेयरधारकों तथा क्रेडीकटरों के बीच समामेलन की योजना सभा आमंत्रित करने के लिये सूचना तथा सूचना का विज्ञापन

अथवा उसके बिना उसे स्वीकृत की जाये।

उसमें उपस्थित हों: बैठक( कों ) बैठक का स्थान आवेदक बैठक की

| ı | 1  |      |                      | कम्पनी का नाम       |             |               |                      |
|---|----|------|----------------------|---------------------|-------------|---------------|----------------------|
|   | -1 | 1.   | इक्विटी              | स्प्रिंग एयर बेडिंग | शनिवार      | 11.00 बजे     | होटल एक्जोटिका       |
| ı | 1  |      | शेयरधारकों           | कम्पनी (इंडिया)     | 19.10.2019  | पूर्वा.       | ग्रैण्ड, १/१२, वेस्ट |
|   | 1  | 2.   | प्रतिभूत क्रेडीटरों  | लिमिटेड             | 100         | 12.30 बजे     | पटेल नगर, पिलर       |
| ı | 1  |      | ,                    |                     |             | अप.           | नं. 201, नई          |
|   | ١  | 3.   | अप्रतिभूत क्रेडीटरों |                     |             | 2.30 बजे अप.  | दिल्ली-110008        |
|   | 1  | उपरं |                      | कम्पनी अधिनियम,     | 2013 की ध   |               | अंतर्गत व्याख्यात्मक |
|   | 1  | विव  | रण की प्रतियाँ ऊ     | पर वर्णित प्लॉट नं. | 10/19, भू त | ाल, ईस्ट पटेल | नगर, नई दिल्ली-      |

प्रस्तत करने पर निःशल्क प्राप्त की जा सकती है।

बाद में एनसीएलटी विशेष पीठ, दिल्ली तथा एनसीएलटी, मुम्बई की स्वीकृति के अधीन

प्रतिभूत क्रेडीटरों तथा अप्रतिभूत क्रेडीटरों की बैठकों के लिए नियुक्त अध्यक्ष

# ह्यूस्टन में हुआ जयपुर साहित्य महोत्सव ह्यूस्टन, 16 सितंबर (भाषा)।

(जेएलएफ) का आयोजन हुआ। यह दूसरी बार है जब यहां यह महोत्सव आयोजित हुआ है। दुनियाभर के प्रतिष्ठित समारोहों में से एक जेएलएफ का 17-18 सितंबर को न्यूयार्क में और 21-22 सितंबर को कोलाराडो में आयोजन होना है। शनिवार को यहां एशिया सोसायटी में समारोह की शुरुआत संगीतकार श्रुति विश्वनाथ और विवेक विरानी ने की। इसके बाद साहित्य,

MSRDC ह्यस्टन में 13 और 14 सितंबर

पर्यावरण, आरोग्य, कला और

को जयपुर साहित्य महोत्सव

इतिहास पर पैनल चर्चा हुई।

8(1), ानयम क तहत, सुरक्षा प्रवतन ानयम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी

करोल बाग, दिल्ली-110005, ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

दिनों के अंदर भूगतान करने को कहा गया था।

अचल संपत्तियों का विवरण

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी

दिल्ली. भारत में है. के मामले में

करती है।

ओ 2 ओ सॉफ्टवेअर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के लिये तथा उसकी ओर से

निदेशक DIN: 07576159

punjab national bank पंजाब मैशनल बैंक BO: Large Corporate Branch, Tolstoy House, Tolstoy Road, New Delhi-110001 Phone-23311654, 23752604, Fax-23323480 Email:bo2164@pnb.co.in

M/s Amzen Machines Pvt. Ltd., 7247, 7th floor Tower B DLF Tower Jasola, Delhi M/s Amzen Machines Pvt. Ltd. 3, L.S.C. Pamposh Enclave Greater Kailash-I, New M/s Amzen Machines Pvt. Ltd., B-6 MIDC Ranjangaon, Talukashirur Dist-Pune,

SHOW CAUSE NOTICE TO THE BORROWER/GUARANTOR(S) / NON- GROUP

:ORPORATE GUARANTOR(S)/GROUP CORPORATE GUARANTOR(S

Solapur, Maharastra-413001 Sh. Subramaniam Ramesh, Bharat Apartments T2 3rd Floor, 5/A16,1 Main Road Thiruvengada Nagar, Chennai, Tamil Nadu - 600053 Sh. Anmoalak S Bhalla, Flat No. 101, building A2, Ganga Nebula Society Viman Nagar,

REG.: Identification of default in the Ioan account of Amzen Machines Pvt. Ltd. with

the Bank, as "Wilful"- Consequently disclosing and publishing Your name/s as

Sh. Arvind Dham, B-7 Geetanjali Enclave View, Delhi-110017

Sh. Anil Narayan Kulkarni, 1029 OLD Police Line, H.No. 124/1/K Murarji Peth,

Please refer to our notice dated 20.05.2019 vide which we had pointed out event(s) of wilful default in the loan account. You vide letter dated 14.06.2019 made representation on the event(s) of wilful default. The same were examined at ours, but explanation was not found convincing. The facts of the matter were placed before the Committee on Wilful Defaulters, who after

found that there is /are event(s) of wilful default committed by you. Accordingly, the "Committee on Wilful Defaulters" set up by the bank, has identified the default, as Wilful to classify you (Borrower) & Directors/Partners/etc.as "Wilful Defaulter", interalia for the following reasons: Diversion of funds

In case you feel aggrieved by the conclusion of the "Committee on Wilful Defaulters", you

Defaulters' and show cause as to why you should not be classified as "wilful defaulter".

submission/representation must reach us within 15 days of the receipt hereof and be sent

may make a submission/representation, if you so desire, to the 'Committee on Wilful

going through facts of the matter, evidence on record and your representation made, has

to us on the Postal Address viz. Dy. General Manager, SASTRA Division, 3rd Floor, Punjab National Bank, Head Office, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075. If we do not receive any submission/representation of yours, it would be deemed that you have nothing to say in your defence (against the conclusion of the "Committee on Wilful Defaulters") and Bank may publish your name or the name/s of your company/firm/ unit and your Director/s/Partner/s/Proprietor as "Wilful Defaulters" to RBI/CIBIL/other credit information Companies and in such manner and through such medium as the bank in their

REG.; Identification of default in the loan account of M/s Era Infra Engineering Ltd. Please refer to our notice dated 04.04.2019 & 06.05.2019 vide which we had pointed out

The facts of the matter were placed before the Committee on Wilful Defaulters, who after going through facts of the matter, evidence on record and your representation made, has found that there is /are event(s) of wilful default committed by you.

Branch Head, Punjab National Bank

BO: Large Corporate Branch, Tolstoy House, Tolstoy Road, New Delhi-110001

View, New Delhi-110017

Accordingly, the "Committee on Wilful Defaulters" set up by the bank, has identified the

Date: 06-09-2019. Place: New Delhi Branch Head, Punjab National Bank

नई दिल्ली

absolute discretion may think fit. Date: 06-09-2019. Place: New Delhi Branch Head, Punjab National Bank

DETAILED PUBLIC STATEMENT IN TERMS OF REGULATIONS 3(1) AND 4 READ WITH REGULATIONS 13(4), 14(3), 15(2) AND OTHER APPLICABLE REGULATIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, TO THE PUBLIC SHARE HOLDERS OF:

# DFM FOODS LIMITED

REGISTERED OFFICE: 8377, ROSHANARA ROAD, NEW DELHI, DELHI - 110007 TEL: 011-23826445, 23822409; FAX: 011-23822409; WEBSITE: www.dfmfoods.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 13,070,429 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF INR 2 EACH ("OFFER SHARES") REPRESENTING 26.00% OF THE EXPANDED VOTING SHARE CAPITAL OF DFM FOODS LIMITED ("TARGET COMPANY") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY BY AI GLOBAL INVESTMENTS (CYPRUS) PCC LIMITED ("ACQUIRER") ("OFFER"/ "OPEN OFFER").

This detailed public statement ("DPS") is being issued by ICICI Securities Limited, the manager to the Offer ("Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirer, pursuant to and in compliance with Regulations 3(1) and 4 read with Regulations 13(4), 14(3),15(2) and other applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("Takeover Regulations"), and pursuant to the public announcement dated September 9, 2019 ("PA") filed with BSE Limited ("BSE") and the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") (collectively referred to as the "Stock Exchanges"). Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and sent to the Target Company in terms of Regulation 14(2) of the Takeover Regulations.

For the purposes of this DPS, the following terms have the meanings assigned to

"Equity Shares" or "Shares" shall mean the fully paid-up equity shares of face value of INR 2 each of the Target Company.

"Expanded Voting Share Capital" means the total voting equity share capital of the Target Company on a fully diluted basis expected as of the 10th (Tenth) Working Day from the closure of the Tendering Period for this Offer. This includes 162,500 outstanding employee stock options which have already vested as on the date of the PA and are exercisable into equal number of Equity Shares. There will not be any additional employee stock options that will vest between the date of the PA and January 31, 2020 (assuming January 31, 2020 as the 10th (Tenth) Working Day from the closure of the Tendering Period).

"Identified Date" means the date falling on the 10th (Tenth) Working Day prior to the commencement of the Tendering Period, for the purpose of determining the Public Shareholders to whom the letter of offer in relation to this Offer ("Letter of Offer") shall be sent.

"Public Shareholders" mean all the equity shareholders of the Target Company excluding (i) the Acquirer; (ii) parties to the SPAs (defined hereinafter); and (iii) the persons deemed to be acting in concert with the persons set out in (i) and (ii).

"Tendering Period" has the meaning ascribed to it under the Takeover Regulations.

- "Working Day" means any working day of the Securities and Exchange Board of India. ACQUIRER, SELLERS, TARGET COMPANY AND OFFER
- Information about the Acquirer:
- Al Global Investments (Cyprus) PCC Limited ("Acquirer")
- The Acquirer is a private company limited by shares, incorporated in Guernsey on May 28, 2010 (company registration number (Guernsey): 51941). The Acquirer is a protected cell company ("PCC") registered in Cyprus as an overseas company on September 8, 2010 under section 347 of the Cyprus Companies Law, Cap. 113 (company registration number (Cyprus): AE2555). There has been no change in the name of Acquirer since its incorporation.
- 1.1.2. The office of the Acquirer in Guernsey is located at 1st and 2nd Floors, Elizabeth House, Les Ruettes Brayes, St Peter Port, Guernsey, GY1 1EW 3 and the office of the Acquirer in Cyprus is located at 3rd Floor, Globe House, 23 Kennedy Avenue, 1075 Nicosia, Cyprus. Tel: +357 2202 9420. Company secretary: CCY Services Limited 3rd floor, office 401, 10, Diomidous Street, Alphamega Akropolis Building, 2024 Nicosia, Cyprus.
- 1.1.3. A PCC is one which legally segregates the assets and liabilities of different classes of shares from each other. A PCC may create one or more cells, the assets and liabilities of each cell being segregated from the non-cellular assets of the PCC (known as the core) and from the assets and liabilities of other cells. Accordingly, the Acquirer consists of more than one cell, each of which is owned by different entities which are ultimately owned by certain funds managed by Advent International Corporation ("AIC") or its affiliates ("Advent Funds").
- 1.1.4. Al Global Jomei Cell is one such cell of the Acquirer which will complete the transactions contemplated under the SPAs and the Open Offer. The shares of Al Global - Jomei Cell are owned by the Acquirer.
- 1.1.5. The Acquirer has the right to issue unlimited number of shares of EUR 1.00 (Euro one only) each which can be designated as either shares of the core ("Core shares") or of the cells ("Cell shares"). The issued and paid up capital of Al Global core is EUR 1.00 (Euro one only) comprising 1 (One) Core share. The issued and paid up capital of Al Global - Jomei Cell is EUR 1 comprising 1 redeemable share
- 1.1.6. The non-cellular core assets of the Acquirer are wholly owned by Al Global Investments & CY S.C.A., which is incorporated in Luxemburg. Al Global Investments & CY S.C.A. is 100% owned and controlled by certain funds managed by AIC.
- 1.1.7. The Acquirer is the investment hub for Asia for the Advent Funds.
- 1.1.8. The equity shares of the Acquirer are not listed on any stock exchange in India or
- 1.1.9. Neither the Acquirer nor its directors or key employees have any relationship or interest in the Target Company. There are no directors on the board of the Target Company representing the Acquirer.
- 1.1.10. The Acquirer does not hold any Equity Shares or voting rights in the Target Company. Furthermore, the Acquirer has not acquired any Equity Shares after the date
- 1.1.11. The Acquirer has not been prohibited by SEBI from dealing in securities.
- 1.1.12. The key financial information of the Acquirer based on the audited financial statements for the year ended December 31, 2015, December 31, 2016 and December 31, 2017 and the management certified financials for the year ended December 31, 2018 and the 3 months ended March 31, 2019 is set out below:

| Sr.<br>No. | Particulars                          | Financial<br>Year<br>ended<br>Dec 31,<br>2015<br>(€) | Financial<br>Year<br>ended<br>Dec 31,<br>2015<br>(INR) | Financial<br>Year<br>ended<br>Dec 31,<br>2016<br>(€) | Financial<br>Year<br>ended<br>Dec 31,<br>2016<br>(INR) | Financial<br>Year<br>ended<br>Dec 31,<br>2017<br>(€) | Financial<br>Year<br>ended<br>Dec 31,<br>2017<br>(INR) | Financial<br>Year<br>ended<br>Dec 31,<br>2018<br>(€) | Financial<br>Year<br>ended<br>Dec 31,<br>2018<br>(INR) | Financial<br>Year<br>ended<br>March31,<br>2019<br>(€) | Financial<br>Year<br>ended<br>March31,<br>2019<br>(INR) |
|------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 1.         | Total<br>Revenue                     | 197,713  | 14,089,761   | 19,685   | 1,463,999  | 106,050  | 7,799,623  | 47,345   | 3,818,882  | 39  | 88  |
| 2.         | Net Income/<br>Profit After<br>Tax   | (77,632,804)   | (5,532,401,402)  | (3,052,597)  | (227,025,636)  | 1,188,841  | 87,435,283   | 744,046  | 60,015,283   | (4,072,263)   | (326,244,664)   |
| 3.         | Earnings<br>Per Share<br>(in INR)    | 83   | 878  | 85   | 887  | 0.0028   | 0.22   | 0.0012   | 0.10   | .00   | 8.5   |
| 4.         | Net worth/<br>shareholders'<br>funds | 517,092,230  | 37,489,703,767   | 698,332,803  | 50,012,849,519   | 672,106,129  | 51,339,969,244   | 984,726,468  | 78,561,969,980   | 980,663,175   | 76,199,105,265  |

Source: The financial information set forth above has been extracted from the Acquirer's, annual results/annual reports for the financial year ended December 31, 2015, December 31, 2016, December 31, 2017 and management accounts for financial year ended December 31, 2018 and 3 months ended March 31, 2019.

The exchange rates taken for conversion of the Acquirer financials from euro to INR are from www.rbi.org.in / www.fbil.org.in . For profit and loss related line items, the average rates of INR 71.26, INR 74.37, INR 73.55, INR 80.66 and INR 80.11 during the years ending December 31, 2015, December 31, 2016, December 31, 2017, December 31, 2018 and 3 months ended March 31, 2019 respectively have been considered and for balance sheet related line items, the closing rates of INR 72.50, INR 71.62, INR 76.39, INR 79.78 and INR 77.70 for the years ending December 31, 2015, December 31, 2016, December 31, 2017, December 31, 2018 and 3 months ended March 31, 2019 respectively have been considered.

#### Information about the Sellers:

The details of The Delhi Flour Mills Company Limited, Mr. Mohit Jain, Mr. Rohan Jain, Mr. Rashad Jain, Ms. Surekha Jain, WestBridge Crossover Fund, LLC, Jwalamukhi Investment Holdings, Aravali Investment Holdings, Mr. Man Mohan Singh and Ms. Anuradha Sharma (collectively, the "Sellers" under the SPAs) are as follows:

#### 2.1. The Delhi Flour Mills Company Limited

- 2.1.1. The Delhi Flour Mills Company Limited ("DFMCL") is a public limited company incorporated on May 19, 1916.
- The registered office of DFMCL is located at 8377-8381, Roshanara Road Delhi, 110007.
- 2.1.3. DFMCL is part of the promoter and promoter group of the Target Company. 2.1.4. DFMCL holds 16,308,380 Equity Shares representing 32,44% of the Expanded Voting
- Share Capital and 32.55% of the Paid Up Share Capital (as defined hereinafter). 2.1.5. DFMCL has not been prohibited by SEBI from dealing in securities.
- Mr. Mohit Jain
- 2.2.1. Mr. Mohit Jain is an individual residing at 61-B, Friends Colony East, New Delhi - 110065.
- 2.2.2. Mr. Mohit Jain is a part of the promoter and promoter group of the Target Company.
- 2.2.3. Mr. Mohit Jain holds 853,625 Equity Shares representing 1.70% of the Expanded Voting Share Capital and 1.70% of the Paid Up Share Capital.

- 2.2.4. Mr. Mohit Jain has not been prohibited by SEBI from dealing in securities.
- Mr. Rohan Jain
- 2.3.1. Mr. Rohan Jain is an individual residing at 61-B, Friends Colony East, New Delhi - 110065.
- 2.3.2. Mr. Rohan Jain is a part of the promoter and promoter group of the Target Company.
- 2.3.3. Mr. Rohan Jain holds 96,000 Equity Shares representing 0.19% of the Expanded Voting Share Capital and 0.19% of the Paid Up Share Capital.
- 2.3.4. Mr. Rohan Jain has not been prohibited by SEBI from dealing in securities.
- 2.4.1 Mr. Rashad Jain is an individual residing at 61-B, Friends Colony East, New Delhi - 110065.
- 2.4.2 Mr. Rashad Jain is a part of the promoter and promoter group of the Target Company.
- 2.4.3 Mr. Rashad Jain holds 32,000 Equity Shares representing 0.06% of the Expanded Voting Share Capital and 0.06% of the Paid Up Share Capital.
- 2.4.4 Mr. Rashad Jain has not been prohibited by SEBI from dealing in securities.
- Ms. Surekha Jain

2.4. Mr. Rashad Jain

- 2.5.1. Ms. Surekha Jain is an individual residing at 61-B, Friends Colony East, New Delhi - 110065.
- 2.5.2. Ms. Surekha Jain is a part of the promoter and promoter group of the Target Company.
- 2.5.3. Ms. Surekha Jain holds 1,884,345 Equity Shares, together representing 3.75% of the Expanded Voting Share Capital and 3.76% of the Paid Up Share Capital
- 2.5.4. Ms. Surekha Jain has not been prohibited by SEBI from dealing in securities.
- 2.6. WestBridge Crossover Fund, LLC
- 2.6.1. WestBridge Crossover Fund, LLC ("WCF") is a private company limited by shares, incorporated on July 8, 2011 under the laws of Mauritius, pursuant to the Companies Act, 2001 of Mauritius and the subsequent amendments and re-enactment thereto. WCF holds a Category 1 Global Business License issued by the Financial Services Commission, Mauritius. WCF belongs to the WestBridge group.
- 2.6.2. The registered office of WCF is located at 4th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebene, Mauritius.
- 2.6.3. WCF is a public shareholder of the Target Company.
- 2.6.4. WCF holds 7,476,255 Equity Shares representing 14.87% of the Expanded Voting Share Capital and 14.92% of the Paid Up Share Capital.
- 2.6.5. WCF has not been prohibited by SEBI from dealing in securities.

Commission, Mauritius. JIH belongs to the WestBridge group.

- 2.7. Jwalamukhi Investment Holdings
- 2.7.1. Jwalamukhi Investment Holdings ("JIH") is a private company limited by shares incorporated on July 12, 2011 under the laws of Mauritius, pursuant to the Companies Act, 2001 of Mauritius and the subsequent amendments and re-enactment thereto. JIH holds a Category 1 Global Business License issued by the Financial Services
- 2.7.2. The registered office of JIH is located at 4th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebene,
- 2.7.3. JIH is a public shareholder of the Target Company.
- 2.7.4. JIH holds 4,975,830 Equity Shares representing 9.90% of the Expanded Voting Share Capital and 9.93% of the Paid Up Share Capital.
- 2.7.5. JIH has not been prohibited by SEBI from dealing in securities.
- 2.8. Aravali Investment Holdings
- Aravali Investment Holdings ("AIH"), is a private company limited by shares, incorporated on July 31, 2012 under the laws of Mauritius, pursuant to the Companies Act, 2001 of Mauritius and the subsequent amendments and re-enactment thereto. AIH holds a Category 1 Global Business License issued by the Financial Services Commission, Mauritius. AIH belongs to the WestBridge group.
- 2.8.2. The registered office of AIH is located at 4th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebene,
- 2.8.3. AlH is a public shareholder of the Target Company.
- 2.8.4. AlH holds 8,500 Equity Shares representing 0.02% of the Expanded Voting Share Capital and 0.02% of the Paid Up Share Capital.
- 2.8.5. AlH has not been prohibited by SEBI from dealing in securities. 2.9. Mr. Man Mohan Singh
- 2.9.1. Mr. Man Mohan Singh is an individual residing at 101 A Friends Colony East, New Delhi-110065.
- 2.9.2. Mr. Man Mohan Singh is a public shareholder of the Target Company.
- 2.9.3. Mr. Man Mohan Singh holds 4,365,000 Equity Shares representing 8.68% of the Expanded Voting Share Capital and 8.71% of the Paid Up Share Capital.1
- 2.9.4. Mr. Man Mohan Singh has not been prohibited by SEBI from dealing in securities.
- 2.10. Ms. Anuradha Sharma 2.10.1. Ms. Anuradha Sharma is an individual residing at 101 A Friends Colony East,
- New Delhi-110065.
- 2.10.2. Ms. Anuradha Sharma is a public shareholder of the Target Company.
- 2.10.3. Ms. Anuradha Sharma holds 1,642,450 Equity Shares representing 3.27% of the Expanded Voting Share Capital and 3.28% of the Paid Up Share Capital.
- 2.10.4. Ms. Anuradha Sharma has not been prohibited by SEBI from dealing in securities.
- Target Company:
- The Target Company is a public limited company, incorporated in India on March 17, 1993 under the Companies Act, 1956, as amended. There has been no change in the name of the Target Company since its incorporation.
- The registered office of the Target Company is situated at 8377, Roshanara Road, Delhi - 110007. The Corporate Identification Number of the Target Company is L15311DL1993PLC052624.

The Target Company is engaged in the manufacture and sale of extruded snack foods

- and namkeens. It has manufacturing facilities at Ghaziabad (Uttar Pradesh) and Greater Noida (Uttar Pradesh). The Equity Shares are listed on BSE (Scrip Code: 519588; Scrip ID: DFM;) and NSE (Symbol: DFMFOODS) and are currently not suspended from trading on BSE and
- NSE. The ISIN of Equity Shares is ISIN: INE456C01020. The Equity Shares are not frequently traded on the Stock Exchanges in terms of

Regulation 2(1)(j) of the Takeover Regulations.

- The total authorized share capital of the Target Company is INR 130,000,000 consisting of 65,000,000 Equity Shares and 2,000,000 10% cumulative convertible preference shares of face value INR 10 each amounting to INR 20,000,000. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Target Company is INR 100,216,760 consisting of 50,108,380 Equity Shares as on September 9, 2019 ("Paid Up Share Capital").
- Besides outstanding employee stock options, the Target Company does not have any (i) partly paid-up Equity Shares; and (ii) other convertible instruments.
- 3.8 The key financial information of the Target Company based on its audited standalone financial statements for the financial years ended March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017 is set out below:

(In INR lakhs except earnings per share)

| Sr.<br>No. | The state of the s | Financial<br>Year ended<br>March 31,<br>2019<br>(Audited) | Financial<br>Year ended<br>March 31,<br>2018<br>(Audited) | Financial<br>Year ended<br>March 31,<br>2017<br>(Audited) |
|------------|--|---|---|---|
| 1.         | Total Revenue  | 48,872  | 42,965  | 34,690  |
| 2.         | Net Income/Profit After Tax  | 3,276   | 2,331   | 1,846   |
| 3.         | Earnings Per Share (in INR)  | 6.54  | 4.66  | 15.87*  |
| 4.         | Net worth/shareholders' funds  | 12,925  | 10,243  | 8,459   |

Source: The financial information set forth above has been extracted from the Target Company's, annual results/annual reports for the financial year ended March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017, as available on www.bseindia.com and www.nseindia.com

INR 3.69.

\*The EPS for Financial Year ended March 31, 2017 adjusted on a post split basis is

#### Details of the Offer:

- This Offer is a mandatory open offer made by the Acquirer in terms of Regulation 3(1) and 4 of the Takeover Regulations pursuant to the execution of SPAs (as defined hereinafter) to acquire in excess of 25% of the shares carrying voting rights of the Target Company and control over the Target Company. Please refer to Part II below (Background to the Offer) for further information on the SPAs. The Acquirer is making this Offer to all the Public Shareholders of the Target Company,
- to acquire up to 13,070,429 Equity Shares, representing 26.00% of the Expanded Voting Share Capital ("Offer Size"). Note: The PA inadvertently mentions the shareholding of Mr. Man Mohan Singh as
  - 4,603,000 Equity Shares. However, the correct shareholding of Mr. Man Mohan Singh is 4,365,000 Equity Shares.

- This Offer is made at a price of INR 249.50 per Equity Share ("Offer Price") determined in accordance with Regulation 8(2) of the Takeover Regulations. Please refer to Part IV below (Offer Price) for further information.
- The Offer Price shall be payable in cash in accordance with Regulation 9(1)(a) of the Takeover Regulations, and subject to the terms and conditions set out in this DPS and the Letter of Offer that will be dispatched to the Public Shareholders in accordance with the provisions of the Takeover Regulations.
- The payment of consideration shall be made to all the Public Shareholders, who have tendered their Equity Shares in acceptance of the Offer within 10 Working Days of the expiry of the Tendering Period. Credit for consideration will be paid to the Public Shareholders who have validly tendered Equity Shares in the Offer by crossed account payee cheques/pay order/demand drafts/electronic transfer. It is desirable that Public Shareholders provide bank details in the Form of Acceptance cum Acknowledgement, so that the same can be incorporated in the cheques/demand draft/pay order.

The Public Shareholders who tender their Equity Shares in this Offer shall ensure

- that the Equity Shares are clear from all liens, charges and encumbrances. The Offer Shares will be acquired, subject to such Offer Shares being validly tendered in this Offer, together with all the rights attached thereto, including all the rights to dividends, bonuses and right offers declared thereof, and the tendering Public Shareholders shall have obtained all necessary consents required by them to tender the Offer Shares. To the best of the knowledge and belief of the Acquirer, there are no statutory or
- other approvals required to acquire the Offer Shares that are validly tendered pursuant to this Offer. If, however, any statutory or other approval becomes applicable prior to the completion of this Offer, this Offer would also be subject to such statutory or other approval(s) and the Acquirer shall make necessary applications for such approvals. In terms of Regulation 23(1) of the Takeover Regulations, in the event that the approvals which become applicable prior to completion of this Offer are not received,
- the Acquirer shall have the right to withdraw this Offer. The acquisition of Equity Shares under the SPAs is conditional upon fulfillment of SPA 1 Conditions, SPA 2 Conditions and SPA 3 Conditions (each described in detail in Part II below) ("SPA Conditions"). In the event that any of the SPA Conditions are not met for reasons outside the reasonable control of the Acquirer, then the SPAs may be rescinded, and this Offer may be withdrawn, subject to applicable law. In the event of withdrawal of this Offer, a public announcement will be made within 2 Working Days of such withdrawal, in accordance with the provisions of Regulation 23(2) of the Takeover Regulations.
- All Public Shareholders, including non-resident holders of Equity Shares, must obtain all requisite approvals required, if any, to tender the Offer Shares (including without limitation, the approval from the RBI) and submit such approvals, along with the other documents required to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserves the right to reject such Equity Shares tendered in this Offer. Further, if the holders of the Equity Shares who are not persons resident in India had required any approvals (including from the RBI, or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Offer Shares, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer
- reserves the right to reject such Offer Shares. This Offer is not conditional on any minimum level of acceptance in terms of
- Regulation 19 of the Takeover Regulations. This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the Takeover
- Regulations. 4.12 As per Regulation 38 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 read with Rules 19(2) and 19A of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "SCRR"), the Target Company is required to maintain at least 25% public shareholding as determined in accordance with SCRR, on a continuous basis for listing. Pursuant to completion of this Offer, in the event that the public shareholding in the Target Company falls below the minimum level required as per Rule 19A of the SCRR, the Acquirer acknowledges to ensure, as required under the Takeover Regulations, that the non-public shareholding in the Target Company is reduced to the level specified and within the time prescribed in the SCRR, Takeover Regulations and the applicable SEBI guidelines. Please also refer to Paragraph 3.1.3 of Part II in respect of the obligation of the Promoters to sell-down their shareholding
- in the Target Company under the SPAs. Currently, the Acquirer does not have any intention to dispose-off or otherwise encumber any assets or investments of the Target Company, through sale, lease, encumbrance, reconstruction, restructuring or otherwise, other than in the ordinary course of business. If the Acquirer intends to alienate any material asset of the Target Company or any of its subsidiaries within a period of 2 (two) years from the date of completion of this Offer, a special resolution of the shareholders of the Target Company or any of its subsidiaries, as applicable, in accordance with the proviso to Regulation 25(2) of the Takeover Regulations would be taken before undertaking any
- such alienation of any material assets. The Manager to the Offer does not hold any Equity Shares as on the date of this DPS. The Manager to the Offer further declares and undertakes not to deal on its account
- in the Equity Shares during the Offer period. 11. **BACKGROUND TO THE OFFER**
- This Offer is a mandatory open offer made by the Acquirer in terms of Regulation 3(1) and 4 of the Takeover Regulations pursuant to the execution of SPAs to acquire in excess of 25% of the shares carrying voting rights of the Target Company and control over the Target Company.
- On September 9, 2019 the Acquirer entered into (i) a Share Purchase Agreement with The Delhi Flour Mills Company Limited, Mr. Mohit Jain, Mr. Rohan Jain, Mr. Rashad Jain and Ms. Surekha Jain ("Promoters") to acquire up to 19,174,350 Equity Shares, constituting 38.27% ("Promoter Shares") of the Paid Up Share Capital and 38.14% of the Expanded Voting Share Capital ("SPA 1"); (ii) a Share Purchase Agreement with WCF, AIH and JIH (collectively "WestBridge") to acquire 12,460,585 Equity Shares constituting 24.87% of the Paid Up Share Capital ("WestBridge Shares") and 24.79% of the Expanded Voting Share Capital ("SPA 2"); and (iii) a Share Purchase Agreement with Mr. Man Mohan Singh and Ms. Anuradha Sharma ("Other Shareholders") to acquire 2,500,000 Equity Shares, constituting 4.99% ("Other Shareholder Shares") of the Paid Up Share Capital and 4.97% of the Expanded Voting Share Capital ("SPA 3" and together with SPA 1 and SPA 2, the "SPAs"). The WestBridge Shares comprise (i) 7,476,255 Equity Shares held by WCF ("WCF Shares"); (ii) 8,500 Equity Shares held by AIH ("Aravali Shares"); and (iii) the 4,975,830 Equity Shares held by JIH ("Jwalamukhi Shares"). The Acquirer has agreed to acquire the Equity Shares under the SPAs at INR 249.50 per Equity Share. The completion of the transactions under the SPAs is subject to the satisfaction of
- certain conditions under the SPAs as stated below. Salient features of the SPAs are set out below:
- 3.1. Salient features of SPA 1
- 3.1.1. Closing and reconstitution of the Board: Completion of the sale and purchase of Equity Shares under the SPAs may be undertaken in multiple tranches. Upon acquisition of the Aravali Shares and WCF Shares under SPA 2 on the Closing Date (as defined in SPA 1), (a) Mr. Mohit Jain or Mr. Rohan Jain (but not both) will resign as director of the Target Company, (b) Mr. Sandeep Singhal's resignation as a director of the Target Company will be accepted by the board of the Target Company. (c) the Acquirer shall appoint up to 5 nominees as directors of the Target Company and (d) the Promoters shall vote or abstain from voting on the Promoter Shares from the Closing Date till the Promoter Closing Date (as defined in SPA 1) as per the written directions of the Acquirer. Upon completion of the acquisition of the Promoter Shares, the remaining nominee director of the Promoters i.e. either Mr. Mohit Jain or Mr. Rohan Jain, as the case may be, will resign as a director of the Target Company.
- The sale and purchase of the Promoter Shares may be consummated as an on-market transfer (either as a block deal or a bulk deal) or an off-market transfer.
- 3.1.3. Sell down obligation: After completion of the Open Offer and the transactions contemplated in the SPAs, to the extent that the aggregate holding of the "promoter and promoter group" in the Target Company exceeds the maximum permissible promoter holding, the Acquirer and the Promoters (in the event that they hold any residual Equity Shares in the Target Company) have agreed to sell their respective shares within the time period set out in applicable law to ensure that the Target Company complies with the minimum public shareholding
- 3.1.4. Standstill obligations of the Target Company: Pending completion of the transactions contemplated in the SPAs, the Target Company and the Promoters have agreed to certain standstill obligations including the following: The Target Company shall (a) carry on its business in the ordinary course, (b) not effect any changes in the constitution of the board of the Target Company, (c) not declare, pay or make any dividend or distribution (whether in cash, securities, property or other assets) on any class of equity or other securities; (d) not take any action for the winding up or dissolution; (e) not amend the charter documents of the Target Company. The parties to SPA 1 have also acknowledged that the Target Company is in the process of setting up a new manufacturing facility for the manufacture inter-alia of potato chips.
- Conditions to closing: Completion of transactions under SPA 1 is subject to fulfillment of certain conditions including the following (collectively, "SPA 1 Conditions"):

- (a) The Promoters, the Acquirer and the Target Company being in compliance with their obligations and covenants under the SPA 1 in all material respects;
- (b) Representations and warranties provided by the Promoters and the Acquirer, under the SPA 1, being true and accurate;
- (c) All SPA 2 Conditions and SPA 3 Conditions having been fulfilled;
- (d) Receipt of consent from certain lenders or repayment or refinancing of the facilities obtained from such lenders in terms of SPA 1;
- (e) There shall not be in effect any writ, judgment, injunction, decree, or similar order of any court or other authority or law restraining or otherwise preventing the consummation of the transactions contemplated in the SPAs;
- (f) The Promoters having furnished a certificate from a chartered accountant confirming that there are no outstanding deficiencies and/or liabilities for any unpaid Taxes in connection with the Promoter Shares or any pending proceedings under the Income Tax Act, 1961;
- (g) No Material Adverse Change (as defined in SPA 1) shall have occurred;
- Receipt of prior written consent by the Target Company from the Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation for the consummation of the transactions contemplated in the SPAs;
- Execution of an Escrow Agreement (as defined in SPA 1);
- Completion of the transactions contemplated in SPA 1 having occurred on or before nine months from September 9, 2019 or twenty-six weeks from the Open Offer Closing Date (as defined in SPA 1), whichever is earlier; and
- (k) SPA 2 not having been terminated.
- 3.1.6. Creation of pledge by the Promoters: In terms of SPA 1, the Promoters are permitted to avail certain loan facilities against a pledge over the Promoter Shares ("Pledged Shares") for an amount not exceeding INR 1,050,000,000 ("Promoter Loan"). The proceeds from the sale of Promoter Shares by the Promoters under SPA 1 will be used to repay the Promoter Loan and the pledge will be released simultaneously with such sale of such shares. The Promoters shall ensure that in the event of a default or otherwise, the lenders of the Promoter Loan shall not dispose off the Pledged Shares without allowing the Acquirer to acquire such Pledged Shares in accordance with and subject to the terms of SPA 1.
- 3.1.7. Non-compete, Non-solicit Restrictions and Transition arrangements: The Promoters have agreed to certain non-compete and non-solicit restrictions under SPA 1. The Promoters have also agreed to provide certain transition services under SPA 1. No separate consideration is payable for the same.
- 3.1.8. Indemnities and Warranties: The Promoters have provided customary indemnities and warranties to the Acquirer under SPA 1.

#### Salient features of SPA 2

- 3.2.1. Closing: In terms of SPA 2, the Acquirer and WestBridge have agreed that the sale and purchase of the (i) Aravali Shares and the WCF Shares shall be consummated as an off-market transaction; and (ii) Jwalamukhi Shares shall be consummated as an on-market transfer (either as a block deal or a bulk deal), in each case in accordance with the terms of SPA 2. If for any reason the Jwalamukhi Shares cannot be transferred to the Acquirer by way of an on-market transfer within an agreed time frame, SPA 2 will terminate in relation to the Jwalamukhi Shares.
- 3.2.2. The Acquirer shall acquire control over the Target Company immediately following consummation of the sale and purchase of the Aravali Shares and the WCF Shares on the Closing Date (as defined in SPA 2).
- 3.2.3. Conditions to closing: Completion of transactions under SPA 2 is subject to completion of certain conditions including the following (collectively, "SPA 2 Conditions"): (a) WestBridge and the Acquirer being in compliance with their obligations and
  - covenants under SPA 2;
  - (b) The representations and warranties provided by WestBridge and the Acquirer, under SPA 2, being true and accurate;
  - (c) Completion of the SPA 1 Conditions and SPA 3 Conditions;
  - (d) WestBridge shall have delivered an opinion to the Acquirer certifying certain tax
  - (e) There not being in effect any writ, judgment, injunction, decree, or similar order of any court or other authority or law restraining or otherwise preventing the consummation of the transactions contemplated in the SPAs, including the actions to be taken at Closing (as defined in SPA 2);
  - (f) Completion of the transactions contemplated in SPA 2 having occurred on or before six months from September 9, 2019; and
  - (g) SPA 1 not having been terminated.
- 3.2.4 On or before Closing Date (as defined in SPA 2), Mr. Sandeep Singhal shall submit his resignation as a director of the Target Company, which resignation shall be effective immediately.

#### Salient features of SPA 3

- Closing: The sale and purchase of the Other Shareholder Shares under SPA 3 may be consummated as an on-market transfer (either as a block deal or a bulk deal) or as an off-market transfer. The sale shall occur simultaneously with the acquisition of Promoter Shares in terms of SPA 1.
- 3.3.2. Conditions to closing: Completion of transactions under SPA 3 is subject to completion of certain conditions including the following (collectively, "SPA 3 Conditions"):
  - (a) The Other Shareholders and the Acquirer being in compliance with their obligations and covenants under the SPA 3 in all material respects;
  - (b) The representations and warranties provided by the Other Shareholders and the Acquirer, under SPA 3, being true and accurate;
  - (c) Completion of the SPA 1 Conditions and SPA 2 Conditions; (d) Completion of closing in terms of SPA 2;

connection with the Other Shareholder Shares;

- (e) The Other Shareholders shall have delivered an opinion to the Acquirer certifying that there are no outstanding deficiencies and/or liabilities for any unpaid Taxes in
- There not being in effect any writ, judgment, injunction, decree, or similar order of any court or other authority or law restraining or otherwise preventing the consummation of the transactions contemplated in the SPAs, including the actions to be taken at Promoter Closing;
- (g) SPA 1 and SPA 2 not having been terminated.
- Object of the Offer: The Open Offer is being made as a result of the acquisition of more than 25% of Equity Shares, voting rights and control of the Target Company by the Acquirer resulting in a change of control of the Target Company in terms of Regulations 3(1) and 4 of the Takeover Regulations. The Target Company is presently engaged in the manufacture and sale of extruded snack foods and namkeens and the Acquirer proposes to continue with the existing activities.
- Adjustment to the Equity Shares acquired under the SPAs: Depending on the response to the Open Offer, the WestBridge Shares to be transferred to the Acquirer in accordance with the SPA 2 may stand reduced up to a maximum of 4.3% of the Paid Up Share Capital and the Promoter Shares to be transferred to the Acquirer in accordance with SPA 1 may stand reduced by a maximum of up to 1.7% of the Paid Up Share Capital.
- Further, in terms of the SPAs, while it is contemplated that the transactions under the SPAs will be completed after the completion of this Offer, the Acquirer has the right to consummate such transactions during the Offer Period (as defined in the Takeover Regulations) by depositing an amount equal to 100% of the Maximum Consideration in cash in the Offer Escrow Account in accordance with the provisions of the Takeover Regulations.

#### SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

The current and proposed shareholding of the Acquirer in the Target Company and the details of their acquisition are as follows:

| Details   | Acquirer                |                                       |  |  |  |
|---|-------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
|   | No. of Equity<br>Shares | % of Expanded Voting<br>Share Capital |  |  |  |
| Shareholding as on the PA date  | Nil                     | Nil                                   |  |  |  |
| Shares acquired between the PA date and the DPS date  | Nil                     | Nil                                   |  |  |  |
| Post Offer shareholding<br>(on a diluted basis as on the 10 <sup>th</sup><br>Working Day after closing of<br>Tendering Period)* | 13,070,429              | 26%                                   |  |  |  |
| Post Offer shareholding<br>(on a diluted basis as on the 10th<br>Working Day after closing of<br>Tendering Period)*             | Nil                     | Nil                                   |  |  |  |

\* Assuming the full acceptance in the Offer and the Acquirer not having exercised its right to consummate the transactions contemplated in the SPAs in terms of Paragraph

"Assuming no equity shares are tendered in the Offer and the Acquirer not having exercised its right to consummate the transactions contemplated in the SPAs in terms of Paragraph 6 of Part II

Neither the Acquirer nor any of its directors hold any Equity Shares.

#### OFFER PRICE

2.

3.

- The Equity Shares are listed on the BSE and NSE.
- The trading turnover in the Equity Shares based on the trading volumes during the twelve calendar months prior to the calendar month in which the PA is made i.e.

| Stock<br>Exchanges | Traded turnover of Equity Shares of the Target Company during the twelve months period ("A") | Weighted average<br>number of Equity<br>Shares during<br>the twelve months<br>period ("B") | Trading<br>turnover %<br>(A/B) |
|--------------------|--|--|--------------------------------|
| BSE                | 7,99,503   | 5,01,08,380  | 1.60%                          |
| NSE                | 46,36,219  | 5,01,08,380  | 9.25%                          |

Source: www.bseindia.com and www.nseindia.com

Based on the above, the Equity Shares are infrequently traded on the BSE and NSE in terms of Regulation 2(1)(j) of the Takeover Regulations.

The Offer Price of INR 249.50 per Equity Share is justified in terms of Regulation 8(2) of the Takeover Regulations, in view of the following:

| Sr.<br>No. | Particulars  | Price (In INR per<br>Equity Share)   |  |
|------------|--|--|--|
| (a)        | The highest negotiated price per share, if any, of the<br>Target Company for any acquisition under the<br>agreement attracting the obligation to make a public<br>announcement of an open offer.   | 249.50   |  |
| (b)        | The volume-weighted average price paid or payable for any acquisition, whether by the Acquirer during the fifty-two weeks immediately preceding September 9, 2019 (being the date of the PA).  | Not Applicable   |  |
| (c)        | The highest price paid or payable for any acquisition, whether by the Acquirer during the twenty-six weeks immediately preceding September 9, 2019 (being the date of the PA).   | Not Applicable   |  |
| (d)        | The volume-weighted average market price of the Equity Shares for a period of sixty trading days immediately preceding September 9, 2019 (being the date of the PA), as traded on the NSE, being the stock exchange where the maximum volume of trading in the Equity Shares are recorded during such period, provided such Equity Shares are frequently traded. | Not Applicable   |  |
| (e)        | Where the Equity Shares are not frequently traded, the price determined by the Acquirer and the Manager to the Offer taking into account valuation parameters including book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies.  | Bansi S. Mehta<br>& Co: INR. 246<br>Rajul Iyer &<br>Associates:<br>INR. 240* |  |
| (f)        | The per share value computed under Regulation 8(5), if applicable.   | Not Applicable <sup>(1)</sup>  |  |

\*Source: Bansi S. Mehta & Co., Chartered Accountant, (Firm Registration Number: 100991W) has undertaken an independent valuation exercise and issued a valuation report dated September 9, 2019 under the provisions of Regulation 8(2)(e) of Takeover Regulations.

Rajul Iyer & Associates, (Firm Registration Number: 130137W) has undertaken an independent valuation exercise and issued a valuation report dated September 9, 2019 under the provisions of Regulation 8(2)(e) of Takeover Regulations.

#### Notes:

Not applicable since this is not an indirect acquisition.

- In view of the parameters considered and presented in the table in paragraph 4 above, the minimum offer price per Equity Share under Regulation 8(2) of the Takeover Regulations is the highest of item numbers (a) to (f) above i.e. INR 249.50 per Equity Share, Accordingly, the Offer Price is justified in terms of the Takeover Regulations.
- 6. There have been no corporate actions by the Target Company warranting adjustment of the relevant price parameters under Regulation 8(9) of the Takeover Regulations. The Offer Price may be revised in the event of any corporate actions like bonus, rights, split etc. where the record date for effecting such corporate actions falls within 3 Working Days prior to the commencement of Tendering Period of this Offer.
- There has been no revision in the Offer Price or Offer Size. In case of any revision in the Offer Price or Offer Size, the Acquirer shall comply with Regulations 18(4) and 18(5) of the Takeover Regulations and other applicable provisions of the Takeover Regulations.
- In terms of Regulations 18(4) and 18(5) of the Takeover Regulations, the Offer Price or the Offer Shares may be revised at any time before the commencement of 1 Working Day before the commencement of the Tendering Period. In the event of such revision, the Acquirer shall (i) make corresponding increase to the escrow amount, (ii) make public announcement in the same newspapers in which this DPS has been published, and (iii) simultaneously notify the BSE, NSE, SEBI and the Target Company at its registered office of such revision. Such revision would be done in compliance with applicable requirements prescribed under the Takeover Regulations.

#### FINANCIAL ARRANGEMENTS

- 1. The total consideration for the Offer Size at the Offer Price, assuming full acceptance of this Offer, is INR 3,261,072,035.50 ("Maximum Consideration").
  - The Acquirer, the Manager and ICICI Bank Limited, having an office at ICICI Bank Limited, Capital Markets Division, 1st Floor, 122, Mistry Bhavan, Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020 ("Escrow Bank") have entered into an escrow agreement dated September 9, 2019 ("Offer Escrow Agreement"). Pursuant to the Offer Escrow Agreement, the Acquirer has opened an escrow account under the name and title of "Al Global Escrow Account" ("Offer Escrow Account") with the Escrow Bank and the Acquirer has made a cash deposit of INR 815,268,900, being in excess of 25% of the Maximum Consideration in the Offer Escrow Account in accordance with Regulation 17(1) of the Takeover Regulations. The Manager has been duly authorized to realize the monies lying to the credit of the Offer Escrow Account in terms of the Takeover Regulations. The cash deposit has been confirmed by the Escrow Bank vide letter dated September 12, 2019.
- Deloitte Limited, Chartered Accountant, having office at 24, Spyrou Kyprianou Avenue, CY - 1075, Nicosia, Cyprus, Tel no: +357 22 360 300, Fax no: +357 22 360 400 has, vide its report dated September 9, 2019 reported that basis the equity commitment letter dated September 9, 2019 given by the Acquirer Investors (as defined hereinafter) to the Acquirer and the Manager to the Open Offer, the Acquirer has firm financial arrangements through verifiable means to meet its payment obligations under this
- The equity commitment letter has been signed by Advent International GPE IX Limited Partnership, Advent International GPE IX-C Limited Partnership, Advent International GPE IX-D SCSP, Advent International GPE IX-G Limited Partnership, Advent International GPE IX-I Limited Partnership, Advent Partners GPE IX Limited Partnership, Advent Partners GPE IX-A Limited Partnership, Advent Partners GPE IX Strategic Investors SCSP, Advent Partners GPE IX-B Cayman Limited Partnership, Advent International GPE IX-A SCSP, Advent International GPE IX-B Limited Partnership, Advent International GPE IX-E SCSP, Advent International GPE IX-F Limited Partnership, Advent International GPE IX-H Limited Partnership, Advent Partners GPE IX Cayman Limited Partnership and Advent Partners GPE IX-A Cayman Limited Partnership (each an "Acquirer Investor" and collectively the "Acquirer Investors") in favour of the Acquirer and the Manager to the Open Offer where each Investor has agreed to provide its respective equity commitment aggregating to INR 3,751,000,000 to fund the Maximum Consideration.
- Based on the above and the certificate dated September 9, 2019 provided by Deloitte Limited, the Manager to the Offer is satisfied that firm arrangements have been put in place by the Acquirer to fulfill the obligations in relation to this Offer through verifiable means in accordance with the Takeover Regulations.
- In case of any upward revision in the Offer Price or the Offer Size, the Acquirer shall deposit additional funds in the Offer Escrow Account as required under the Regulation 17(2) of the Takeover Regulations.
- In terms of Regulation 22(2) and the proviso to Regulation 22(2A) of the Takeover Regulations, subject to the Acquirer depositing in the Offer Escrow Account, cash of an amount equal to 100% of the Maximum Consideration, the Acquirer may, after the expiry of 21 days from date of this DPS, subject to fulfillment or waiver of the conditions as detailed in Part II (Background of the Offer), complete the acquisition of Equity Shares pursuant to the SPAs.

#### STATUTORY AND OTHER APPROVALS

- To the best of the knowledge of the Acquirer, there are no statutory or other approvals required to complete the acquisition of the Offer Shares as on the date of this DPS. If, however, any statutory or other approval becomes applicable prior to completion of this Offer, this Offer would also be subject to such other statutory or other approval(s).
  - In case of delay in receipt of any statutory approval that may be required by the Acquirer at a later date, SEBI may, if satisfied that such delay in receipt of the requisite statutory approval(s) was not attributable to any willful default, failure or neglect on the part of the Acquirer to diligently pursue such approval, and subject to such terms and conditions as may be specified by SEBI, including payment of interest in accordance with Regulation 18(11) of the Takeover Regulations, grant an extension of time to the Acquirer to make the payment of the consideration to the Public Shareholders whose Offer Shares have been accepted in the Offer. Where any statutory approval extends to some but not all of the Public Shareholders, the Acquirer shall have the option to make payment to such Public Shareholders in respect of whom no statutory approvals are required in order to complete this Offer.

#### VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY

Sr. Activity

| No. |   | (Day and Date)*                |
|-----|---|--------------------------------|
| 1.  | Issue of PA   | Monday,<br>September 9, 2019   |
| 2.  | Date of publishing the DPS in the newspapers  | Tuesday,<br>September 17, 2019 |
| 3.  | Last date for filing of the draft letter of offer ("DLoF") with SEBI  | Tuesday,<br>September 24, 2019 |
| 4.  | Last date for the public announcement of competing offer(s) as per the first detailed public statement  | Thursday,<br>October 10, 2019  |
| 5,  | Last date for SEBI observations on the DLoF<br>(in the event SEBI has not sought clarifications or<br>additional information from the Manager)              | Thursday,<br>October 17, 2019  |
| 6.  | Identified Date*  | Monday,<br>October 21, 2019    |
| 7.  | Date by which the Letter of Offer is to be dispatched<br>to the Public Shareholders whose name appears on<br>the register of members on the Identified Date | Tuesday,<br>October 29, 2019   |

Schedule

| 8.  | Last Date by which the committee of the independent<br>directors of the Target Company shall give its<br>recommendation to the Public Shareholders of the<br>Target Company for this Offer | Friday,<br>November 1, 2019   |
|-----|--|-------------------------------|
| 9.  | Last date for upward revision of the Offer<br>Price/Offer Size   | Friday,<br>November 1, 2019   |
| 10. | Date of publication of Offer opening public<br>announcement in the newspapers in which this DPS<br>has been published  | Monday,<br>November 4, 2019   |
| 11. | Date of commencement of the Tendering Period (Offer Opening Date)  | Tuesday,<br>November 5, 2019  |
| 12. | Date of closure of the Tendering Period (Offer Closing Date)   | Tuesday,<br>November 19, 2019 |
| 13. | Last date of communicating the rejection/acceptance<br>and completion of payment of consideration or<br>refund of Equity Shares to the Public Shareholders<br>of the Target Company        | Tuesday,<br>December 3, 2019  |
| 14. | Last date for issue of post-offer advertisement  | Tuesday,<br>December 10, 2019 |

and may have to be revised accordingly.

# Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. It is clarified that all Public Shareholders are eligible to participate in this Offer any time before the Offer Closing Date.

#### VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN CASE OF NON RECEIPT OF LETTER OF OFFER

- The Acquirer is not a person resident in India under applicable Indian foreign exchange control regulations and will not have control over the Target Company at the time of acquiring the Equity Shares tendered by the Public Shareholders under this Offer. Therefore, the Acquirer will not be permitted to acquire the Equity Shares of the Target Company on the floor of the recognized stock exchanges in India, as per applicable Indian foreign exchange control regulations. Therefore, the Acquirer will acquire the Offer Shares in accordance with the 'tender offer method' prescribed by SEBI, in accordance with SEBI Circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015, as amended by SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016.
- All the Public Shareholders, holding the shares in dematerialized form are eligible to participate in this Offer at any time during the Tendering Period for this Offer. Please refer to Paragraph 4(iii) below for details in relation to tendering of Offer Shares held in physical form.
- For the purpose of this Offer, Link Intime India Private Limited ("Registrar to the Offer") has opened a special escrow depository account in the name and style of "LIIPL DFM FOODS OPEN OFFER ESCROW DEMAT ACCOUNT" ("Open Offer Escrow Demat Account") with Ventura Securities Limited as the depository participant in NSDL. The depository participant identification number is IN303116 and the client identification number is 12955320.
- Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer (subject to Part VI (Statutory and Other Approvals) above and provided that they are not parties to the SPAs or deemed persons acting in concert with such parties), by submitting an application on plain paper giving details regarding their shareholding and confirming their consent to participate in this Offer on the terms and conditions of this Offer as set out in the PA, this DPS and the Letter of Offer to be issued. Alternatively, such holders of Equity Shares may also apply in the form of acceptance-cumacknowledgement in relation to this Offer annexed to the Letter of Offer, which may be obtained from the SEBI website (www.sebi.gov.in) or the Registrar to the Offer. Any such applications must be sent to the Registrar to the Offer at the address mentioned below in Part IX (Other Information) so as to reach the Registrar to the Offer on or before 4:00 p.m. on the date of closure of the Tendering Period,
  - (i) Where the Equity Shares are held in dematerialized form, the name of the Depository Participant ("DP"), the DP identity and beneficiary account number, together with a photocopy or counterfoil of the delivery instruction slip in "off-market" mode duly acknowledged by the DP for transferring the Equity Shares in favour of the Open Offer Escrow Demat Account. Any Public Shareholders tendering Equity Shares in dematerialized form should ensure that the Equity Shares are credited in the favour of the Open Offer Escrow Demat Account during the Tendering Period. Any form of acceptance in respect of dematerialized Equity Shares not credited to the Open Offer Escrow Demat Account on or before the Offer Closing Date is liable to be rejected; or
  - (ii) Public Shareholders having their beneficiary account with CDSL must use the inter-depository delivery instruction slip for the purpose of crediting their Equity Shares in favour of the Open Offer Escrow Demat Account.
  - (iii) Procedure to be followed by the Public Shareholders holding equity shares in physical form:
    - As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI PR 51/2018 dated December 3, 2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository w.e.f. April 1, 2019
    - Accordingly, the Public Shareholders who are holding equity shares in physical form and are desirous of tendering their Equity Shares in this Offer can do so only after the Equity Shares are dematerialised. Such Public Shareholders are advised to approach any depository participant to have their Equity Shares dematerialised.
- The detailed procedure for tendering the shares in the Offer will be available in the Letter of Offer, which shall be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in).

#### OTHER INFORMATION

- The Acquirer and its directors accept full responsibility for the information contained in this DPS (other than information regarding the Sellers, the Target Company and information compiled from publicly available sources or provided by the Seller and the Target Company, which has not been independently verified by the Acquirer or the Manager to the Offer).
- The information pertaining to the Target Company contained this DPS has been compiled from the information published or publicly available sources or provided by the Target Company.
- Save as otherwise provided in this DPS, the Acquirer and its directors also accept full responsibility for their obligations under the Open Offer and shall be jointly & severally responsible for the fulfillment of obligation under the Takeover Regulation in respect of this Open Offer.
- Unless otherwise stated, the information set out in this DPS reflects the position as of the date hereof.
- Pursuant to Regulation 12 of the Takeover Regulations, the Acquirer has appointed ICICI Securities Limited as the Manager to the Offer.
- The Acquirer has appointed Link Intime India Private Limited as the Registrar to the Offer. This DPS and the PA shall also be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in).
- In this DPS, any discrepancy in any table between the total and sums of the amount listed is due to rounding off and/or regrouping.
- In this DPS, all references to "₹" or "INR" are references to Indian Rupees and all references to EUR are references to Euro.

#### MANAGER TO THE OFFER



ICICI Centre, H.T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai - 400 020, Maharashtra, India Tel.: +91 22 2288 2460; Fax: +91 22 2282 6580 Email ID: dfmfoods.openoffer2019@icicisecurities.com Contact Person: Arjun A Mehrotra/Sameer Purohit/Nidhi Wangnoo

#### REGISTRAR TO THE OFFER

SEBI Registration No. INM000011179

**LINK**Intime

LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED C-101, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg,

Vikhroli (West), Mumbai - 400 083 Tel.: + 91 22 4918 6200; Fax: + 91 22 4918 6195 Website: www.linkintime.co.in

Email: dfmfoods.offer@linkintime.co.in Contact Person: Mr. Sumeet Deshpande SEBI Registration Number: INR000004058

> Issued by the Manager to the Offer For and on behalf of the Acquirer Al Global Investments (Cyprus) PCC Limited

Place: Mumbai Date: September 16, 2019

नई दिल्ली

PRESSMAN

# कच्चे तेल के दाम में तेजी से गिरा बाजार, सूचकांक 262 अंक टूटा

मुंबई, 16 सितंबर (भाषा)।

बंबई शेयर बाजार का सुचकांक सोमवार को करीब 262 अंक ट्टकर 37,123.31 अंक पर बंद हुआ। सऊदी अरब के सबसे बड़े तेल संयंत्र पर ड़ोन हमले के बाद कच्चे तेल के दाम में उछाल से निवेशकों की घबराहट में की गई बिकवाली से बाजार में गिरावट आई। तीस शेयरों वाला सूचकांक 261.68 अंक की गिरावट के साथ 37,123.31 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह करीब 356 अंक नीचे चला गया था।

नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 79.80 अंक की गिरावट के साथ 10.996.10 अंक पर बंद हुआ। अरब देशों में ताजा भू-राजनीतिक तनाव से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार की तरफ से पिछले शनिवार को निर्यात और आवास क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों का असर बाजार पर नहीं देखा गया। तेल के दाम में तेजी के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 67 पैसे लुढ़क कर 71.60 पर बंद हुआ। सूचकांक के शेयरों में 24 नुकसान में जबिक 6 लाभ में रहे।

नुकसान में रहने वाले सूचकांक के प्रमुख शेयरों में महिद्रा एंड महिद्रा, एसबीआइ, येस बैंक, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी, टाटा स्टील और एल एंड टी शामिल हैं। इनमें 2.55 फीसद तक की गिरावट आई। वहीं दूसरी तरफ टेक महिद्रा, ओएनजीसी, सन फार्मा, एचयूएल, टीसीएस और भारती एअरटेल 1.44 फीसद तक मजबूत हुए। सऊदी अरब के दो तेल संयंत्रों पर डोन से हमले के बाद कच्चे तेल के दाम में तेजी आई

पंजाब नैशनल बैंक

है। ब्रेंट क्रूड का भाव सोमवार को कारोबार के दौरान करीब 20 फीसद उछलकर 71.95 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गया। 1988 में शुरू तेल के वायदा कारोबार के बाद से डॉलर के संदर्भ में यह सबसे बड़ी तेजी है। तेल व गैस कंपनियों में एचपीसीएल, बीपीसीएल आइओसी, कैस्ट्रोल इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज में 7 फीसद तक की गिरावट आई। विमानन कंपनियों में स्पाइसजेट, इंटरग्लोब एविएशन और जेट एअरवेज के शेयरों में 3.95 फीसद तक की गिरावट आई।

शेयरखान बाई बीएनपी परिबा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूंजी बाजार रणनीति व निवेश मामलों के प्रमुख गौरव दुआ ने कहा- सप्ताहांत सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों पर ड्रोन हमलों से व्यापार युद्ध से जुड़ी अनिश्चितताएं बढ़ी हैं। इससे वैश्विक स्तर पर बाजार की स्थिति और खराब हुई है। उन्होंने कहा-कच्चे तेल के दाम में तेजी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी असर होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भारतीय शेयर बाजारों ने सरकार की निर्यात और आवास क्षेत्र के लिए महत्त्वपूर्ण घोषणा की उपेक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए शनिवार को निर्यातकों और रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिए 70,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की। इसमें अधूरी आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तपोषण मुहैया कराने के लिए एक कोष की स्थापना जैसी योजनाओं के लिए 30 हजार करोड़ रुपए के खर्च भी शामिल हैं। इसके अलावा सोमवार को जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार थोक महंगाई दर अगस्त में 1.08 पर बनी रही। जुलाई में महंगाई दर का स्तर यही था।

punjab national bank

#### एअर इंडिया एसेट होल्डिंग्स ने बांड के जरिए 7,000 करोड़ जुटाए

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

एअर इंडिया एसेट होल्डिंग्स लिमिटेड (एआइएएचएल)ने बांड जारी कर 7,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई है। इस बांड पेशकश को पूर्ण अभिदान मिला। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। एअर इंडिया एसेट होलिंडग्स लिमिटेड, एअर इंडिया की विशेष उद्देश्य इकाई है। एआइएएचएल की ओर से बांड जारी करके जुटाई गई पूंजी से एअर इंडिया का कर्ज चुकाया जाएगा। यह एअर इंडिया के बही खाते को दरुस्त करने के प्रयासों का हिस्सा है। एअर इंडिया पर 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज है।

एअर इंडिया के एक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि एअर इंडिया एसेट होल्डिंग्स की बांड पेशकश को पूर्ण अभिदान मिला है। कंपनी ने तीन साल के लिए 1000 करोड़ रुपए का बांड जारी किया था। इसके साथ ही ग्रीन शू विकल्प के तहत 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अभिदान स्वीकार करने का प्रावधान भी रखा है। प्रवक्ता ने कहा- कंपनी को 20,830 करोड़ रुपए की बोली मिली है।

क्रमांक/अ.अ./न.ख. II (द.)/2019-20/1654-61

(3) http://sppp.rajasthan.gov.in

Name of the Shareholder

Place: New Delhi

Date: September 16, 2019

1. कॉपॉरेट व्यक्ति का नाम

प्रारंभ तिथि

2. कॉपॉरेट व्यक्ति के गठन की तिथि

3. प्राधिकरण जिसके अधीन कॉपॉरेट व्यक्ति

कॉपॉरेट व्यक्ति की कॉपॉरेट पहचान संख्या

प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता

5. कॉर्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय एवं

. परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता

और टेलीफोन नंबर पंजीकरण संख्या

8. दावों को जमा करने की अंतिम तिथि

फार्म एफः अन्य हितधारको द्वारा दावे।

इन्टरनेट

दिनांक : 16.09.2019

स्थान : नई दिल्ली

कार्यालय का नाम

निविदा के कार्य

कुल धरोहर राशि

अंतिम तारीख

निविदा की कुल लागत

निविदा आवेदन/ डाउनलोड करने की

प्रि बिड मीटिंग की दिनांक एवं समय

NIB CODE

1) UBN No.

2) UBN No.

1000/- के स्टाम्प पर जमा कराने की कार्यालय में।

पोटेन्शियल (तकनीकी) बिड खोलने की 03.10.2019 को सायं 4.00 बजे

निविदा जमा कराने की तारीख

स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

विनिर्दिष्ट फार्म में दस्तावेजी प्रमाण के साथ जमा करने होंगे:

फार्म ई: कामगार या कर्मचारी के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दावें,

क्रमांकः टी.एस./ निविदा फाईल/ 2019-20/ डी-1328

दावों के झुठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

फार्म बी: कामगार एवं कर्मचारी को छोडकर परिचालन लेनदारों द्वारा दावें,

फार्म सी: वित्तीय लेनदारों द्वारा दावें, फार्म डी: कामगार एवं कर्मचारी द्वारा दावें,

6. कॉर्पोरेट व्यक्ति के सबंध में दिवाला

# नीलामी में बिक नहीं पाए स्पेक्ट्रम से हुआ 5.4 लाख करोड़ का नुकसान: बीआइएफ

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

पिछली नीलामियों में जो स्पेक्ट्रम बिक नहीं पाया उसकी वजह से सरकार को 5.4 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। उद्योग संगठन ब्राडबैंड इंडिया फोरम (बीआइएफ) ने यह दावा किया है। बीआइएफ ने सरकार से आगामी 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी में रेडियो तरंगों की पर्याप्त उपलब्धता और 'उचित कीमत' सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

बीआइएफ ने कहा कि 5जी स्पेक्ट्रम का आरक्षित मूल्य काफी ऊंचा है। अन्य देशों की तुलना में यह चार गुना तक अधिक है। इसमें तत्काल संशोधन करने की जरूरत है। बीआइएफ ने बयान में कहा कि भारत में स्पेक्ट्रम की नीलामी या सफलता सिर्फ एक कारक... कीमत पर निर्भर करती है। कीमत से

ही अधिकतम बिक्री और महत्तम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हासिल किया जा सकता है। ऐसे में सिर्फ लघु अवधि के वित्तीय लाभ पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए। उद्योग संगठन का यह बयान डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) की इस सप्ताह होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले आया है। इस बैठक में स्पेक्ट्रम नीलामी के विभिन्न तौर तरीकों और स्पेक्ट्रम की कीमत को अंतिम रूप दिया जाना है। 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी चालु वित्त वर्ष में ही होने की उम्मीद है।

बयान में कहा गया है कि मोबाइल स्पेक्ट्रम की हर एक विफल नीलामी के कई प्रभाव होते हैं। इसमें स्पेक्ट्रम तो बिकता नहीं है, इसकी वजह से यह बेकार भी पड़ा रहता है जिससे मूल्यवान आर्थिक लाभ गंवा दिया जाता है। अक्तूबर, 2016 में हुई स्पेक्ट्रम नीलामी में 1300 मेगाहर्ट्ज या 59 फीसद स्पेक्ट्रम नहीं बिक पाया था। इस नुकसान का गणित समझाते हुए बीआइएफ ने कहा कि 2010 से नीलामी में सिर्फ 60 फीसद स्पेक्ट्रम ही बिक पाता है।

वर्ष 2016 में सिक्रय मोबाइल कनेक्शनों की संख्या 76.2 करोड़ थी। इन मोबाइल उपभोक्ताओं को लाइसेंसी कंपनियों को आवंटित 3800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के जरिए सेवाएं दी जा रही थी। अगर यह स्पेक्ट्रम बिक जाता तो 27.8 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शनों को मोबाइल सेवाएं दी जा सकती थीं। बीआइएफ ने कहा कि अगर दूरसंचार घनत्व 10 फीसद बढ़ने पर सकल घरेलू उत्पाद 1.9 फीसद पड़ता है तो बेकार पड़े स्पेक्ट्रम की वजह से अनुमानित नुकसान 5.40 लाख करोड़ रुपए बैठता है।

#### सऊदी अरब ने भारत को तेल आपूर्ति बनाए रखने का भरोसा दिया

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

सऊदी अरब का कच्चा तेल उत्पादन घटने से भारत को आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने सोमवार

दिनांक 09.09.2019

PHE1920WSRC04206

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

नगर खण्ड-II (दक्षिण), जयपु

No. of Shares held Folio No.

For Bharat Nidhi Limited

Sd/-Company Secretary

(जितेन्द्र कुमार शर्मा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग, नगर

खण्ड-II (दक्षिण), जयपुर

निविदा संख्या 37/2019-20

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जन स्वा. अभि. विभाग, में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों रं

BHARAT NIDHI LIMITED

Regd. Off: 1st Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg,

New Delhi - 110 002 Phone No. 011-43562982,

E-Mail ID:- bharatnidhi1@gmail.com Website :- www.bharatnidhi.com

CIN No. L51396DL1942PLC000644

NOTICE is hereby given that the following Shareholders of the Company holding fully paid up

equity shares of Rs. 10/- each of the Company, has reportedly lost their respective Share

Certificates and application has been made to the Company by them / their legal heir to issue

Any person, who has a claim in respect of the said equity shares, should lodge such claim

with the Company at its Registered Office within 15 days from the date of issue of this notice;

फार्म ए

सार्वजनिक उदघोषणा

स्पैम एग्री प्राइवेट लिमिटेड के हितधारको के ध्यानार्थ

भारतीय दिवाला और शोधन अधमता बोर्ड (स्वैच्छिक समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 14 के अंतर्गत

23/08/1994

श्री अश्वनी कुमार

13 अक्टूबर, 2019

पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P01015/2017-2018/11666

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि स्पैम एग्री प्राइवेट लिमिटेड ने 14 सिंतम्बर, 2019 को

स्पैम एग्री प्राइवेट लिमिटेड के सभी हितधारको को उपरोक्त मद सं. 7 में वर्णित कार्यालय पते

पर अपने दायों के प्रमाण परिसमापक के पास 13 अक्टूबर, 2019 तक या उससे पूर्व जमा करने

वित्तीय लेनदार फार्म सी में केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से अपना दावा जमा करना

होगा। अन्य सभी हितधारको व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक पद्धति से अपने दावों

के प्रमाण जमा कर सकते हैं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समाधान

प्रक्रिया) विनियम, 2017 के तहत दावों के प्रमाण जमा करने होंगे। दावों के प्रमाण निम्नलिखित

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त उदयपुर

निविदा संख्या 02/2019-20

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से राजस्थान सरकार के पात्र श्रेणी के संवेदकों

एवं केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत संवेदकों जो कि

राजस्थान सरकार के पात्र श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो उनसे निर्धारित निविदा प्रपत्र में

ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया हेतु आनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित

वृत्त उदयपुर

निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि एवं (1) दिनांक 01.10.2019 सायं 6.00 बजे तक अतिरिक्त

प्रोसेसिंग फीस, शपथ पत्र राशि रु. मुख्य अभियन्ता एवं सम्बन्धित नगर खण्ड उदयपुर

रु. 1003.00 लाख

2 कार्य

साईट

www.dipronline.org व http://sppp.raj.nic.in पर उपलब्ध है।

स्पैम एग्री प्राइवेट लिमिटेड

U74899DL1994PTC061043

कंपनी पंजीयक, एनसीटी ऑफ दिल्ली

(कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित)

बी-403, जय भवानी सीजीएचसी, प्लॉट 5बी

द्वारका, सैक्टर-22, नई दिल्ली - 110075

26. टोडरमल रोड, नियर बंगाली मार्केट, नई दिल्ली,

ASHWANIKUMARSAXENA1207@gmail.com

IBBI/IPA-001/IP-P01015/2017-2018/11666

हस्ताक्षर /

दिनांकः 31.08.2019

www.eproc.rajasthan.gov.in,

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग

अन्य विभागों में पंजीकृत राशि रु. 2006000.00

(2) दिनांक 03.10.2019 प्रातः 11.00 बजे तक अधीक्षण

अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त उदयपुर कार्यालय में।

सा.नि.वि. में पंजीकृत राशि रु. 501500.00

09.09.2019 प्रातः 09.30 बजे से

30.09.2019 सायं 6.00 बजे तक

09.09.2019 प्रातः 09.30 बजे से

30.09.2019 सायं 6.00 बजे तक

NIB CODE: PWD1920A1103

PWD1920WSOB04842

PWD1920WSOB04843

25.09.2019 सायं 3.00 बजे

अश्वनी कुमार

परिसमापक

LIQUIDATORSPAMAGRI@gmail.com/

else the Company will proceed to issue duplicate certificates without further intimation.

Father/ Husband's Name

Naresh Chand Jain

Sitanshu Bhusan Chatterjee | Late Indu Bhusan Chatterjee

निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया हेतु निम्न लिखित निविदा ऑन लाईन ऑमन्त्रित की जाती हैं।

निविदा संख्या । अनुमानित लागत राशि (लाखों रु में)।

(1) http://www.eproc.rajasthan.gov.in (2) www.dipr.rajasthan.gov.in

नेविदा से संबंधित विस्तृत विवरण निम्नलिखित वैबसाइट पर देखे जा सकते हैं:

को कहा कि अरामको के अधिकारियों ने 15 सितंबर को भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को सुचित किया कि उनके लिए आपूर्ति में किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारतीय रिफाइनरी कंपनियों और सऊदी अरामको के साथ स्थिति पर निगाह रखे हुए है।

अरामको से परिचालित दुनिया के सबसे बड़े कच्चा तेल प्रसंस्करण कारखाने में ड्रोन हमले के बाद हुए नुकसान के समाचारों से कच्चे तेल के दाम अपने चार माह के उच्चस्तर पर पहुंच गए हैं।

क्षेत्रिय निवेशक, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष कम्पनी मामलो का मंत्रालय, बी-2 बिंग, द्वितीय तल. गर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली — ११०००३ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (नियमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (क) के मामले में

गोल्डसक्वेयर सेलस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U51909DL2009PTC194623) त्रसका पंजीकृत कार्यालय : एच नं. 8-बी/ लॉट नं. 1ए, ग्राउंड फ्लोर डीएलएफ इंडरिट्रयल एरिया, मोती नगर दिल्ली – 110015 रिथत है, के

.याचिकाकर्ता आम जनता को यह सचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "तेलेगाना राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख शनिवार 31 अगस्त, 2019 को आयोजित असाधारण आम सभा में प्रारित संकल्प के सदर्भ में कंपनी के संगम झापन में संशोधन की पृष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो यह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की गरीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 बिंग हितीय तल. पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली — 110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी

एच नं 8-बी / 1, प्लॉट नं 1ए, ग्राउंड फ्लोर डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया, मोती नगर दिल्ली - 110015 आवेदक की ओर से और उसके लिए कृते गोल्ड्सक्वेयर सेलस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड हस्ता /

कमल बहल स्थान : दिल्ली (निदेशक) डीआईएन : 00587854

#### HEALTHCAPS INDIA LIMITED Registered Office -110, Ansal

Classique Tower, J-Block, Community Centre, Rajouri Garden, New Delhi-110027, CIN- L74899DL1982PLC014789) Email: info@healthcapsindia.com Website: www.healthcapsindia.com

Telephone: 011-25453061 COMPANY NOTICE Notice is hereby given that 36th Annual General Meeting for the financial year 2018 -19 will be held on Monday on 30th day of September, 2019 at 09.30 at Eternity, B-40, Vishal Enclave, Rajouri Garden, New Delhi-110027 to transact the Business as mentioned in the notice of AGM a copy of which has been sent at registered address of the members and through email whose email ld is registered

with the Company. The Company has

completed despatch of physical copy of

the same to Members on 5th September,

Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 28th day of eptember, 2019 to 30th day September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. The Company is pleased to provide its Members facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services provided Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The evoting period commences on Friday 27th September, 2019 at 9:00 am and ends on Sunday 29th September, 2019 at 5:00 pm. The e-voting module shall be disabled for voting after 5:00 pm on Sunday 29th September, 2019. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the Member as on 23rd September, 2019

being record date (cut-off date). Copy of the notice is also available on the Company's website www.healthcapsindia.com and website of CDSL www.evoting.cdsl.com. The procedure of electronic voting is available in the Notice of AGM.

Details of persons to be contacted for issues relating to e-voting:

Mr. Puneet Mittal M/s Beetal Financial and Computer

Services Private Limited. New Delhi, Tel. No. 011-29961281-283, E-mail: beetalrta@gmail.com and

CDSL at Tel No. 18002005533, E-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com Details of Scrutinizer: Mr. Ravinder Kumar, Company Secretary in Practice

For and on behalf of the Board Healthcaps India Limited

Sd/-Chiranjiv Singh Date: 14.09.2019 Managing Director Place: Delhi Din-01602672

### थोक मुद्रास्फीति अगस्त में 1.08 फीसद पर अपरिवर्तित

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL - III, DELHI 4TH FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT

STREET. NEW DELHI-110001

Notice under Section 19(4) of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act. 1993 read with

Rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules) 1993)

(Procedure Mules, 1939) OA No. 273/2019/DRT-III ICICI BANK LTD.. Applicant VERSUS M/s. ZILLION INFRAPROJECTS PVT. LTD. & ORS..... Defendants

M/s. ZILLION INFRAPROJECTS PVT. LTD. & ORS. No. 2, 5th Floor, Anushka Tower, Garg Trade Centre.

Sector-11, Rohini, New Delhi -110085 Also at: Plot No. 5, 5th Floor, Anushka Tower, Garg Trade

Centre, Sector-11, Rohini, New Delhi-110065 0-2 Sh. Sunil Kumar S/o. Sh. Madan Lai Plot No.2, 5th Floor

ilso at: Sh. Sunil Kumar Sio. Sh. Madan Lal Plot No.5, 58

loor, Anushka Tower, Garg Trade Centre, Sector-1' lohini, New Delhi-110085

Rohin, New Deini-1100eb Sh. Sunil Kumar S/o. Sh. Madan Lal H.No. C-173, Surya Nagar, Block-C, Ghaziabad-201001, Uttar Pradesh. D-3 Sh. Anant Saxena, S/o. Sh. Ragubir Kishore Dundha, Plot No. 2, 5th Floor, Anushka Tower, Garg Trade Centre,

Sector-11, Rohini, New Delhi -110085 Also at: Sh. Anant Saxena, Sio. Sh. Ragubir Kishon

Duncha, Plot No. 5, 5th Floor, Anushka Tower, Garg Trade Centre, Sector-11, Rohini, New Delhi-110085 Also at: Sh. Anant Saxena, S/o. Sh. Ragubir Kishore

ilso at: Sh. Anant Saxena, Slo. Sh. Ragubir Kishore lundha, H.No. 79, Deepali Pitam Pura, Delhi -110034 Whereas the above named applicant has instituted a case

ainst you and whereas it has been shown to the tisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you

dvertisement directing you to make appearance in this ribunal 18/09/2019 at 10:30 A.M.

Take notice that in case of your failure to appear on the bove mentioned day before this Tribunal, the case will be

Given under my hand and seal of the Tribunal on this 08th

Seal By Order of the Tribunal

Assistant Registrar, DRT-III, New Delhi

eard and decided in your absence

थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अगस्त महीने में बिना किसी बदलाव के 1.08 फीसद पर स्थिर रही है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक की अक्तूबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों में कटौती की उम्मीद और मजबूत हुई है। हालांकि रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक समीक्षा के वक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति को ही तव्वजो देता है।

विशेषज्ञों के अनुसार हालांकि, मुख्य मुद्रास्फीति में गिरावट से नीतिगत दरों में कटौती की बात और मजबूत हुई है।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार खाने-पीने की कुछ वस्तुओं का महंगे होना बेअसर रहा क्योंकि अगस्त के दौरान विनिर्मित वस्तुओं के दाम में स्थिरता रही। अगस्त में थोक मुल्य सचकांक (डब्ल्युपीआइ) आधारित महंगाई दर जुलाई के समान ही 1.08 फीसद रही। हालांकि, एक साल पहले अगस्त 2018 में यह 4.62 फीसद थी। खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर अगस्त में बढ़कर 7.67 फीसद पहुंच गई जो इस साल जुलाई में 6.15 फीसद थी। मुख्य रूप से सब्जी और अंडा, मांस जैसे अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर बढ़ी है।

सिब्जियों की महंगाई दर भी आलोच्य महीने में बढ़कर 13.07 फीसद पर पहुंच गयी जो इससे पूर्व इसी वर्ष जुलाई में 10.67 फीसद

थी। अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति अगस्त महीने में बढ़कर 6.60 फीसद पर पहुंच गई जो जुलाई में 3.16 फीसद थी। हालांकि, ईंधन और बिजली की महंगाई दर में 4 फीसद की गिरावट आई। जुलाई में 3.64 फीसद थी।

#### CORRIGENDUM

CORRIGENDUM TO NOTICE OF AGM REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE PUBLISHED ON 05/09/2019

TO WHOMESOVER IT MAY CONCERN Dear Shareholders, In line no. 2 of the notice Thursday should

be read as Friday and in line no. 22 Monday should be read as Tuesday and in line no.23 Wednesday should be read as Thursday.

FOR MOHIT PAPER MILLS LIMITED ANANT VATS COMPANY SECRETARY

#### दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड दिल्ली सरकार

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिविल-7 राणा प्रताप बाग दिल्ली-110007

निविदा आमंत्रण सूचना

अधिशासी अभियन्ता, सी-7 डीयूएसआईबी, राणा प्रताप बाग, दिल्ली 110007 द्वारा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के लिए प्रतिशत दर बोली (ऑनलाइन) दो लिफाफा प्रणाली में निम्नलिखित कार्यों के लिए आमंत्रित की जाती है।

एनआईटी न.: 58/ईईसी-7/डीयूएसआईबी/2019-20 कार्य का नामः- विधायक भूमि निधि।

उप शीर्षकः मॉडल टाउन एसी-18 में विभिन्न जेजे क्लस्टर के प्रवेश पर आरसीसी गेट प्रदान करना

और बिछाना। (पीआईडी NO. 12090) अनमानित लागतः रु. 77,90,617.00

धरोहर राशि रु. 1,55,812.00 निविदा मूल्य रु. 1,000.00

समयावधिः 180 दिन

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 24.09.2019 को अप 15:00 बजे तक खोलने की तिथि: 24.09.2019 को 15:30 बजे के बाद

निविदा प्रपत्र एवं विवरण वेबसाईट http://eprocurement.delhi.gov.in/ से प्राप्त किये जा

DIP/Shabdarth/0682/19-20

राजेन्द्र बंसल कार्यपालक अभियंता/सी-7 डीयूएसआईबी

#### हरट्रान कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड CIN NO U70102HR1988PLC030379

पंजीकृत कार्यालयः वैली एस्टेट, मनसा देवी रोड पंजकुला, हरियाणा 134114 ई-मेलः share@hartron.in वेबसाइटः www.hartron.in शेयरधारकों को सूचना

31वीं वार्षिक आम बैठक के लिए एजीएम और ई-वोटिंग की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को दोप. 12.30 बजे होटल रेड बिशॉप सैक्टर-1, पंचकुला में आयोजित की जाएगी। कंपनी ने एजीएम की सूचना दिनांक 4 सितम्बर, 2019 को भेजने का कार्य पूरा कर लिया है। एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में 23 सितम्बर, 2019 (सायं 5.00 बजे आईएसटी) को भौतिक या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कंपनी के सदस्यों के लिए एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग सर्विस के माध्यम से अपना

वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 (प्रातः 9.00 बजे आईएसटी) प्रारंभ होगी और रविवार, 29 सितम्बर, 2019 (सायं 5.00 बजे आईएसटी) बंद होगी और उसके बाद

वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट देने के बाद उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, सदस्यों के पास ई-वोटिंग के स्थान पर बैलेट फार्म द्वारा वोट देने का भी

विकल्प होगा। ऐसे माध्यम से वोट देने के इच्छक सदस्यगण बैलेट पेपर के लिए कंपनी को लिख सकते हैं या share@hartron.in पर ई-मेल कर सकते हैं। विधिवत् भरे गये बैलेट फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29 सितम्बर, 2019 (सायं 5.00 बजे आईएसटी) तक है। सदस्य केवल वोटिंग का एक विकल्प अर्थात् ई-वोटिंग या बैलेट का चुन सकता है। यदि सदस्य दोनों माध्यम से बोट देता है तो उसके द्वारा की गई ई-बोटिंग मान्य होगी और बैलेट पेपर को अवैध माना जाएगा।

ई-वोटिंग पर किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए श्री चन्दर जीत सिंह, सीएफओ मैसर्स हरट्रॉन कम्युनिकेशन्स लिमिटेड वैली एस्टेट, मानसा देवी रोड, पंचकुला-134114, ई-मेल: share@hartron.in, फोन: 0124 2344885 से सम्पर्क कर सकते हैं। बोर्ड के अदेशानुसार

> कृते हरट्रॉन कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड हस्ता/-सजीत मलिक (प्रबंध निदेशक)

#### अचल सम्पत्ति का विवरण

रिहायशी मकान नं. 276, सूर्या नगर, फेज- ।।, सैक्टर-91, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित, क्षेत्रफल 1467.78 वर्ग फीट यह सम्पत्ति श्री सतवीर सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह के नाम पर है। दिनांक : 12.09.2019, स्थान : फरीदाबाद प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

शाखा : डीएवी सेक्टर-14 (40990) गुड्रगाँव, ईमेल: bo4099@pnb.co.in फोन न'. 0124-4267037

कब्जा सचना अचल सम्पत्ति हेत्

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भृति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **पंजाब** 

नेशनल बैंक, डीएवी सैक्टर-14, गुडगाँव का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ

पठित धारा 13 के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार श्री सतवीर सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह और श्रीमती रीना देवी पत्नी श्री सतवीर

सिंह को एक मांग नोटिस दिनांक 11-04-2017 को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि रू 45,49,359/- (रु. पैतालीस लाख

उनचास हजार तीन सौ उनसठ मात्र) दिनांक 05.03.2019 से ब्याज पूर्ण अदायगी की तिथि तक उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया

जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ

कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने

विशेष रूप से कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता / निदेशक तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन—देन न करने के लिए

सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन पंजाब नेशनल बैंक, के प्रमार वास्ते राशि रू 45,49,359/- (रु. पैतालीस

लाख उनचास हजार तीन सौ उनसठ मात्र) दिनांक 05.03.2019 से ब्याज पूर्ण अदायगी की तिथि और साथ में आकस्मिक खर्चों, लागत

🞧 भारतीय स्टेट बैंक द्वितीय फ्लोर, अजीत कॉम्पलेक्स, अचल संपत्तियों के विक्रय हेत् सहारनपुर रोड, देहरादून-248001 स्ट्रेस्ड एसेट्स रिकवरी शाखा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभृति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल / अचल

संपत्ति जो प्रतिभृति लेनदार के पास दृष्टिबंधक / प्रभारित है, का भौतिक कब्जा (इनमें से जो भी लागू होता है) प्रतिभृति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बँक द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर वसूली की बकाया राशि एवं अन्य खर्चे व लागत सहित जो नीचे दी गई है के अनुसार नीचे लिखी तिथि को नीलाम की जायेगी, प्रत्येक संपत्ति के लिए रिजर्व मूल्य एवं ईएमडी राशि नीचे दी गई है \*नीलामी के नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए, कपया दी गई वेबसाइट <u>www.sbi.co.in</u> देखें (बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण ज्ञात भार, यदि कोई हो ) बकाया राणि 12/2) अ रिजर्व मल्य

पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 12.09.2019 को लिया है।

हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

प्रमार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

| ऋणी / गारन्टर के<br>नाम व पता | वंधक समान्ति का विवसा  | के अनुसार जो<br>बिक्री बेची जाएगी | ब. ईएमडी (लाख म  |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|
|                               | वाणिज्यिक भूमि स्थित खसरा नं0 517, ग्राम शेर<br>नगर, मुजफ्फरनगर, भूमि क्षेत्रफल 6820 वर्ग मीटर,<br>सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती रजनी गर्ग पत्नी श्री मुकेश<br>गर्ग (निकट लैंडमार्क कुमार ड्रीक्स गोदाम, निकट<br>जानसट रोड. मजफ्फरनगर) | लाख<br>+ ब्याज एुंव               | अ. रू0 276.00<br>লাख<br>ब. रू0 27.60<br>লাख<br>स. 0.50 লাख |

ई-नीलामी की तिथि व समय : 07.10.2019 (प्रात: 11.30 बजे से दोपहर 13.30 बजे तक) 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ बैंक में ई0एम0डी0 एवं अन्य कागजात जमा करने की अंतिम तिथि व समयः 05.10.2019 को सांय 5.00 बजे तक ई-नीलामी के लिए सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय : 30.09.2019 को दोपहर 02.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच, संपर्क व्यक्ति शाखा के फोन नंo: 8451948028, 9650486279, 0135- 2720081, 2720082 पर संपर्क कर सकते है। प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

दिनांकः 17.09.2019

परियोजना निदेशक का कार्यालय,

समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

अतिअल्पकालीन पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 04/2019-20

समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदकों से निम्नांकित कार्य के लिए परिमाण विपत्र पर मृहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

01 विभाग का नाम

विज्ञापन दाता का नाम 03 परिमाण विपन्न बिकी की तिथि 04 थ्नविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय 05 निविदा खोलने की तिथि एवं समय

06 परिमाण विपन्न की बिकी कास्थान 07 निविदा प्राप्ति का स्थान 08. कार्य की विवरणी

कार्य का नाम री0सी0डी0 योजना अंतर्गत पूर्वीसिंहभूम जिले के विभिन्न प्रखंडों में निवासित आदिम जनजाति के ग्रामों / टोलों में

Solar Based Drinking Water System योजना।

निविदा की शर्ते पूर्वी सिंहमुम जिले के वेबसाईटwww.jamshedpur.nic.inसे एवं आई०टी०डी०ए० कार्यालय से कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। PR 217128 (Welfare) 19-20 (D)

1. कार्य की विस्तृत विवरणी क्र0स0 ग्रुप

1. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि

5. तकनीकी निविदा खोलने की तिथि 04.10.2019 एवं समय अपराहन 2:00 बजे

पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पदनाम से देय हो देना होगा।

निविदा की राशि घट—बढ सकती है।

बूंद - बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे

epaper.jansatta.com

बूंद - बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। कार्यपालक अभियंता का कार्यालय श्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ई-निविदा आमंत्रण सूचना (अल्पकालीन निविदा आमंत्रण) ई-निविदा सूचना संख्या :- RDD/SD/CHAIBASA/02/2019-20 परिमाण विपत्र कार्य पूर्ण करने की प्राक्कलित अग्रधन की राशि की राशि अवधि 10000.00 18 माह

कार्य समाप्ति

की अवधि

परियोजना निदेशक,

आई०टी०डी०ए०,

परिमाण

विपन्न मृल्य

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा

परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

अग्रधन की

15806786.00 | 320000.00 | 10000.00 | 03 (तीन) माह

दिनांक-24.09.2019 से 26.09.2019 तक कार्यालय अवधि में।

वर्ग कल्याण विभाग, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

दिनांक-27.09.2019को अपराहन 01.00 बजे तक

आई0टी0डी0ए0 कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

आई०टी०डी०ए० कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

दिनांक-27.09.2019को अपराहन 04.00 बजे

प्राक्कलित राशि

कार्य का नाम

A मुख्यमंत्री ग्राम सेत् योजनान्तर्गत पश्चिमी 2,68,67,100.00 5,37,400.00 सिंहभूम जिला अन्तर्गत खुँटपानी प्रखण्ड के लगिया ग्राम एवं टोन्टो प्रखण्ड के गुंडीपुसी ग्राम के बीच रोरो नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य। B मुख्यमंत्री ग्राम सेत् योजनान्तर्गत मंझारी प्रखण्ड 2,62,95,500.00 5,26,000.00 10000.00 18 माह के रोलाडीह पंचायत अन्तर्गत रोलाडीह से पिलका

जानेवाली पथ में तोरलो नदी पर पुल निर्माण कार्य। :- 19.09.2019

10 अद्द

2. ई—निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :- 30.09.2019 अपराहन 5:00 बजे तक 3. ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा / मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, एफ0 एफ0पी0 भवन, ध्रुवा, राँची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, Bank Credit Certificate एवं Affidavit (Section X) जमा करने की तिथि 03.10.2019 एवं समय अपराहन 05:00 बजे तक ४. निविदा खोलने का स्थान :— मुख्य कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, एफ0एफ0पी0 भवन, धूर्वा, राँची

 निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पश्चिमी 7. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं० 8521505841 (संबंधित कार्यपालक अभियंता का दूरभाष नम्बर) निविदा शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत ड्राफ्ट या बैकर्स चेक जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट www.jharkhandtenders.gov.in एवं कार्यालय की सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है। कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पश्चिमी सिंहमूम चाईबासा। P.R.217095 West Singhbhum(19-20):D

सा.नि.वि. वृत्त उदयपुर

(अशोक कुमार शर्मा

अधीक्षण अभियन्ता

हस्ता./

नई दिल्ली

स्थानः गुरुग्राम

दिनांकः 05.09.2019

# बंगला खाली नहीं करने वाले सांसदों की बढ़ेंगी मुश्किलें

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 16 सितंबर।

सरकारी बंगलों में अनधिकृत तौर पर काबिज लोगों की सरकारी आवासीय संपत्तियों से बेदखली के लिए हाल ही में संसद द्वारा पारित सख्त कानून रविवार से लागू होने के कारण उन पूर्व सांसदों की भी मुश्किलें बढ़ना तय है जिन्होंने लोकसभा चुनाव हारने के बाद अभी तक लुटियन दिल्ली में स्थित सरकारी बंगला खाली नहीं किया है। आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी बयान के अनुसार सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम 2019 को 15 सितंबर से लागू कर दिया गया है। गत जून में हुए लोकसभा चुनाव में हारने वाले सांसदों में से 81 सांसदों ने अब तक दिल्ली स्थित सरकारी बंगला खाली नहीं किया है। मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इन सांसदों

को संसद सदस्यता खत्म होने की तारीख से 30 दिन

को सात साल की सजा

के भीतर बंगला खाली करना था लेकिन ऐसा नहीं कर पाने वाले सांसदों को संपदा निदेशालय की ओर से 15 दिन का नोटिस भी भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि अब नया कानून लागू होने के बाद 15 दिन के नोटिस की औपचारिकता पूरी करने की जरूरत नहीं होगी। संशोधित कानून के तहत अब कब्जाधारक को बंगला खाली नहीं करने का कारण बताने के लिए सिर्फ तीन दिन का समय देते हुए एक नोटिस जारी किया जा रहा है। संतोषजनक कारण नहीं बता पाने पर संपदा निरीक्षक संपत्ति को खाली करा सकेंगे।

17 वीं लोकसभा के हाल ही में संपन्न हुए पहले संसद सत्र में मंत्रालय द्वारा पेश सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक 2019 को दोनों सदनों से पारित किया गया था। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद विधि व न्याय मंत्रालय ने नौ अगस्त को अधिसृचित कर दिया था। इसके बाद संपदा निदेशालय ने भी इसे बतौर कानून लागू करने की अधिसूचना 12 सितंबर को जारी कर दी। अधिसूचना के मुताबिक इस कानून को 15 सितंबर से प्रभावी घोषित किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों, संसद सदस्यों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों को सरकारी आवास के आबंटन, रखरखाव और खाली कराने का दायित्व मंत्रालय के अंतर्गत संपदा निदेशालय का है। सरकारी आवास के अनिधकृत उपयोग की समस्या से सख्ती से निपटने के लिए इस कानून में प्रभावी प्रावधान किए गए हैं।

मंत्रालय ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों, संसद सदस्यों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों को उनके कार्यकाल के दौरान लाइसेंस के आधार पर आवासीय सुविधा मुहैया कराती है। आवंटन नियमों के मुताबिक आवंटी को कार्यकाल समाप्त होने पर आवास खाली नहीं करने पर उसे अनिधकृत कब्जे की श्रेणी में रखा जाता है। संशोधित कानून लागू होने से पहले की प्रक्रिया के तहत सरकारी आवास खाली कराने में पांच से सात सप्ताह का समय लगता था।

# पुलवामा हमले के षड्यंत्रकारी के सहयोगी ने रची हमलों की

पुलवामा आतंकी हमले के षड्यंत्रकारी मुदस्सिर अहमद खान का करीबी सहयोगी जैश ए मोहम्मद का सज्जाद अहमद खान दिल्ली-एनसीआर सहित देश के विभिन्न भागों में आतंकी हमलों की साजिश बनाने में शामिल था। दिल्ली की एक अदालत के सामने सोमवार को एनआइए ने षड्यंत्र के मामले में अपने आरोपपत्र में यह दावा किया।

सज्जाद पर पुलवामा हमलों की साजिश में भी शामिल होने का संदेह है। आइपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 121 एक (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रयास) और कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) और विस्फोट पदार्थ कानून की धाराओं के तहत जेईएम के चार आतंकियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

एजंसी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा है कि मुदस्सिर इस साजिश का षड्यंत्रकारी था लेकिन मार्च 2019 में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में उसके मारे जाने के बाद उसके खिलाफ आरोप हटा लिए गए थे। यह मामला दिल्ली-एनसीआर सहित भारत के विभिन्न भागों में आतंकी हमले करने के लिए जेईएम के वरिष्ठ कमांडरों द्वारा तैयार आपराधिक साजिश से जुड़ा है।

# व्यापमं मामले में दो अभ्यर्थियों साजिश: एनआइए

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

#### भोपाल में व्यापमं मामले के विशेष न्यायाधीश ने राकेश पटेल और तरुण उसारे को सात–सात साल सश्रम कारावास और 1,000-3,000 रुपए तक जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों ने 2013 में पुलिस एएसआइ और सूबेदार पद पर भर्ती के लिए आवेदन दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआइ ने घोटाले की जांच की जिम्मेदारी संभाली। इससे पहले मध्यप्रदेश पुलिस इसकी जांच कर रही थी।

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

प्रदेश में भर्ती से जुड़े व्यापमं घोटाले में

संलिप्तता के मामले में दो अभ्यर्थियों को

दोषी करार देते हुए सोमवार को उन्हें सात

सीबीआइ ने एक बयान में कहा कि

साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

इस संदर्भ में पहले व्यापमं द्वारा नौ जन्, 2013 को आयोजित परीक्षाओं की

तीन

मजदुरो

की मौत

रायगढ़, 16

के रायगढ़

सोमवार को

फैक्टरी में

कार्यरत तीन

मजदूरों की

करंट लगने से

मौत हो गई।

पुलिस

सोमवार यहां

मुख्यालय से

लगभग 40

बताया कि

अधिकारियों ने

एक फ्लाई ऐश

जिले में

सितंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़

ओएमआर शीट की चोरी और उसके साथ छेड़छाड़ के आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों सीबीआइ की विशेष अदालत ने मध्य को लेकर मामला दर्ज किया गया था।

आरोप है कि व्यापमं के कंप्यूटर प्रभाग में 15 जून, 2013 को जब स्कैन करने के लिए ओएमआर शीट वाले लिफाफे खोले गए तो उनमें से दो ओएमआर शीट गायब थी।

इसकी सूचना परीक्षा नियंत्रक को दी गई। उसके बाद चलाए गए तलाशी अभियान में सुरक्षा गार्ड के पास रखे बैग से दो ओएमआर शीट की फोटोकॉपी मिली। गार्ड ने बताया कि वह बैग व्यापमं के किसी कर्मचारी का है। जांच में यह बात सामने आई कि ओएमआर शीट व्यापमं के दो किनष्ठ कर्मचारियों ने सुरक्षा गार्ड की मदद से चुराई थी। आरोपियों की निशानदेही पर कचरे के ढेर से ओएमआर शीट मिली।

ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली 4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 अवनीत सिंह नरुला एवं अन्य

अवनीत सिंह नरुला, पुत्र नरिन्दर सिंह नरुला निवासीः ए-17, दूसरा तल, शंकर गार्डन, विकासपुरी, दिल्ली-110018 साथ हीः एबी एसोसिएट्स पी.लि., शॉप नं. एच-1/140, विकासपुरी, दिल्ली-110018 . रीता नरुला, पत्नी नरिन्दर सिंह नरुला, निवासीः ए-17, दूसरा तल, शंकर गार्डन, विकासपुरी, दिल्ली-110018 साथ हीः एबी एसोसिएट्स पी.लि., शॉप नं. एच-1/140, विकासपुरी, दिल्ली-110018 नरिन्दर सिंह नरुला, पुत्र स्व. एस भुपेन्दर सिंह नरुला, निवासीः ए-17, दूसरा तल, शंकर गार्डन, विकासपुरी,

दिल्ली-110018 साथ हीः एबी एसोसिएट्स पी.लि., शॉप नं. एच-1/140, विकासपुरी, दिल्ली-110018 जैसा कि, ऊपर नामित आवेदक ने रु. 11,43,802/- (रुपये ग्यारह लाख तैंतालिस हजार आठ सौ दो मात्र) की वसूली के लिये आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है, तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि वे

लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 31.10.2019 को 10.30 पूर्वा. में विद्वान रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जाएगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 31 अगस्त, 2019 को दी गई।

रजिस्ट्रार के लिये

0

बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा, "स्टार हाऊस'' तृतीय तल, एच—2, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली—110001, फोन नं. 011-23755605, 23755606 अनुशेष पत्र

सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत दिनांक 25.09.2019 को ई नीलामी के संबंध में दिनांक 14.08.2019 मे फाईनैन्शियल एक्सप्रैस (दिल्ली / एनसीआर – अंग्रेजी संस्करण), फाईनैन्शियल एक्सप्रैस (चंडीगढ़ – अंग्रेजी संस्करण) तथा जनसत्ता (दिल्ली / एनसीआर – हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित सेल नोटिस दिनांकित 14.08 2019 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि,

रिहायशी सम्पत्ति नं. ए–131, बेसमेंट विशाल एनक्लेव, नई दिल्ली–110027, (क्षेत्रफल 2850.50 वर्ग फीट) राकेश मग्गो और श्री चंदर मोहन मग्गो के नाम में, जो दिनांक 14-08-2019 को नोटिस के क्रमांक 5 पर प्रकाशित किया गया था जो **फाईनैन्शियल** एक्सप्रेस, दिल्ली / एनसीआर–अंग्रेजी संस्करण, **फाईनैन्शियल** एक्सप्रेस चंडीगढ-अंग्रेजी संस्करण, जनसत्ता दिल्ली / एनसीआर-हिंदी संस्करण में प्रकाशित हुआ था का दिनांक 25.09.2019 को ई-नीलामी के तहत बिक्री हेतु जिसका आरक्षित मुल्य रुपये 126.99 लाख, सांकेतिक कब्जा दिनांक 11.08.2016 के आधार पर, बैंक के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 09.09.2019 को भौतिक कब्जा ले लिया गया है। पूर्व में सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा था और अब भौतिक कब्जा है। अतः उक्त अचल संपत्ति की ई-नीलामी सांकेतिक कब्जा दिनांकित 11.08.2016 के स्थान पर भौतिक कब्जा दिनांक 09.09.2019 के आधार पर की जाएगी।

दिनांक : 16-09-2019

प्राधिकृत अधिकारी, श्री नीरज रस्तोगी स्थान : नई दिल्ली

उपरोक्त सभी समाचार पत्रों में ई-नीलामी के अन्य सभी नियम और शर्ते समान हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India 1911 से आपके लिए "केन्तित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911 शाखा कार्यालयः ५७, ५८, ५९, कृष्णा मार्केट, कालकाजी, नई दिल्ली-११००१९

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत) जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत **सें ट्रल बैं क ऑफ इंडिया, कालकाजी, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक 02 / 04 / 2019 जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः श्रीमती सिमरन बधान एवं श्री हर्मेश बधान,** को सूचना मे उल्लिखित राशि **रु.23,01,845/— (तेइस लाख एक हजार आठ सौ पैंतालिस रूपये मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अर्जित ब्याज के साथ–साथ आगे ब्याज एवं लागत के साथ आपको दी गई विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं के सम्बन्ध में, आप भविष्य के ब्याज और आकश्मिक शुल्क के साथ उक्त सूचना में उल्लिखित राशि को चुकाने में विफल रहे हैं। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, **कर्जदार,** गारंटर तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 11 09.2019** को ले लिया है। **कर्जदार एवं गारंटर** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन—देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन रु.23,01,845 / – (तेइस लाख एक हजार आठ सौ पैंतालिस रूपये मात्र) आगे ब्याज, व्यय एवं अन्य शुल्कों के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कालकाजी, नई दिल्ली शाखा के प्रभार के

भुगतान के अधीन होगा। ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप—अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण गांव पालम कॉलोनी जिसे राज नगर पार्ट—2 के रूप में जाना जाता है, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली के एरिया में श्रीमती उमा बाधन के नाम पर भूखण्ड सम्पत्ति सं. आरजेडजी–855 पर निर्मित बिना छत अधिकार अपर ग्राउंड फ्लोर, भूमि परिमाप 150 वर्ग यार्ड लगभग, खसरा नं. 50 / 1 / 1 का भाग के सभी भाग एवं हिस्से **जो घिरी है**:

उत्तरः सर्विस लेन पूर्वः प्लॉट नं. आरजेडजी—854

दक्षिणः रोड 18 फीट चौडी

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 11.09.2019

पश्चिमः प्लॉट नं. आरजेडजी-856 प्राधिकृत अधिकारी सेंद्रल बैंक ऑफ इंडिया

ई—नीलामी

बिक्री

सूचना

# ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

समाधान वसूली और विधि कार्यालय, गुरूग्राम (हरियाणा) शाखा : प्लॉट नं. 5, इन्सटीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुड़गाँव-122001, ई-मेल: rrl\_7626@obc.co.in परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) चल / अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 22.10.2019 को बेचा जाएगा। ई-नीलामी सेवा प्रदाता www.bankeauctionwizard.com के माध्यम से की जाएगी। बकाय राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार, धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 21-10-2019 को सांय 5.00 बजे तक है। चल / अचल समानियों का विवरण

| 豖.           | शाखा का नाम                                  | ग नाम सम्पत्ति का विवरण एवं   |   | ई–नीलामी की  | मांग सूचना की तिथि   | ई एम डी प्रेषण   |  |
|--------------|--|---|---|--|--|--|--|
| त्र).<br>सं. | कर्जदार का नाम                               |   | घरोहर राशि<br>बोली में वृद्धि हेतु राशि | _0_ /  | बकाया राशि<br>(जमानती कर्ज)  | खाते का विवरण  |  |
| 1            | न्यू रेलवे रोड                               | सेमी — स्वचालित ग्रेंडर और Sieving मशीन (स्टोन डस्ट प्रोसेसिंग यूनिट) (क्षमता 30 टन प्रति चक्र)     सेमी — स्वचालित ग्रेंडर और Sieving मशीन | ₹ 21.22 लाख                             | पूर्वीड 11.00 बजे रु. 1,35,68,682.7  | 21-05-2019   |  |  |
|              | गुडगाँव<br>मैसर्स ओम                         |   | ₹ 2.12 लाख                              |  | ড. 1,35,68,682.74  |  |  |
|              | मसस आम<br>इंफ्रास्टोन्स प्रा. लि.            |   | ₹ 0.20 लाख                              | तक (5 मिनट की<br>अवधि के असीमित<br>विस्तार के साध)   | दिनांक 31.08.2019 तक<br>और दिनांक 01.09.2019<br>से भविष्य का ब्याज<br>अन्य प्रभार                  |  |  |
| 2            | न्यू रेलवे रोड                               | कार्यालय स्पेस 412 ए, चौथा तल, क्षेत्रफल 1216.03 वर्ग   | ₹ 82.00 लाख                             | 22-10-2019   | 02-02-2019   | Account No.<br>0071181000108   |  |
| Ì            | गुडगाँव                                      | फीट (सुपर क्षेत्रफल) बिना छत के अधिकार के, आईएलडी -<br>ट्रेड सेन्टर, सोहना रोड, गुरूग्राम में स्थित   | ₹ 8.20 लाख                              | पूर्वोड 11.00 बजे<br>से अर्पोड 01.00 बजे<br>तक (5 मिनट की<br>अवधि के असीमित<br>विस्तार के साथ) | रु. 25,83,852.00<br>दिनांक 31.07.2019 तक<br>और दिनांक 01.08.2019 से<br>भविष्य का व्याज अन्य प्रभार | Name of the account:<br>Thapaliyal Sudha Devi<br>IFSC Code:<br>ORBC0100071 |  |
|              | थपलियाल<br>सुधा देवी और<br>श्री अश्वनी कुमार |   | ₹ 0.50 लाख                              |  |  |  |  |

ई—नीलामी "जो है जहाँ है" , "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" आयोजित की जा रही है।

प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं सूचना के अनुसार सम्पत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छ्क बोलीदाता नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी भी भार, टाइटल और सम्पत्ति पर किसी भी दावे / अधिकार / बकाए के संबंध में बिंड जमा करने से पहले स्वयं जांच कर सकते हैं। सम्पत्ति बैंक को ज्ञात और अज्ञात सभी वर्तमान और भविष्य के ऋण-भार सहित बेची जा रही है। तृतीय पक्ष यदि सम्पत्ति पर किसी बकाए / अधिकार के संबंध में कोई दावा करता है, तो इसके लिए किसी भी तरह से प्राधिकृत अधिकारी / जमानती ऋणदाता जिम्मेदार नहीं होगा। 3. ई—नीलामी के अंतिम 5 मिनट में कोई बोली प्राप्त होने की स्थिति में अंतिम समय स्वतः 5 मिनट बढ़ जाएगा (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार की शर्त पर)।

इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने धरोहर राशि जमा कर दी है वे लॉगईन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोडिंग करने, बोली जमा करने, ई-बिडिंग प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में अपेक्षित सहायता के लिए अन्तरेस सिस्ट्म लि., व्यक्ति का नाम जिसे सम्पर्क किया जा सके श्री पुष्प राज, मो. 7503347659, ईमेल : pupshraj@antaressystems.com से सम्पर्क कर सकते है और सम्पत्ति से संबंधित पूछताछ के लिए श्री भूपिन्दर सिंह रॉव, प्राधिकृत अधिकारी: श्री डी.के. गुप्ता, वरिष्ठ प्रबंधक, मो. 9899206882 से कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है।

(विस्तृत नियम एवं शर्तो हेतु कृपया हमारी वेबसाईट : www.obcindia.co.in और www.bankeauctionwizard.com देखें) स्थान : गुरूग्राम प्राधिकत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स unitech **UNITECH LIMITED** 

CIN: L74899DL1971PLC009720

Regd. Office: 6, Community Centre, Saket, New Delhi 110017 | Tele Fax: 011-26857338 E-mail: share.dept@unitechgroup.com | Web: www.unitechgroup.com

(₹ in Lacs except EPS) Quarter Ended | Quarter Ended | Year Ended 31.03.2019 30.06.2019 30.06.2018 (Un-audited) (Un-audited) (Audited) 22170.42 137,104.05 31,717.41 Total income from operations (Net) Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax (11,150.98)(9875.72)(79,284.87)Net Profit/(Loss) for the period after Tax (After Extraordinary items) (11,150.98)(9875.72)(79,284.87)(11,334.33)(9228.09)(83,874.28) 4 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 52326.02 52326.02 52326.02 5 Equity Share Capital 6 Earnings Per Share for continuing operations (before/ after extraordinary items) # (of Rs. 2/- each) (0.39)\*Basic and Diluted (Rs.) \*(Not Annualized) (0.45)\*Earnings Per Share for discontinued operations (before/ after extraordinary items) # (of Rs. 2/- each) 0.01\* Basic and Diluted (Rs.) \*(Not Annualized) 8 Earnings Per Share for continuing & discontinued operations (before/ after extraordinary items) # (of Rs. 2/- each) Basic and Diluted (Rs.) \*(Not Annualized)  $(0.44)^*$ (0.38)\*(3.02)

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2019

Notes:

# Extra Ordinary Items - NIL

The above Financial Results (prepared on consolidated basis) have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of Unitech Limited at their espective adjourned meetings held on 14" September, 2019 (Originally Scheduled on 14" August, 2019

The auditors of the Company have informed the Company that the renewing of their "Peer Review Certificate" is under process.

The report of statutory auditors on the consolidated financial statements of Unitech Limited for the financial period ended June 30, 2019, contains qualifications which are

The holding Company has received a 'cancellation of lease deed' notice from Greater Noida Industrial Development Authority ("GNIDA") dated 18 November, 2015. As per the Notice, GNIDA has cancelled the lease deed in respect of Residential/Group Housing plots on account of non-implementation of the project and non-payment of various dues amounting to Rs. 105, 483.26 lacs. As per the notice, and as per the relevant clause of the bye-laws/contractual arrangement with the holding Company, 25% of the total dues amounting to Rs.13,893.42 lacs has been forfeited out of the total amount paid till date. The holding Company has incurred total expenditure of Rs.213,950.89 lacs [comprising of (i) the amounts paid under the contract/bye-laws of Rs.34,221.90 lacs, (ii) the balance portions of the total amounts payable, including contractua interest accrued till 31" March, 2016, of Rs.99,091.90 lacs; and (iii) other construction costs amounting to Rs. 80,637.09 lacs]. The holding Company is also carrying a corresponding liability of Rs. 99.091.90 lacs representing the total amounts payable to GNIDA including interest accrued and due of Rs. 66,692.05 lacs. The said land is also mortgaged and the holding Company has registered such mortgage to a third party on behalf of lender for the Non-Convertible Debenture (NCD) facility extended to the holding Company and, due to default in repayment of these NCDs, the debenture holders have served a notice to the holding Company under section 13(4) of the SARFAES Act and have also taken notional possession of this land. Further, the holding Company has contractually entered into agreements to sell with 397 buyers and has also received advances from such buyers amounting to Rs.9,158.39 lacs (net of repayment). No contract revenue has been recognized on this project. Management has written a letter to GNIDA dated 1" December, 2015, wherein it has stated that the cancellation of the lease deed is wrong, unjust and arbitrary. Further, management has also described steps taken for implementation of the project, valid business reasons due to delays till date. Further, Management had also proposed that in view of the fact that third party interests have been created by the holding Company in the allotted land, by allotting plots to different allottees, in the interest of such allottees, GNIDA may allow the holding Company to retain an area of approximately 25 acres out of the total allotted land of approximately 100 acres and that the amount paid by the holding Company till date may be adjusted against the price of the land of 25 acres and remaining surplus amount may be adjusted towards dues of other projects of the Company under GNIDA. As informed and represented to us, the discussions/ negotiations and the legal recourse process is currently underway and no solution/direction is ascertainable until the date of this report. In view of the materiality of the transaction/circumstances and uncertainties that exist, we are unable to ascertain the overall impact of the eventual outcome of the aforementioned notice/circumstance. Consequently, we are unable to ascertain the impact if any, inter alia, on carrying value of the project under 'projects in progress' and on the consolidated financial results of the Company

As per management, the holding Company, GNIDA and the buyers have reached a consensus that the cancellation of lease deed will be revoked; however the same i

GNIDA has, in the meanwhile, in terms of the Order of the Hon'ble Supreme Court dated 18.09.2018, deposited on behalf of the Company, an amount of Rs.7,436.35 lacs (including interest accrued of the customers), out of the monies paid by the Company, with the registry of the Hon'ble Supreme Court. No details or information have been received from GNIDA with regard to the utilization or adjustment or treatment of the said sum vis-à-vis dues of the Company. Pending adjustment of the same, this amount is

The impact on the accounts viz. inventory, projects in progress, customer advances, amount payable to or receivable from GNIDA, cannot be ascertained, due to nonavailability of details/information from GNIDA with regard to the utilization or adjustment or treatment of the said sum of Rs.7,436.35 lacs, mentioned hereinabove, vis-à-vis dues of the Company, and hence we are unable to express a conclusion on this matter.

We had given a disclaimer of opinion on the consolidated financial statements for the year ended 31" March, 2019 in respect of this matte The management, in response of the above qualification, states the following:-

The Management is reasonably sure that its stand shall be vindicated in the court of law and there shall be no adverse impact as such. Confirmations/reconciliations are pending in respect of amounts deposited by the Company with the Hon'ble Supreme Court. As per books of account an amount of Rs 33,615.60 lacs deposited with the Hon'ble Supreme Court Registry ("Registry") is outstanding as at 30"June, 2019. Certain transactions have been made from the Registry viz. payments towards refunds given to some of the Company's customers, amounts paid to the Company for meeting construction expenses, and amounts paid to the amicus curiae towards reimbursement of expenses, and the aforesaid sum of Rs. 33,615.60 lacs is net of these transactions. Due to non-availability of any statement of account from the Registry, these transactions have been recorded by the Company in its books of account on the basis of limited information available. The management has stated that it is confident that, upon confirmation/reconciliation, there will not be any material impact on the loss or state of affairs of the Company as 30" June, 2019. However, in the absence of detailed statement of transactions and confirmation of balance from the Registry, we are unable to comment on the completeness and correctness of amounts outstanding with the Registry and of the ultimate impact on the consolidated financial results of the Company, and hence we are unable to express a

We had given a disclaimer of opinion on the consolidated financial statements for the year ended 31" March, 2019 in respect of this matter The management, in response of the above qualification, states the following:-

It's a matter of reconciliation with the Registry of the Hon'ble Supreme Court. The company is trying to have better information and there shall be no adjustment required in

An amount of Rs. 107,246.12 lacs is outstanding as at 30" June, 2019 (Previous year ended 31" March, 2019 - Rs. 107,631.33 lacs) which is comprised of trade ing to sale of land, properties, finished goods, commercial plots/properties of various kinds. Some of these balances amounting to Rs. 18,694.47 lacs as at 30"June, 2019 (Previous year ended 31" March, 2019 – Rs. 18,600.64 lacs) are outstanding for significantly long periods of time. The management has explained that such long overdue outstandings have arisen in the normal course of business from transactions with customers who have contravened the contractual terms. Th management has undertaken a detailed exercise to evaluate the reasons of such long outstandings as well as possibility of recoveries. The management, based on interna assessments and evaluations, possible recoveries from securities (registered or unregistered) have represented that significant portion of such trade receivables outstandings are still recoverable/adjustable and that no accrual for diminution in value of trade receivables is therefore necessary as at 30" June, 2019. However, we are unable to ascertain whether all of the long overdue outstanding trade receivables are fully recoverable/adjustable, since the outstanding balances as at 30"June, 2019 are outstanding/remained unadjusted for a long period of time. Based on our assessment and review procedures performed, in our opinion, trade receivables amounting to Rs 18,694.47 lacs are doubtful of recovery and consequently, management ought to provide/accrue for the diminution for these balances. Moreover, the recovery of such trade receivables are dependent on the sale of land held by these debtors and their realize-ability, which, looking at the size of the land held by these debtors, their sale-ability, and uncertainty as to whether such land can be realized af their respective circle rates or more, it is indeterminate as to what extent of further losses can be expected, and hence

Management, based on internal assessments and evaluations, possible recoveries from securities (registered or unregistered) have represented that significant portion o such trade receivables balance outstanding are still recoverable/ adjustable and that no accrual for diminution in value of trade receivables is therefore necessary as at 30° June, 2019. They are confident of appropriately adjusting / recovering significant portions of the remaining outstanding balance of such amounts in the foreseeable future.

The holding Company has failed to repay deposits accepted by it including interest thereon in respect of the following deposits: Principal paid during the Unpaid matured deposits Unpaid matured deposits (Principal amount) as at current quarter (Rs. lacs) (Principal amount) as at 31" March, 2019 (Rs. lacs) 30" June, 2019 (Rs. lacs) 53.006.07

The total unpaid interest as on 30" June, 2019 (including interest not provided in the books) amounts to Rs. 37,798.39 lacs Further, the holding Company has not provided for interest payable on public deposits which works out to Rs. 1,768.68 lacs for the current period ended 30" June, 2019 (Cumulative upto 30° June, 2019 – Rs.15,997.54 lacs)

Pursuant to Section 74(2) of the Companies Act, 2013, the holding Company had made an application to the Hon'ble Company Law Board (CLB) (subsequently replaced by the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi) seeking extension of time for repayment of the outstanding public deposits (including interest thereon) as is considered reasonable. The holding Company had also identified and earmarked 6 (six) unencumbered land parcels for sale and utilization of the sale proceeds thereof for epayment of the aforesaid outstanding deposits. However, during the financial year 2016-17, the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi (NCLT) vide its order tated 03.11.2016 extended the date of repayment of deposits upto 31.12.2016. Subsequently, the said appeal was also disposed off by the Hon'ble NCLAT vide its orde dated 31.01.2017 without granting any further extension of time. As explained and represented by management, the Company is making best possible efforts for sale of the land parcels earmarked for repayment of the deposits but such sale process is taking time due to global economic recession and liquidity crisis, particularly, in the real estate sector of India. However, regardless of these adverse circumstances and difficulties, the management has represented that they are committed to repay all the publi eposits along with interest thereon. Considering that the management has not been able to comply with the directions given by the Hon'ble CLB, NCLT and NCLAT to repay the deposits within prescribed time-period, the Registrar of Companies, New Delhi has filed prosecution against the holding Company and its executive directors and ke managerial personnel before the Ld. Special Court, Dwarka District Court, New Delhi, However, the Hon'ble High Court of Delhi stayed the said prosecution, and has subsequently vide its order dated 22.01.2019, allowed the petitions filed by the holding Company and its executive directors & key managerial personnel by setting aside & vacating the impugned Dwarka District court order dated 20.9.2016 with regard to summoning of the executive directors & key managerial personnel. Few depositors filed an intervention application before the Hon'ble Supreme Court in the pending bail matter of the Managing Directors of the holding Company. Considering their application, the Hon'ble Supreme Court vide its order dated 30.10.2017 directed an amicus curiae to create a portal where the depositors can provide their requisite information and accordingly, in compliance with this direction, a portal had been created for the depositors of the Company. Accordingly, the matter relating to delay in repayment to the rt sale of land and other properties of Unitech/it's group, has made allocations of amount to be refunded to the public-deposit holders

Besides, the impact of non-provision of interest payable on public deposits of Rs.1,768.68 lacs for the quarter ended 30" June on the profit and loss, we are unable to evaluate the ultimate likelihood of penalties/ strictures or further liabilities, if any on the Company. Accordingly, impact, if any, of the indeterminate liabilities on these onsolidated financial results is currently not ascertainable, and hence we are unable to express a conclusion on this matter

We had given a disclaimer of opinion on the consolidated financial statements for the year ended 31" March, 2019 in respect of this matte The management, in response of the above qualification, states the following:

The Term Deposits are due to be paid but due to liquidity situation could not be paid. The Company is trying its best to align resource/earmark dedicated properties so that the

term deposit holders can be paid. The matter is also seized of the Hon'ble Supreme Court & Hon'ble Delhi High Court and the management expects no other cost other than Advances amounting to Rs. 53,746.17 lacs (net of provision for doubtful advances) (previous year ended 31" March, 2019 - Rs. 57,544.17 lacs (net of provision for doubtful advances)

management, have been given in the normal course of business to land owning companies, collaborators, projects and for purchase of land. As per information mad accrual for diminution of advances is necessary as at 30" June, 2019. The management has further represented that, as significant amounts have been recovered/adjuste during the previous financial years and since constructive and sincere efforts are being put in for recovery of the balance advances, it is confident of appropriately adjusting/recovering significant portions of the remaining outstanding balance of such amounts in the foreseeable future. However, we are unable to ascertain whether a the remaining outstanding advances, mentioned above, are fully recoverable/adjustable, since the said outstanding balances are outstanding/remained unadjusted for a long period of time, and further, in our opinion, neither the amounts recovered nor rate of recovery of such long outstanding amounts in the previous years & current period, give an indication that all of the remaining outstanding amounts may be fully recoverable; consequently, we are unable to ascertain whether all of the remaining balances as at 30" June, 2019 are fully recoverable. Accordingly, we are unable to ascertain or comment upon the impact, if any, on the loss or on the reserves or on value of asset, that may arise in case any of these remaining advances are subsequently determined to be doubtful of recovery, and hence we are unable to express a conclusion on this matte We had given a disclaimer of opinion on the consolidated financial statements for the year ended 31" March, 2019 in respect of this matter

Advances for the purchase of land, projects pending commencement and to joint ventures and collaborators have been given in the normal course of business to land owning companies, collaborators, projects and for purchase of land. The management of the company based on the internal assessment and evaluations considers that these advances, which are in the normal course of business are recoverable/adjustable and that no provision other than those already accounted for is necessary at this stage. The management is confident of recovering/ appropriately adjusting the balance in due course.

here have been delays in the payment of dues of non-convertible debentures, term loans & working capital loans (including principal, interest and/or other charges as the case may be) to the lenders of the holding Company and the total of such outstandings amount to Rs. 185,876.70 lacs. The lenders have initiated action under the SARFAESI Act to take over the respective properties provided as security to the lenders. The Company has challenged the action of the lenders before the various forums of Debt Recovery Tribunals(DRT). We are unable to determine the impact of the likely outcome of the said proceedings before the DRT on the properties given as security to the lenders, and the corresponding loans and also unable to evaluate the ultimate likelihood of penalties/ strictures or further liabilities; and hence we are unable to express a

We had given a disclaimer of opinion on the consolidated financial statements for the year ended 31" March, 2019 in respect of this matter. The management, in response of the above qualification, states the following:

The amount as stated has already been provided in the books of accounts and payment/recovery of dues by the lenders shall not affect the statement of Profit & Loss Claims against company not acknowledged as debt comprising of liquidated damages and other claims by clients/customers and compensation for delayed possession to customers have been estimated by the holding company to be Rs.90,793.85 lacs which is considered as contingent liabilities. Due to non-availability of substantive

evidence in support of such claims, we are unable to comment on the correctness or completeness of the amount estimated by the holding company, and hence we are We had given a disclaimer of opinion on the consolidated financial statements for the year ended 31° March, 2019 in respect of this matter. The management, in response of the above qualification, states the following:-The amount has already been included in the contingent liability and final outcome, if any, can only be ascertained only on the completion of the project

IL&FS Financial Services Limited (ILFS) had entered into binding understanding in March 2018 for acquisition of various plotted units of land at the group's Uniworld resort at Mohali, Punjab in settlement of outstanding dues of ILFS. The outstanding dues of ILFS of Rs.24,951.22 lacs comprised of principal loan of Rs.24,696,88 facs and interest accrued of Rs. 254.34 lacs as at 31° March, 2018. In terms of the aforementioned binding understanding, the Company had, in the financial year ended 31° March, 2018, adjusted a sum of Rs.23,307.86 lacs against the outstanding dues by settlement against various plotted units and recognizing sales of Rs.23,307.86 lacs, and consequently the liability of ILFS was reduced to Rs.1,643.36 lacs as at 31 "March, 2018.

However, in the financial year ended 31st March, 2019, the Company, upon obtaining balance confirmation statement from ILFS, which had been provided only as at 31 December, 2018, observed that the statement of ILFS reflected an unascertained adjustment of dues of Rs. 172.78 lacs, and moreover, ILFS had charged additional interest amounting to Rs.3,630.75 lacs for the period from 1" April, 2018 to 31" December, 2018. ILFS has not provided any confirmation as at 31" March, 2019 or thereafter. The Company, in the consolidated financial statements, has not reversed the sales (to the extent not recognized by ILFS), which it had adjusted by way of settlement against plotted units of lands in the financial year ended 31" March, 2018, since, as informed by the management, it is pursuing ILFS for specific performance of the aforementioned

binding understanding. The Company had also not provided for the interest of Rs.3,630.75 lacs charged by ILFS for the period from 1" April, 2018 to 31" December, 2018 (had the loan been re-instated in the books of account of the Company). Further, the Company had also not provided for the uncharged interest for the period 1" January 2019 to 31" March, 2019 of Rs.1,087.70 lacs; nor has the Company provided for the uncharged interest for the quarter ended 30" June, 2019 of Rs.855.99 lacs.

Due to non-availability of statement of account from ILFS upto 30° June, 2019, and due to the fact that ILFS has not recorded the aforesaid settlement in it books of account we are unable to comment on the correctness of outstandings claimed by ILFS and of the inventory of adjusted plotted units, and hence we are unable to express a

We had given a disclaimer of opinion on the consolidated financial statements for the year ended 31" March, 2019 in respect of this matter.

The management, in response of the above qualification, states the following:-

The Company has entered into binding undertaking and thus the loan was adjusted in the FY 17-18. The Company shall ask IL&FS for specific performance and thus reversal of sale or booking of interest is not required. The above is an extract of the detailed format of Consolidated Financial Results for quarter ended June 30, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Annual Standalone and Consolidated Financial Results are available on

| V         | Key Standalone financials are as follows:  |   |            |                                       |
|-----------|--|---|------------|---------------------------------------|
|           |  |   |            | (Rs. in Lakhs)                        |
| SI<br>No. | Particulars  | Quarter Ended<br>30.06.2019<br>(Un-audited) |            | Year Ended<br>31.03.2019<br>(Audited) |
| 1         | Income from Operations (Turnover)  | 11,776.29                                   | 7,794.75   | 53,456.38                             |
| 2         | Profit/(Loss) Before Tax   | (7,907.76)                                  | (7,295.11) | (71,839.74)                           |
| 3         | Profit/(Loss) After Tax  | (7,892.64)                                  | (7,295.11) | (66,731.59)                           |
| - 300     | Total Comprehensive Income for the period ( Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) | (7,939.60)                                  | (7,308.61) | (71,522.73)                           |

For Unitech Limited Place: Gurugram Ramesh Chandra Dated: September 14, 2019 Chairman

epaper.jansatta.com

किलोमीटर दूर खरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भालूनारा गांव में आरव फ्लाई ऐश ब्रिक्स फैक्टरी में कार्यरत तीन मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा आज दोपहर 12.30 बजे उस समय हुआ, जब तीनों मजदूर फैक्टरी के अंदर एलईडी लाइट के लिए विद्युत आपूर्ति के वास्ते लोहे का पाइप थे।उन्होंने कहा कि इस हादसे में 11 केवी

लाइन की चपेट में आने से एक श्रमिक का सिर धड़ से अलग हो गया और दो अन्य श्रमिकों के शव भी बुरी तरह झुलस गए।

मृतकों की पहचान जोगीराम वर्ष), सुजीत कुमार धुर्वे (28 वर्ष) और राजा रात्रे (२७ वर्ष)

के रूप में हुई।

देनांक 16.09.2019

the Stock Exchange websites (www.bseindia.com/www.nseindia.com) and Company's website www.unitechgroup.com.

नई दिल्ली

#### खबर कोना



मैड्रिड में साइविलंग प्रतियोगिता में जीत के बाद कोलंबिया के मिगेल मोरेनो बच्चे के साथ पोडियम पर कुछ इस तरह नजर आए।

#### विशेषज्ञों ने कहा, कुलदीप और चहल की अनदेखी जल्दबाजी

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को भले ही मौजूदा सत्र में टी20 क्रिकेट में राष्ट्रीय टीम के साथ मौका नहीं मिला हो लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगले साल होने वाले विश्व कप से पूर्व खेल के सबसे छोटे प्रारूप में इन्हें चुका हुआ मानना जल्दबाजी होगी। पिछले 24 महीनों में प्रभावी प्रदर्शन से सीमित ओवरों की टीम में जगह पक्की करने वाले कुलदीप और चहल को लगातार दो टी20 शृंखला के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं दी गईं जिसमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा घरेलू शृंखला भी शामिल है। धर्मशाला में पहले टी20 से पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा था कि वे राहुल चाहर और वाशिगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों का आजमा रहे हैं क्योंकि वे बल्लेबाजी में अधिक गहराई और लगातार 200 से अधिक का स्कोर बनाना चाहते हैं।

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपडा ने कुलदीप और चहल को बाहर रखने के फैसले के संदर्भ में कहा, 'इसके पीछे विचार यह है कि अगर बल्लेबाजी में गहराई है तो आप निश्चित तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की गहराई के साथ आप पारंपरिक तरीके से नहीं खेल सकते। इंग्लैंड ने ऐसा ही किया। उन्होंने बल्लेबाजी में गहराई पर ध्यान केंद्रित

#### म्यांमा में खिताब जीतने से आत्मविश्वास बढ़ा : कौशल

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

लगभग दो साल से घुटने की चोट से परेशान रहने वाले भारतीय बैंडमिंटन खिलाड़ी कौशल धरमामेर का करिअर परवान नहीं चढ़ रहा था लेकिन उन्होंने रविवार को पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए इंडोनेशिया के केरोनो केरोनो को हराकर म्यांमा इंटरनेशनल सीरीज का पुरुष एकल खिताब जीत लिया। पिछले साल अक्तूबर में हेटजर इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाले मुंबई के 23 साल के कौशल ने पहला गेम गंवाने के बाद यहां केरोनो को हराया।

#### पूरे छह मिनट तक विनेश को एकाग्रता बरकरार रखने की जरूरत : कोच एकोस नुर

सुल्तान (कजाखस्तान), १६ सितंबर (भाषा)।

विनेश फोगाट के निजी कोच वोलेर एकोस ने कहा है कि इस पहलवान को वैश्विक स्तर पर 53 किग्रा वर्ग में अपना दबदबा बनाने के लिए 'शुन्य से छह मिनट' तक अपनी एकाग्रता बरकरार रखने की जरूरत है। हरियाणा की यह स्टार पहलवान 50 किग्रा से 53 किग्रा में आने के बाद 2019 सत्र में प्रभावी प्रदर्शन के बाद चौथी बार विश्व चैंपियनशिप में शिरकत करेंगी। विश्व चैंपियनशिप में 2013. 2015 और 2017 में विनेश पदक जीतने में नाकाम रही थी लेकिन नए वजन वर्ग में वह मजबूत दावेदार हैं। विनेश ने राष्ट्रमंडल खेलों से लेकर एशियाई खेलों में पदक जीते हैं और वह मंगलवार से विश्व चैंपियनशिप में पदक के लिए चुनौती पेश करेंगी। विनेश ने 2018 एशियाई खेलों से पूर्व पहली बार बुडापेस्ट में एकोस से ट्रेनिंग की थी और इस साल फरवरी से हंगरी का यह कोच उनका निजी कोच है। एकोस ने कहा, 'उसे शून्य से छह मिनट तक अपनी एकाग्रता बरकरार रखनी होगी। यह बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल इसमें लहर की तरह उतार–चढ़ाव है।' यह पूछने पर कि इस तरह की एकाग्रता कैसे हासिल की जा सकती है, एकोस ने कहा, 'इसके दो हिस्से हैं। पहला शारीरिक जो आसान है। आप एरोबिक्स कर सकते हो और मैच के समय (छह मिनट) के अनुसार ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर वह ट्रेनिंग के दौरान शून्य से छह मिनट तक लय बरकरार रखती हैं तो मैट पर भी ऐसा कर सकती है।'


# कड़ मुकाबले के बाद हारे गुरप्रीत

### विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में नेमेस ने हराया

नूर सुल्तान, 16 सितंबर (भाषा)।

भारत के गुरप्रीत सिंह को कड़ी चुनौती पेश करने के बावजूद सोमवार को यहां विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के करीबी मुकाबले में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी विक्टर नेमेस से हार का सामना करना पड़ा जबिक नवीन भाग्य के सहारे पदक की दौड़ में बने हुए हैं। नवीन को ग्रीको रोमन शैली में 130 किग्रा वर्ग के क्वालीफिकेशन दौर में 2018 पैन अमेरिकी चैंपियन आस्कर पिनो हिंडा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था लेकिन क्यूबा के पहलवान के फाइनल में पहुंचने से भारतीय पहलवान की पदक जीतने की उम्मीदें जीवंत बनी हुई हैं।

नवीन को अब कांस्य पदक दौर में पहुंचने के लिये पहले एस्तोनिया के हीकी नबी और फिर किर्गिस्तान के मुरात रामोनोव को हराना होगा। गुरप्रीत ने 77 किग्रा वर्ग के मुकाबले में 2017 के विश्व चैंपियनशिप विकटर के खिलाफ 1-0 से बढ़त बनाई जब र्सिबयाई पहलवान को अधिक रक्षात्मक रवैया अपनाने के लिए एक अंक की पेनल्टी दी गई। पहले पीरियड के बाद गुरप्रीत 1-0 से आगे थे। दूसरे पीरियड में गुरप्रीत ने अधिक रक्षात्मक रवैया अपनाने के कारण अंक गंवाया। विक्टर ने इस बीच गुरप्रीत को मैट से बाहर करने



का प्रयास किया लेकिन सर्कल के किनारे पर संतुलन गंवा बैठे और भारतीय पहलवान के साथ गिर गए लेकिन इसके बावजूद रैफरी ने सर्बिया के पहलवान को दो अंक दिए।

भारतीय कोच हरगोविंद ने इस फैसले को चुनौती दी लेकिन फैसला उनके खिलाफ गया जिससे गुरप्रीत ने एक और अंक गंवाया। सर्बियाई पहलवान ने इसके बाद अपनी बढ़त बरकरार रखते हुए अगले दौर में जगह बनाई। विक्टर को इसके बाद क्वार्टर फाइनल में कजाखस्तान के अशखत दिलमुखामेदोव के खिलाफ हार झेलनी पड़ी जिससे गुरप्रीत की रेपेचेज के जरिए पदक के लिए चुनौती पेश करने की उम्मीद भी टूट गई।

# मुक्कबाजा चौपयनाशप से बाहर

एकातेरिनबर्ग (रूस), 16 सितंबर (भाषा)।

राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता सतीश कुमार (91 किग्रा से अधिक) और दुर्योधन सिंह नेगी (69 किग्रा) को सोमवार को यहां विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप के शुरू में ही हार का सामना करना पड़ा। नेगी को दूसरे दौर में जोर्डन के जायेद एहसास के खिलाफ धीमी शुरुआत का खामियाजा भूगतना पड़ा जबिक सतीश कुमार को अमेरिका के रिचर्ड टोरेज ने पहले दौर में 0-5 से हराया।

पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन नेगी पहली बार विश्व चैंपियनशिप में खेल रहे थे। उन्हें 1-4 के खंडित फैसले से छठी वरीय मुक्केबाज से शिकस्त झेलनी पड़ी। मुकाबले के पहले दौर में एहसास पूरी तरह सं नेगी पर हावी दिखे और उन्होंने भारतीय मुक्केबाज की डिफेंस को भेदने में ज्यादा परेशानी

नहीं हुई। नेगी दूसरे दौर में वापसी की और विरोधी खिलाड़ी के शरीर पर कुछ अच्छे पंच लगाये लेकिन जोर्डन का यह खिलाड़ी गति और सटीकता के मामले में उनसे एक कदम आगे था। दोनों मुक्केबाज बार-बार एक दूसरे से उलझ जा रहे थे जिससे रेफरी ने कई बार एक दूसरे के शरीर से दूरी बनाने को कहा। एहसास को एक बार चेतावनी भी मिली। तीसरे दौर में नेगी ने आक्रामक रूख अपनाया और वापसी के लिए परा जोर लगाया लेकिन थकावट के बाद भी जोर्डन का खिलाड़ी अंतिम तीन मिनट में नेगी को रोकने में सफल रहा। शाम के सत्र में सतीश किसी भी समय टोरेज

के खिलाफ लय हासिल नहीं कर पाए। यह मुकाबला धीमी गति से चला और दोनों मुक्केबाजों ने एक दूसरे को उलझाए रखा। टोरेज ने हालांकि ने अहम मौकों पर आक्रामक रवैया अपनाया और महत्वपूर्ण अंक बटोरे।

### मैच फिक्सिंग मामले में दो पर प्राथमिकी

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा)।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक सदस्य से इस साल के शुरू में मैच फिक्स करने के लिए कथित तौर पर संपर्क किया गया था जिसके लिए बीसीसीआइ की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई (एसीयू) ने सोमवार को दो व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। यह कथित घटना फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की घरेलू शृंखला से पूर्व घटी थी। इस खिलाड़ी ने बोर्ड एसीय को इसकी सूचना दे दी थी। एसीयू प्रमुख अजित सिंह शेखावत ने इस घटना की पुष्टि की।

शेखावत ने कहा, 'वह भारतीय क्रिकेटर और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर है, इसलिए आइसीसी ने इस मामले में जांच की। आइसीसी ने संपर्क करने वाले व्यक्ति को चेतावनी दी और हमें इस बारे में सूचित किया तथा माना कि क्रिकेटर ने संपर्क करने की सुचना देकर सही काम किया।'

एसीयू ने बंगलुरु पुलिस में दो व्यक्तियों राकेश बाफना और जितेंद्र कोठारी के खिलाफ कथित तौर पर संपर्क करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है।

# विश्व चैंपियन बनने की कवायद में जुटीं विनेश को मिला मुश्किल ड्रा

नूर सुल्तान, 16 सितंबर (भाषा)।

भारत की पदक के प्रबल दावेदार विनेश फोगाट को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कड़ा ड़ा मिला है और उन्हें पहले दौर में ही ओलंपिक कांस्य पदक विजेता सोफिया मैटसन से भिड़ना होगा। विनेश ने विश्व चैंपियनशिप में छह बार की पदक विजेता सीफिया की पिछले महीने पोलैंड ओपन में हराया था लेकिन यहां पहले दौर में स्वीडन की इस दमदार प्रतिद्वंद्वी का सामना करना आसान नहीं होगा।

यूरोपीय चैंपियनशिप में चार स्वर्ण पदक जीतने वाली 29 वर्षीय सोफिया भारतीय उम्मीदों की राह में बड़ा रोड़ा है। वह 55 किग्रा



में विश्व में पांचवें नंबर पर हैं जो कि गैर ओलंपिक भार वर्ग है। विनेश 53 किग्रा में छठे नंबर पर हैं और अगर वह सोफिया को हराने में सफल रहती हैं तो उन्हें 55 किग्रा में विश्व में नंबर दो और मौजूदा विश्व चैंपियन मायु ्रमुकैदा का सामना करना पड़ सकता है।

## गौरव ने रैली ऑफ तुर्की में छोड़ी छाप

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 16 सितंबर।

भारत के टॉप रैली चालक गौरव गिल ने वर्ल्ड रैली चैम्पियनशिप के तहत आयोजित कठिन रैली ऑफ तुर्की में हिस्सा लेते हुए न सिर्फ अपनी छाप छोड़ी है बल्कि दूसरे चालकों की तारीफें भी बटोरने में सफल रहे हैं। यह अलग बात है कि कई पंचरों और तकनीकी खामियों के कारण वह इस रैली में अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए लेकिन इसके बावजूद गौरव ने पहली बार पंजीकृत चालक के तौर पर इस रैली में हिस्सा लेते हुए काफी कुछ हासिल किया।

जेके रेसिंग के इस चालक के लिए अंतिम दिन टॉप-5 फिनिश आसानी से दिख रहा था। गौरव ने दिन के पहले स्टेज में दूसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद गौरव ने अगले स्टेज में तीसरा स्थान हासिल किया। वह काफी तेजी से लीडरबोर्ड पर अपनी उपस्थिति मजबूत करते नजर आ रहे थे। गौरव ने नौ में से पांच स्टेज बिना किसी मुश्किल के पार की और टॉप-3 में रहे लेकिन आठवें राउंड में उनकी किस्मत ने उनका साथ छोड दिया। उनकी कार का ट्रांसमिशन खराब हो गया और उन्हें बीच रास्ते में ही रुकना पड़ा। कार बुरी तरह लॉक हो गई और इस कारण उसे एक कर्दम भी धक्का देना मुश्किल था।

कार्तिक की माफी स्वीकार : बीसीसीआइ ने केंद्रीय अनुबंध का उपबंध तोड़ने के मामले में भारतीय टीम से बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक की बिना शर्त मांगी गई माफी को स्वीकर कर लिया जिससे इस मामले का पटाक्षेप हो गया। कार्तिक ने शाहरूख खान की ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स के ड्रेसिंग रूम से कैरेबियाई प्रीमियर लीग का मैच देखकर बीसीसीआइ के केंद्रीय उपबंध का उल्लंघन किया था।

(This is only an advertisement for information purpose and not a Prospectus announcement. Not for Distribution outside India.)

Misquita Engineering Limited

#### **MISQUITA ENGINEERING LIMITED**

Our Company was originally incorporated as "Misquita Engineering Private Limited" at Panaji, Goa as a Private Limited Company under the provisions of the Companies Act. 1956 vide Certificate of Incorporation dated March 04, 1998 bearing Registration Number 24-02537 issued by Registrar of Companies, Goa, Daman & Diu. Subsequently, our Company was converted into Public Company pursuant to Shareholders resolution passed at the Annual General Meeting of our Company held on August 29, 2017 and the name of our Company was changed to "Misquita Engineering Limited" and a fresh Certificate of Incorporation Consequent upon Conversion from Private Company to Public Company dated October 18, 2017 was issued by the Registrar of Companies, Goa. The Corporate Identification Number (CIN) of our Company is U74210GA1998PLC002537. For details of Incorporation, change of name and Registered Office of our Company, please refer to chapters titled "General Information" and "History and Certain Other Corporate Matters" beginning on page 47 and 115 of the Prospectus.

Registered Office and Corporate Office: 182/1, Vaiginim Vaddo, Nachinol, Aldona, North Goa, Goa - 403 508, India Tel: +91 83088 48233; E-mail: info@misquitaengg.com | Website: www.misquitaengg.com | Company Secretary and Compliance Officer: Ms. Bhawini Surana PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. THOMAS CONSTANCE AVINASH MISQUITA AND MS. GAIL LUCIA MISQUITA

PUBLIC ISSUE OF UPTO 7,16,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10.00 EACH ("EQUITY SHARES") OF MISQUITA ENGINEERING LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 27.00 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 17.00 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 193.32 LAKH ("THE ISSUE") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF 4,44,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 119.88 LAKH (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UPTO 2,72,000 EQUITY SHARES BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER ("OFFER FOR SALE") AGGREGATING TO ₹73.44 LAKH OF WHICH 36.000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10.00 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹27.00 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION i.e. NET ISSUE OF 6,80,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10.00 EACH AT A PRICE OF ₹27.00 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹17.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹183.60 LAKH (THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.58% AND 25.24% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP **EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.** 

#### THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10.00 EACH AND THE ISSUE PRICE OF ₹27.00 IS 2.7 TIMES OF THE FACE VALUE

THE APPLICATION MUST BE FOR A MINIMUM OF 4,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 4,000 EQUITY SHARES THEREAFTER THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018

For further details, please refer to "Terms of The Issue" beginning on page 186 of the Prospectus

ISSUE **PROGRAMME** 

#### **ISSUE OPENS ON: MONDAY, SEPTEMBER 23, 2019 ISSUE CLOSES ON: WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2019**

ASBA\*

Simple, Safe, Smart way of Application- Make use

Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details check section on ASBA below.

Mandatory in public issues. No Cheque will be accepted

UPI-Now mandatory in ASBA for Retail Investors applying through Registered Brokers, DPs & RTAs. Retail Investors also have the options

to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. ASBA has to be availed by all the investors except anchor investors. UPI shall be availed by Retail Individual Investors. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA Form and Abridged Prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 195 of the Prospectus. The process is also available at Stock Exchanges in the General Information Document. ASBA Forms can be downloaded from the websites of BSE and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.

gov.in. ICICI Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Issue, in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018. RISKS IN RELATION TO FIRST ISSUE: This being the first public issue of our Company, there has been no formal market for our Equity Shares. The face value of the Equity Shares of our Company is ₹10.00 and the Issue price of ₹ 27.00 per Equity Share is 2.7 times of the face value. The Issue Price (as determined and justified by our Company in consultation with the Lead Manager as stated in the chapter titled 'Basis for Issue Price' beginning on page 77 of the Prospectus) should not be taken to be indicative of the market price of the Equity Shares after such Equity Shares are listed. No assurance can be given regarding an active and/or sustained trading in the Equity Shares or regarding the price at which the Equity Shares will be traded after listing.

GENERAL RISKS: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Company and the issue, including the risks involved. The Equity Shares offered in the issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled 'Risk Factors' beginning on page 21 of the Prospectus.

COMPANY'S & SELLING SHAREHOLDER'S ABSOLUTE RESPONSIBILITY: Our Company, having made all reasonable inquiries, accepts responsibility for and confirms that this Prospectus contains all information with regard to our Company and the Issue which is material in the context of the Issue, that the information contained in this Prospectus is true and correct in all material aspects and is not misleading in any material respect, that the opinions and intentions expressed herein are honestly held and that there are no other facts, the omission of which makes this Prospectus as a whole or any of such information or the expression of any such opinions or intentions misleading in any material respect. The Selling Shareholder, assumes responsibility only for statements included in this Prospectus, in relation to the Selling Shareholders, to the extent of information specifically pertaining to him and his respective portion of offered shares and also assume responsibility that such statements are true and correct in all material respect and not misleading in any material respect

LISTING: The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE SME"). Our Company has received an In-Principal approval letter dated September 12, 2019 from BSE Ltd for using its name in this offer document for listing of our shares on the SME Platform of BSE Ltd. For the purpose of this Issue, the designated Stock Exchange will be the BSE Limited ("BSE")

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA: The Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Draft Prospectus was filed with SEBI in terms of the Regulation 246 (5) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, and the SEBI has not issued any observation on it. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire "Disclaimer Clause of SEBI" on page 175 of the Prospectus. DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has not been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" on page 180 of the Prospectus

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

MAIN OBJECTS AS PER MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY: Investors are requested to refer to clause III of the Memorandum of Association of the Company for the main objects to provide and other objects of the Company. The Memorandum of Association of the Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 258 of the Prospectus LIABILITY OF MEMBERS: The Liability of members of Company is Limited

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: Authorized Share Capital of ₹300.00 Lakh divided into 30,00,000 Equity Shares of ₹10.00 each. Issued, Subscribed & Paid-up Share Capital prior to the Issue: ₹225.00 Lakh divided into 22,50,000 Equity Shares of Face Value of ₹10.00 each. Proposed Post Issue Paid-up Share Capital: ₹269.40 Lakh divided into 26.94.000 Equity Shares of Face Value of ₹10.00 each

SIGNATORIES TO MOA AND SHARES SUBSCRIBED

| AON           | Current Promoters                 |   |  |
|---------------|-----------------------------------|---|--|
| No. of shares | Name                              | No. of shares   |  |
| 10            | Thomas Constance Avinash Misquita | 15,49,900   |  |
| 10            | Gail Lucia Misquita               | 3,00,000  |  |
| 10            |                                   |   |  |
| 30            | Total                             | 18,49,900   |  |
|               | 10<br>10<br>10                    | No. of shares  10 Thomas Constance Avinash Misquita 10 Gail Lucia Misquita 10 |  |

REGISTRAR TO THE ISSUE

LEAD MANAGER TO THE ISSUE



GRETEX CORPORATE SERVICES PVT. LTD. Office No. 13. 1st Floor, New Bansilal Building,

Raia Bahadur Mansion, 9-15, Homi Modi Street Fort, Mumbai - 400 001, Maharashtra. Tel.: +91-22-4002 5273 | Fax: NA

Ms. Kritika Rupda

Email: info@gretexgroup.com Website: www.gretexcorporate.com SEBI Registration No.: INM000012177 Contact Person: Ms. Amina Khan/

Bigshare Services Pvt. Ltd. BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED

1st Floor, Bharat Tin works building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri East, Mumbai - 400 059, Maharashtra Tel.::+91-022-62638200 Fax: +91-022-62638299 Email: ipo@bigshareonline.com

Website: www.bigshareonline.com Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com Contact Person : Mr. Babu Rapheal SEBI Registration No.: INR000001385

CREDIT RATING: This being an Issue of Equity Shares, there is no requirement of credit rating for the Issue

TRUSTEES: This is an Issue of equity shares hence appointment of trustees is not required

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

MISQUITA ENGINEERING LIMITED

Ms. Bhawani Surana 182/1, Vaiginim Vaddo, Nachinol, Aldona, North Goa, Goa-403508, India. Tel.: +91 83088 48233;

E-mail: info@misquitaengg.com; Website: www.misquitaengg.com

Investors can contact the Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or post-

issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, credit of allotted shares in the respective beneficiary account, etc.

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: Application Form can be obtained from the Registered Office of Company, MISQUITA ENGINEERING LIMITED, Tel no. +91 83088 48233; LM: Gretex Corporate Services Private Limited, Tel no.: +91 22 4002 5273; Self Certified Syndicate Banks; Registered Brokers; Designated RTA Locations and Designated CDP Locations for participating in the Issue. Application Forms will also be available on the websites of the Stock Exchange and at all the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the websites of the Stock Exchange and SEBI.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that Investment in Equity Shares involves a degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus shall be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of Stock Exchange at www.bsesme.com, the website of Lead Manager at www.gretexcorporate.com and the website of the Issuer

Company at www.misquitaengg.com. APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): Investors shall apply through the ASBA process. The investors are required to fill the ASBA form and submit the same to their banks. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in ASBA form and will include amounts blocked by RIIs

IPO GRADING: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, there is no requirement of appointing an IPO Grading agency.

using UPI Mechanism. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there For more details on the ASBA process, please refer to the details given in application forms and Abridged Prospectus and also please refer to the section "Issue" Procedure" on page 195 of the Prospectus.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated September 12, 2019. BANKER TO THE ISSUE: ICICI Bank Limited

For Misquita Engineering Limited On behalf of the Board of Directors Mr. Thomas Constance Avinash Misquita

Chairman & Managing Director

Place: Goa Date: September 17, 2019

Misquita Engineering Limited is proposing, subject to market conditions and other considerations, public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Goa, Daman and Diu. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.gretexcorporate. com the website of the BSE Limited i.e. www.bsesme.com, and website of the Issuer Company at www.misquitaengg.com. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 21 of the

नई दिल्ली

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be Issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 303, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज\*,** \*पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमित लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।